



भारत के
नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
राजस्व सेक्टर
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष



हरियाणा सरकार
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 5

भारत के
नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

राजस्व सेक्टर

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 5

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / टिप्पणियां
प्राक्कथन		v
ओवरव्यू		vii-x
अध्याय - 1		
सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.2	5
कर - निर्धारणों में बकाया	1.3	7
विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन	1.4	7
रिफंड मामले	1.5	8
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर	1.6	8
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.6.2	10
लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण	1.6.3	10
प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर	1.6.4	10
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन - संक्षेपित स्थिति	1.6.5	11
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण	1.7	11
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.7.1	12
स्वीकृत मामलों में वसूली	1.7.2	12
विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई	1.8	13
आंतरिक लेखापरीक्षा	1.9	13
लेखापरीक्षा आयोजना	1.10	14
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.11	14
इस प्रतिवेदन की कवरेज	1.12	15
अध्याय - 2		
बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट		
कर प्रबन्ध	2.1.1	17
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1.2	17
राज्य में राजस्व के बकायों को संग्रहण करने के लिए प्रणाली	2.2	18-26
इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति	2.3	26

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / टिप्पणियां
सरचार्ज का अनुद्ग्रहण	2.4	27
परिगणना त्रुटि के कारण कर का अवनिर्धारण	2.5	28
गलत वर्गीकरण के कारण कर का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण	2.6	28
विशेष आर्थिक जोन यूनितों को बिक्री की गलत कटौती के कारण कर का अवनिर्धारण	2.7	30
बिक्रियों के छिपाव के कारण कर का अपवंचन	2.8	31
ब्याज का अनुद्ग्रहण	2.9	32
बिक्री न किए गए माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ	2.10	33
क्रय कर का उद्ग्रहण न करने के कारण कर का अवनिर्धारण	2.11	33
अध्याय - 3		
राज्य उत्पाद शुल्क		
कर प्रबंध	3.1.1	35
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1.2	35
'राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	3.2	36-46
अध्याय - 4		
स्टाम्प शुल्क		
कर प्रबंध	4.1.1	47
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1.2	47
अचल संपत्ति के कम मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.2	48
संयुक्त करार के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.3	49
प्राइम खसरा वाली भूमि पर नॉन प्राइम दरों के लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.4	50
'बिक्री पर हस्तांतरण' का निर्मुक्त विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण	4.5	51
स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	4.6	52

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / टिप्पणियां
छूट की गलत अनुमति	4.7	53
गलत दरें लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	4.8	53
स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	4.9	54
पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.10	55
अध्याय - 5		
वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर		
कर प्रबंध	5.1.1	57
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1.2	57
परिवहन विभाग		
वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण न करने के कारण राजस्व की हानि	5.2	58-60
“मोटर वाहन विभाग में कंप्यूटरीकरण की निष्पादन लेखापरीक्षा” पर अनुवर्तन लेखापरीक्षा	5.3	61-69
आबकारी एवं कराधान विभाग		
माल कर की अवसूली/कम वसूली	5.4	69
यात्री कर की अवसूली/कम वसूली	5.5	70
अध्याय - 6		
अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां		
कर प्रबंध	6.1.1	73
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1.2	73
खदान एवं भू-विज्ञान विभाग		
रायल्टी तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली	6.2	74

परिशिष्ट

अनुलग्नक	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
I	अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लम्बित रही/31 अक्टूबर 2016 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए	1.6.5	77
II	31 अक्टूबर 2016 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण	1.6.5	78
III	31 अक्टूबर 2016 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण	1.6.5	79
शब्दावली		81-82	

प्राक्कथन

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व सेक्टर के अधीन प्रमुख राजस्व अर्जन करने वाले विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत संचालित की गई लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो वर्ष 2015-16 के दौरान की गई नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे; 2015-16 से अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक हैं, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में ₹ 721.81 करोड़ के राजस्व अर्थापत्ति सहित 'राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा करों, ब्याज, पेनल्टी के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण, उत्पाद शुल्क, स्टॉम्प शुल्क, यात्री एवं माल कर, रायल्टी इत्यादि के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण से संबंधित 24 उदाहरणदर्शक अनुच्छेद शामिल हैं।

1. अध्याय - 1

सामान्य

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 40,798.66 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015-16 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 47,556.55 करोड़ थी। इसमें से, 75 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 30,929.09 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,752.48 करोड़) से एकत्रित किए गए थे। शेष 25 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से (₹ 5,496.22 करोड़) तथा सहायता अनुदान (₹ 6,378.76 करोड़) के रूप में प्राप्त किया गया था। पिछले वर्ष से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 6,757.89 करोड़ की वृद्धि थी।

(अनुच्छेद 1.1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, माल एवं यात्रियों पर कर, वाहनों पर कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों की 315 इकाइयों के अभिलेखों की वर्ष 2015-16 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 48,193 मामलों में कुल ₹ 2,864.64 करोड़ के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण/राजस्व की हानि दर्शाई। वर्ष 2015-16 के दौरान, विभाग ने 1,972 मामलों में ₹ 360.42 करोड़ के अवनिर्धारण स्वीकार किए। इनमें से, विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों के 731 मामलों में ₹ 12.63 करोड़ वसूल कर लिए थे।

(अनुच्छेद 1.11)

2. अध्याय - 2

बिक्रियों, व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

पंजाब भू-राजस्व अधिनियम/राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अंतर्गत भू-राजस्व के बकायों के रूप में राज्य को देय विभिन्न करों के बकायों के संग्रहण की प्रणाली की विषयक लेखापरीक्षा ने बकायों के अप्रभावी अनुसरण तथा साविधिक प्रावधानों के खराब प्रवर्तन के साथ संबद्ध अभिलेखों का अननुरक्षण प्रकट किया जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2012 तथा मार्च 2015 के मध्य कुल बकाया 112 प्रतिशत बढ़कर ₹ 8,076.66 करोड़ हो गए। ₹ 382.88 करोड़ के बकाया, पंजाब भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूलनीय घोषित नहीं किए गए जबकि ₹ 207.26 करोड़ के बकाया, कुर्क संपत्ति का निपटान न करने के कारण वसूल नहीं किए जा सके। आगे, ₹ 166.56 करोड़ के बकाया अनुवर्ती करवाई की कमी के कारण वसूल नहीं किए जा सके। ₹ 26.44 करोड़ का ब्याज उद्गृहीत नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 2.2)

विक्रेता डीलर द्वारा किए गए कर के भुगतान का सत्यापन किए बिना कर-निर्धारण प्राधिकारी ने गलती से ₹ 96.39 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुमत कर दिया। इसके अतिरिक्त ₹ 2.89 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य है।

(अनुच्छेद 2.3)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने वैट के अंतर्गत ₹ 38.16 करोड़ के कर के पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज उद्गृहीत नहीं किया परिणामस्वरूप 61 मामलों में ₹ 1.91 करोड़ के सरचार्ज का अनुद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.4)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 4.53 करोड़ की सही राशि की बजाए ₹ 2.74 करोड़ का कर उद्गृहीत किया परिणामस्वरूप परिगणना त्रुटि के कारण ₹ 1.79 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(अनुच्छेद 2.5)

सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरणों का अनुपालन न करने तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.49 करोड़ के कर तथा ₹ 88.58 लाख के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.6)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने डीलर, जिसने एक डेवेलपर को सामग्री बेची थी, को विशेष आर्थिक जोन बिक्री के विचार से ₹ 2.76 करोड़ की कटौती अनुमत कर दी परिणामतः ₹ 36.26 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 30.46 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 2.7)

₹ 3.91 करोड़ मूल्य के इयूटी एवं एनटाइटलमेंट पासबुक (डी.ई.पी.बी.)/आयात लाइसेंस का क्रय, जो पुनः बिक्री के लिए प्रयुक्त किए जाने होते हैं, भुगतान योग्य कस्टम इयूटी के विरुद्ध गलत ढंग से समायोजित करने हेतु अनुमत कर दिए गए परिणामतः डीलर को ₹ 20.55 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति हुई।

(अनुच्छेद 2.10)

3. अध्याय - 3

राज्य उत्पाद शुल्क

राज्य उत्पाद शुल्क राज्य सरकार के कुल कर राजस्व का 14 प्रतिशत संगठित करते हुए राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। शराब पर आबकारी शुल्क के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित आबकारी एवं कराधान विभाग की कार्यप्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा ने अवास्तविक बजट प्रक्षेपण प्रकट किए जिन्होंने संग्रहण प्रयासों की प्रभावी मॉनीटरिंग को हानि पहुंचाई। आगे, अधिनियम के प्रावधानों का बेहतर अनुपालन एवं सख्त प्रवर्तन राजस्व की वृद्धि कर सकता है जैसाकि प्रतिवेदन में विशिष्ट व्याख्यात्मक उदाहरणों से प्रकट किया गया है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 60.56 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई। कुछ महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां नीचे दी गई हैं।

20 लाईसेंसधारियों से प्रतिभूति और अतिविक्रि प्रतिभूति वसूल करने हेतु कार्यवाही के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 28 लाख जमा नहीं/कम जमा हुए।

(अनुच्छेद 3.2.7)

लाईसेंस फीस के भुगतान में विलंब हेतु ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान करने वाले नियमों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप खुदरा दुकानों के चूककर्ता लाईसेंसधारियों से ₹ 44.80 करोड़ की लाईसेंस फीस और ब्याज की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.2.8)

मूल आबंटी की चूक के कारण खुदरा दुकानों के पुर्नावंटन से उत्पन्न अंतरीय लाईसेंस फीस वसूल करने में विफलता के साथ-साथ दुकानों की पुनःनीलामी में विफलता के कारण ₹ 5.19 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 3.2.9)

विभाग त्रैमासिक आधारभूत कोटा कम/अधिक उठाने के कारण 466 चूककर्ता लाईसेंसधारियों से ₹ 7.09 करोड़ की पेनल्टी उद्ग्रहण और वसूल करने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 3.2.10)

शराब के गैर-कानूनी स्वामित्व और व्यापार के कारण 322 अपराधियों से ₹ 1.83 करोड़ की पेनल्टी का उद्ग्रहण और वसूल करने में विभाग विफल रहा।

(अनुच्छेद 3.2.11)

विभाग ने डिस्टिलरीज के प्रबंधन से नियुक्त आबकारी स्थापना के वेतन के कारण ₹ 1.65 करोड़ वसूल नहीं किए।

(अनुच्छेद 3.2.12)

4. अध्याय - 4

स्टाम्प शुल्क

खसरा, जिन पर आवासीय कालोनियों को विकसित करने के लिए भूमि प्रयोग परिवर्तन लाइसेंस जारी किए गए थे, पर लागू दरों की बजाय कृषीय भूमि के लिए सामान्य खसरा दरों पर विक्रय के लिए 92 विलेख पंजीकरण किए गए फलस्वरूप ₹ 34.84 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। आगे, 57 विलेख पार्टियों के मध्य अनुबंध से कम प्रतिफल पर निष्पादित एवं पंजीकृत किए गए थे परिणामस्वरूप ₹ 85.10 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.2)

14 मामलों में संयुक्त करारों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.46 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.3)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने प्राइम खसरा भूमि का गलत ढंग से कृषीय भूमि पर नियत दर से निर्धारण किया परिणामस्वरूप ₹ 1.55 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.4)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने बिक्री पर हस्तांतरण का निर्मुक्त विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण किया और कलैक्टर दर के अनुसार ₹ 87.16 लाख की बजाय ₹ 1,850 के स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण किया। परिणामस्वरूप ₹ 87.14 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.5)

5. अध्याय - 5

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

परिवहन विभाग

वैधता की समाप्ति के पश्चात् भी मालिकों द्वारा 2,46,948 परिवहन वाहनों तथा 1,63,456 गैर-परिवहन वाहनों के फिटनेस/पंजीकरण प्रमाण-पत्रों का नवीकरण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 12.78 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 5.2.2 से 5.2.3)

आबकारी एवं कराधान विभाग (यात्री एवं माल कर)

माल ढोने के लिए प्रयुक्त 647 सार्वजनिक अथवा निजी वाहनों के मालिकों ने अप्रैल 2013 तथा मार्च 2015 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए माल कर जमा नहीं करवाया, परिणामस्वरूप ₹ 41.45 लाख के माल कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 19.36 लाख का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

(अनुच्छेद 5.4)

247 टैक्सी कार/मैक्सी कैब, 100 शैक्षिक संस्थान बसों तथा 35 परिवहन सहकारी सोसाइटी बसों के वाहन मालिकों ने या तो यात्री कर जमा नहीं करवाया या कम जमा करवाया, परिणामस्वरूप ₹ 51.76 लाख के यात्री कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 21.93 लाख का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

(अनुच्छेद 5.5)

6. अध्याय - 6

अन्य कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

चार जिलों के संबंध में 31 ईट भट्ठा मालिकों से ₹ 11.72 लाख की राशि की रायल्टी तथा ब्याज की वसूली नहीं की गई थी जिन्हें अप्रैल 2013 तथा मार्च 2016 के मध्य परमिट जारी किए गए थे।

(अनुच्छेद 6.2)

अध्याय 1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2015-16 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुसूची आंकड़े तालिका 1.1.1 में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)						
क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व					
	• कर राजस्व	20,399.46	23,559.00	25,566.60	27,634.57	30,929.09
	• कर-भिन्न राजस्व	4,721.65	4,673.15	4,975.06	4,613.12	4,752.48
	योग	25,121.11	28,232.15	30,541.66	32,247.69	35,681.57
2	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा ¹	2,681.55	3,062.13	3,343.24	3,548.09	5,496.22
	• सहायता अनुदान	2,754.93	2,339.25	4,127.18	5,002.88	6,378.76
	योग	5,436.48	5,401.38	7,470.42	8,550.97	11,874.98
3	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)	30,557.59	33,633.53	38,012.08	40,798.66	47,556.55
4	1 की 3 से प्रतिशतता	82	84	80	79	75

वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 35,681.57 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 75 प्रतिशत था। वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्तियों का शेष 25 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों एवं सहायता अनुदानों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा भारत सरकार से था।

कुल राजस्व प्राप्तियों से राज्य सरकार की इसके अपने स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 2012-13 (84 प्रतिशत) से 2015-16 (75 प्रतिशत) तक घटती प्रवृत्ति दर्शाती है।

¹ विवरण हेतु कृपया विवरणी संख्या 14 देखें-वर्ष 2015-16 के लिए हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे। शीर्ष 0021 के अन्तर्गत आंकड़े-निगम कर से अन्य आय पर कर-क के अन्तर्गत वित्त लेखाओं में बुक किए गए राज्य को दिए गए निवल अर्थागमों के हिस्से-कर राजस्व राज्य द्वारा एकत्रित राजस्व से निकाल दिए गए हैं तथा इस विवरणी में विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से में सम्मिलित किए गए हैं।

वर्ष 2015-16 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

1.1.2 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण तालिका 1.1.2 में दिए गए हैं।

तालिका 1.1.2: एकत्रित किए गए कर राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)													
क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2015-16 में वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान 2015-16 पर वास्तविक	2014-15 के वास्तविक पर वास्तविक 2015-16
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट)	14,100.00	13,383.69	16,450.00	15,376.58	19,288.61	16,774.33	19,930.00	18,993.25	22,821.40	21,060.23	(-)7.72	10.88
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2,400.00	2,831.89	3,000.00	3,236.48	4,000.00	3,697.35	4,350.00	3,470.45	4,567.50	4,371.08	(-)4.30	25.95
3.	स्टाम्पस एवं पंजीकरण फीस	2,350.00	2,793.00	3,000.00	3,326.25	3,850.00	3,202.48	3,950.00	3,108.70	3,600.00	3,191.21	(-)11.36	2.65
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	425.00	429.32	450.00	470.76	520.00	497.45	650.00	527.07	600.00	554.25	(-)7.63	5.16
5.	वाहनों पर कर	515.00	740.15	750.00	887.29	850.00	1,094.86	1,175.00	1,191.50	1,316.00	1,400.38	(+)6.41	17.53
6.	बिजली पर कर एवं शुल्क	155.00	166.43	160.00	191.96	201.40	219.20	232.25	239.74	240.00	256.66	(+)6.94	7.06
7.	भू-राजस्व	16.09	10.95	15.28	12.98	19.33	12.42	13.50	15.28	16.50	14.97	(-)9.27	(-)2.03
8.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	45.80	44.03	48.00	56.70	55.00	68.51	74.00	88.58	88.00	80.31	(-)8.74	(-)9.34
	योग	20,006.89	20,399.46	23,873.28	23,559.00	28,784.34	25,566.60	30,374.75	27,634.57	33,249.40	30,929.09	(-)6.98	11.92

एकत्रित राजस्व कर 2011-12 में ₹ 20,399.46 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 30,929.09 करोड़ हो गया। वर्ष 2015-16 के दौरान बजट अनुमानों (ब.अ.) से वास्तविक आंकड़ों में नाममात्र कमी (6.98 प्रतिशत) है।

संबंधित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:

- **स्टाम्पस एवं पंजीकरण फीस:** बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में कमी (11.36 प्रतिशत) अचल/चल सम्पत्ति के दस्तावेजों के कम पंजीकरण के कारण थी।
- **बिजली पर कर एवं शुल्क:** वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (6.94 प्रतिशत) सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युत्तिकरण सबसिडी के बिजली शुल्क के अधिक समायोजन के कारण थी।
- **भू-राजस्व:** राजस्व प्राप्तियों में कमी (9.27 प्रतिशत) किसान पास बुक, नकल फीस तथा राजस्व तलबाना² की कम वसूली के कारण थी।

1.1.3 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण तालिका 1.1.3 में इंगित किए गए हैं:

तालिका 1.1.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2015-16 में वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान 2015-16 पर वास्तविक	2014-15 के वास्तविक पर वास्तविक 2015-16
1.	शहरी विकास	1,300.00	1,039.35	1,150.00	990.70	1,200.00	1,104.54	1,220.00	861.11	1,300.00	421.95	(-) 67.54	(-) 51.00
2.	सड़क परिवहन	1,100.00	852.96	1,150.00	999.87	1,315.00	1,097.54	1,310.00	1,235.31	1,450.00	1,254.55	(-) 13.48	1.56
3.	ब्याज प्राप्तियां	816.49	864.96	1,080.04	1,058.21 ³	1,090.12	1,090.71	1,142.51	933.59	1,281.41	1,087.49	(-) 15.13	16.48
4.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	299.47	295.72	386.41	385.43	438.14	318.94	527.83	564.48	596.77	637.41	6.81	12.92
5.	विविध सामान्य सेवाएं ⁴	1.04	128.49	1.30	312.30	5.89	268.37	30.00	20.38	21.23	41.39	94.96	103.09
6.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	102.99	54.79	109.63	78.01	163.48	148.07	179.61	145.50	223.43	142.06	(-) 36.42	(-) 2.36
7.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	75.00	75.53	225.00	75.49	150.00	79.10	500.00	43.46	1,000.00	271.61	(-) 72.84	524.97

² सम्मन भिजवाने हेतु प्रभार।

³ सिंचाई परियोजना पूंजीगत ब्याज पर ब्याज के बुक समायोजन में ₹ 454.33 करोड़ सम्मिलित हैं।

⁴ दावे न किए गए जमा, राज्य लाटरी, भूमि/संपत्ति की बिक्री, गारंटी फीस तथा अन्य प्राप्तियां।

वर्ष 2015-16 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2015-16 में वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान 2015-16 पर वास्तविक	2014-15 के वास्तविक पर वास्तविक 2015-16
8.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	170.76	99.95	156.00	125.86	136.80	144.35	167.39	95.73	194.55	115.64	(-)40.56	20.81
9.	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	142.44	583.16	194.56	139.12	213.68	95.04	156.50	129.27	156.75	110.48	(-)29.51	(-)14.53
10.	पुलिस	71.42	62.64	83.22	63.73	158.20	80.38	160.02	67.82	160.00	151.70	(-)5.19	123.68
11.	वानिकी एवं वन्य जीवन	61.00	39.12	45.00	41.36	45.00	37.37	40.00	44.29	40.00	51.90	29.75	17.18
12.	अन्य कर - भिन्न प्राप्तियां	220.73	624.98	223.39	403.07	246.17	510.65	432.70	472.18	461.25	466.30	1.09	(-)1.25
योग		4,361.34	4,721.65	4,804.55	4,673.15	5,162.48	4,975.06	5,866.56	4,613.12	6,885.39	4,752.48	(-)30.98	3.02

वर्ष 2015-16 के दौरान बजट अनुमानों से वास्तविक आंकड़ों में कमी (30.98 प्रतिशत) है। संबंधित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:

- **शहरी विकास:** बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में कमी (67.54 प्रतिशत) रियल इस्टेट मार्किट में छूट तथा एफोर्डेबल ग्रुप हाऊसिंग की नई नीति, जिसकी लाईसेंस फीस बढ़ते खाते डाली गई थी, के कारण थी।
- **अन्य प्रशासनिक सेवाएं:** बजट अनुमानों से राजस्व प्राप्तियों में कमी (40.56 प्रतिशत) अन्य विभागों से लंबित भुगतानों तथा कार्यों की अपूर्णता के कारण थी।
- **विविध सामान्य सेवाएं:** बजट अनुमानों से राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (94.96 प्रतिशत) भूमि एवं संपत्ति की अधिक बिक्री (नीलामी/आबंटन के माध्यम से) तथा सरकारी गारंटी फीस के कारण थी।
- **सड़क परिवहन:** बजट अनुमानों से राजस्व प्राप्तियों में कमी (13.48 प्रतिशत) ड्राइवरो की कमी के कारण फ्लीट में बसों को शामिल न करने के कारण थी।
- **वानिकी एवं वन्य जीवन:** बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (29.75 प्रतिशत) सड़कों को चौड़ा करने के लिए वृक्षों की आपातकालीन कटिंग के कारण थी।

- **बृहद् एवं मध्यम सिंचाई:** बजट अनुमानों से राजस्व प्राप्तियों में कमी (29.51 प्रतिशत) खनन पर प्रतिबंध तथा विद्युत विभाग द्वारा रॉ-वाटर चार्जिज का भुगतान न करने के कारण थी।
- **अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग:** बजट अनुमानों से राजस्व प्राप्तियों में कमी (72.84 प्रतिशत) पर्यावरणीय क्लीयरेंस की अनुमति न मिलने/समय पर न मिलने, नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विवाद तथा अनुबंधों के निरस्तीकरण के कारण थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किए जाने के बावजूद प्राप्तियों में भिन्नताओं के कारण सूचित नहीं किए (अक्टूबर 2016)।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2016 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के संबंध में राजस्व के बकाया ₹ 11,234.45 करोड़ राशि के थे जिनमें से ₹ 1,896.64 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जैसा कि तालिका 1.2 में वर्णित है।

तालिका 1.2: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2016 को बकाया राशि	31 मार्च 2016 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	10,385.41	1,607.70	उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 283.58 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी, ₹ 129.46 करोड़ व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोके गए थे, ₹ 75.89 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्तावित थे, ₹ 804.40 करोड़ परिशोधन, समीक्षा तथा अपील के कारण रोके गए थे। सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लम्बित मामलों के कारण ₹ 152.19 करोड़ की वसूली बकाया थी। ₹ 0.56 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 8,939.33 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	216.41	76.94	₹ 12.94 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी तथा ₹ 14.00 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। सरकारी परिसमापक/बी.आई.एफ.आर. के पास लम्बित मामले के कारण ₹ 0.16 करोड़ बकाया थे। ₹ 0.08 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 48.32 करोड़ की वसूली क्रमशः अन्तर्राज्य तथा अन्तर्जिले बकायों के कारण थी। ₹ 1.25 करोड़ समीक्षा/परिशोधन आवेदन के लिए रोके गए थे। शेष ₹ 139.66 करोड़ कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थे।

वर्ष 2015-16 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

(₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2016 को बकाया राशि	31 मार्च 2016 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
3.	बिजली पर कर एवं शुल्क	193.28	128.50	₹ एक करोड़ मैसर्ज हरियाणा कनकास्ट, हिसार, ₹ 38 लाख मैसर्ज रामा फाईबरज, भिवानी, ₹ 30 लाख मैसर्ज दादरी सीमेंट्स, चरखी दादरी तथा ₹ 16 लाख मैसर्ज कम्पीटेंट एलोइज, बल्लभगढ़ से वसूलनीय थे। ₹ 191.44 करोड़ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.)/उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) के उपभोक्ताओं की ओर लम्बित थे।
4.	यात्री एवं माल पर कर	69.09	17.84	₹ 46.03 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी तथा ₹ 27,000 बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। ₹ 68.63 करोड़ की राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थी।
	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	226.72	28.96	₹ 174.07 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी तथा सरकारी परिसमापक/बी.आई.एफ.आर. के पास लम्बित मामले के कारण ₹ 0.05 करोड़ बकाया थे। ₹ 0.20 करोड़ अन्य न्यायालयों में मामलों के कारण लम्बित थे। ₹ 52.40 करोड़ की राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थी।
5.	पुलिस	108.43	8.20	31 मार्च 2007 तक ₹ 7.38 करोड़ भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) से देय थे। हरियाणा राज्य में आई.ओ.सी.एल. से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित है। ₹ 29 लाख भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.), फरीदाबाद से वसूलनीय थे तथा ₹ 100.76 करोड़ चुनाव ड्यूटी हेतु अन्य राज्यों से वसूलनीय थे।
6.	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	12.45	7.51	₹ 0.04 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 0.02 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे तथा ₹ 12.39 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
7.	अलौह खनन एवं धातु कर्मीय उद्योग	22.66	20.99	₹ 13.23 करोड़ वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत्त मांग के कारण बकाया थे। ₹ 0.54 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी तथा ₹ 0.38 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे। ₹ 8.51 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
	योग	11,234.45	1,896.64	

1.3 कर-निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, कर-निर्धारण हेतु देय बने मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष की समाप्ति पर अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या के विवरण जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर तथा यात्री एवं माल कर (पी.जी.टी.) के संबंध में प्रस्तुत किए गए, तालिका 1.3 में दिए गए अनुसार थे।

तालिका 1.3: कर-निर्धारणों में बकाया

राजस्व का शीर्ष	आरंभिक शेष	2015-16 के दौरान कर-निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय कर-निर्धारण	2015-16 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष	निपटान की प्रतिशतता (कालम 4 से 5)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2,70,739	2,14,697	4,85,436	2,55,717 ⁵	2,29,719	53
माल एवं यात्रियों पर कर	2,199	835	3,034	715	2,319	24

1.4 विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के प्रकरणों, अन्तिमकृत मामलों तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, तालिका 1.4 में दिए गए हैं।

तालिका 1.4: कर का अपवंचन

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2015 को लम्बित मामले	2015-16 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें कर-निर्धारण/ जांच पड़ताल पूर्ण हुई तथा पेनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2016 को अंतिमकरण हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	63	4,296	4,359	4,259	115.88	100
2	राज्य उत्पाद शुल्क	720	6,546	7,266	6,379	4.50	887
3	माल एवं यात्रियों पर कर	6,595	6,955	13,550	12,097	8.31	1,453
	योग	7,378	17,797	25,175	22,735	128.69	2,440

⁵ वर्ष 2014-15 हेतु निपटाए गए 17,087 मामलों सहित।

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या की तुलना में वर्ष की समाप्ति पर माल एवं यात्रियों पर कर के मामले में कम हुई है तथा बिक्री कर एवं राज्य उत्पाद शुल्क के मामले में थोड़ी सी वृद्धि हुई है।

1.5 रिफंड मामले

वर्ष 2015-16 के आरम्भ में लम्बित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष 2015-16 के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, तालिका 1.5 में दी गई है।

तालिका 1.5: रिफंड मामलों के विवरण

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	694	189.22	38	0.52
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1,820	673.24	273	12.40
3.	वर्ष के दौरान किए गए रिफंड	1,805	611.91	242	4.93
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	709	250.55	69	7.99

बकाया मामलों की संख्या यह दर्शाती है कि राज्य उत्पाद शुल्क में पर्याप्त वृद्धि तथा बिक्री कर/वैट में नाममात्र वृद्धि हुई है।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच एवं महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पता लगाई गई तथा स्थल पर समायोजित न की गई अनियमितताओं को सम्मिलित कर निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) से अनुवर्तित किए जाते हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को, अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों सहित, शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु, जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार द्वारा, निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों की शीघ्र अनुपालना की जानी, त्रुटियों एवं चूकों का सुधार किया जाना तथा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर प्रधान महालेखाकार (पी.ए.जी.) को प्रारम्भिक उत्तर के माध्यम से अनुपालना सूचित की जानी अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को सूचित की जाती हैं।

दिसम्बर 2015 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों ने प्रकट किया कि जून 2016 के अन्त में 2,143 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 5,802.87 करोड़ से आवेष्टित 5,389 अनुच्छेद बकाया रहे। जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुसूची आंकड़ों के साथ नीचे तालिका 1.6 में उल्लिखित है।

तालिका 1.6: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण

(₹ करोड़ में)			
	जून 2014	जून 2015	जून 2016
निपटान हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1,919	1,966	2,143
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	4,579	4,911	5,389
आवेष्टित राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)	3,084.83	3,489.99	5,802.87

1.6.1 30 जून 2016 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और आवेष्टित राशि के विभाग-वार विवरण तालिका 1.6.1 में दिए गए हैं।

तालिका 1.6.1: निरीक्षण प्रतिवेदनों के विभाग-वार विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	आवेष्टित धन मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	आबकारी एवं कराधान	बिक्री कर/वैट	299	2,061	5,245.70
		राज्य उत्पाद शुल्क	146	277	157.79
		माल एवं यात्रियों पर कर	208	374	34.97
		मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	19	21	11.59
2.	राजस्व	स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस	918	1,959	294.63
		भू-राजस्व	119	158	0.52
3.	परिवहन	वाहनों पर कर	306	381	16.93
4.	विद्युत	बिजली पर कर एवं शुल्क	4	5	5.84
5.	खदान एवं भू-विज्ञान	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	124	153	34.90
योग			2,143	5,389	5,802.87

2015-16 के दौरान जारी किए गए 315 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 225 निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह के अंदर कार्यालयों के अध्यक्षों से प्रथम उत्तर भी लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुए। निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बनता में वृद्धि इस तथ्य का सूचक थी कि कार्यालयों तथा विभागों के अध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में प्रधान महालेखाकार द्वारा इंगित की गई त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।

सरकार, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र उत्तर सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए विभागों के उत्तरों की प्रभावी मानीटरिंग की प्रणाली स्थापित कर सकती है।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुच्छेदों के समायोजन की प्रगति को मानीटर एवं तीव्र करने के लिए लेखापरीक्षा समितियां गठित की। वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा समायोजित किए गए अनुच्छेदों के विवरण नीचे तालिका 1.6.2 में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.6.2: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निपटाए गए अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर)	6	552	166.28
2	परिवहन विभाग	2	72	0.24
3	राजस्व विभाग	4	50	0.41
	योग	12	674	166.93

1.6.3 लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

रिफंड मामले, वर्ष 2015-16 के दौरान, ₹ 939.85 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित 204 कर-निर्धारण फाईलें तथा अन्य संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। मामलों का जिला-वार विवरण नीचे तालिका 1.6.3 में दिया गया है।

तालिका 1.6.3: अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के विवरण

कार्यालय/विभाग का नाम	वर्ष, जिसमें इसकी लेखापरीक्षा की जानी थी	लेखापरीक्षा न किए गए मामलों की संख्या	कर की राशि/रिफंड (₹ करोड़ में)
कर-निर्धारण मामले			
डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व)	2015-16	106	497.87
डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) जगाधरी	2015-16	98	441.98
	योग	204	939.85

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद, प्रधान महालेखाकार द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/अपर मुख्य सचिवों को लेखापरीक्षा परिणामों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के भीतर उनके उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए अग्रेषित किए जाते हैं। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे अनुच्छेदों के अन्त में इंगित किया जाता है।

संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों को मार्च तथा जुलाई 2016 के मध्य 32 प्रारूप अनुच्छेद (24 प्रारूप अनुच्छेदों में सम्मिलित) तथा एक निष्पादन लेखापरीक्षा भेजी गई थी। किसी भी प्रारूप अनुच्छेद तथा निष्पादन लेखापरीक्षा पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, निष्पादन लेखापरीक्षा के समापन पर सरकार के साथ आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में संबंधित स्थानों पर उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्टूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में दोहराए गए निर्देशों के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि विधानसभा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्रवाई आरंभ करेगा तथा लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) के विचार हेतु प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के भीतर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई टिप्पणियां (कृ.का.टि.) प्रस्तुत करनी चाहिए। तथापि, कृ.का.टि. विलंबित की जा रही थी। 31 मार्च 2013, 2014 तथा 2015 को समाप्त वर्ष हेतु हरियाणा सरकार के राजस्व सेक्टर पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल किए गए 66 अनुच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) मार्च 2014 तथा मार्च 2016 के मध्य राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। 31 मार्च 2013 से 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए चार विभागों (आबकारी एवं कराधान, परिवहन, राजस्व तथा खदान एवं भू-विज्ञान) से 58 अनुच्छेदों के संबंध में कृ.का.टि., जैसा **अनुलग्नक I** में उल्लिखित है, अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी (अक्टूबर 2016)। 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आठ अनुच्छेदों के संबंध में कृ.का.टि. 18 माह के विलंब के पश्चात् प्राप्त हुई थी।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 23 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की तथा 23 अनुच्छेदों पर इसकी सिफारिशें वर्ष 2015-16 की उनकी 72वीं रिपोर्ट में शामिल की गई थी। लोक लेखा समिति की 22वीं से 72वीं रिपोर्ट में शामिल 1979-80 से 2010-11 की अवधि से संबंधित कुल 878 सिफारिशें, जैसा कि **अनुलग्नक II** एवं **अनुलग्नक III** में उल्लिखित है, संबंधित विभागों द्वारा अंतिम सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने के अभाव में अभी तक लंबित थी।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का जवाब देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए एक विभाग के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेदों 1.7.1 से 1.7.2 में राजस्व शीर्ष-0040 के अंतर्गत बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर करों से संबंधित आबकारी एवं कराधान विभाग के निष्पादन तथा वर्ष 2006-07 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित गत 10 वर्षों के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाए गए मामलों पर चर्चा करते हैं।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

गत 10 वर्षों के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा 31 मार्च 2016 को उनकी स्थिति नीचे तालिका 1.7.1 में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.7.1: निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष	आरम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य (₹ करोड़ में)
2006-07	347	1,802	712.46	26	379	66.23	5	312	41.63	368	1,869	737.06
2007-08	368	1,869	737.06	28	354	64.67	51	608	117.52	345	1,615	684.21
2008-09	345	1,615	684.21	40	439	134.72	42	531	129.22	343	1,523	689.71
2009-10	343	1,523	689.71	27	344	84.89	141	659	304.01	229	1,208	470.59
2010-11	229	1,208	470.59	29	342	203.81	3	264	103.56	255	1,286	570.84
2011-12	255	1,286	570.84	29	335	261.37	10	350	91.78	274	1,271	740.43
2012-13	274	1,271	740.43	42	655	1,167.16	9	254	215.62	307	1,672	1,691.97
2013-14	307	1,672	1,691.97	33	529	1,346.42	89	510	146.07	251	1,691	2,892.32
2014-15	251	1,691	2,892.32	27	584	1,281.44	2	364	972.99	276	1,911	3,200.77
2015-16	276	1,911	3,200.77	32	552	3,317.08	9	402	1,272.15	299	2,061	5,245.70

31 मार्च 2016 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 2006-07 में 347 से 2015-16 में 299 तक घट गई किंतु अनुच्छेदों की संख्या 2006-07 में 1,802 से 2015-16 में 2,061 तक बढ़ गई। सरकार को पुराने लंबित अनुच्छेदों के समायोजन के लिए विभाग तथा प्रधान महालेखाकार के मध्य लेखापरीक्षा समिति की अधिक बैठकें आयोजित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

1.7.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये तथा वसूली गई राशि की स्थिति तालिका 1.7.2 में दी गई है:

तालिका 1.7.2 स्वीकृत मामलों की वसूली

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेद का धन मूल्य (₹ करोड़ में)	स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकृत अनुच्छेदों का धन मूल्य (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि (₹ करोड़ में)	स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति (₹ करोड़ में)
2005-06	08 01(निले.प.)	5.74 151.09	07 01(निले.प.)	1.14 133.59	- 0.12	1.12 0.40
2006-07	07 01(निले.प.)	6.54 314.81	07 01(निले.प.)	6.54 314.81	0.17 -	4.52 305.96
2007-08	08 01(निले.प.)	2.17 56.01	07 01(निले.प.)	1.00 30.51	0.32 -	0.32 -
2008-09	11 01(निले.प.)	5.48 38.23	11 01(निले.प.)	5.11 38.23	0.05 0.12	0.22 1.24
2009-10	11	119.01	11	30.95	-	0.30

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेद का धन मूल्य (₹ करोड़ में)	स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकृत अनुच्छेदों का धन मूल्य (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि (₹ करोड़ में)	स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति (₹ करोड़ में)
2010-11	10 02(नि.ले.प.)	147.03 148.10	05 02(नि.ले.प.)	12.59 146.68	- 0.62	0.12 1.04
2011-12	7 01(नि.ले.प.)	10.99 1,715.02	7 -	10.99 -	0.02 -	0.23 -
2012-13	3 01(नि.ले.प.)	554.19 0.45	3 1(नि.ले.प.)	547.42 0.45	- -	0.11 0.14
2013-14	9	266.99	9	63.27	0.13	0.13
2014-15	10 01(नि.ले.प.)	17.46 310.48	10 1(नि.ले.प.)	17.46 290.54	- -	- -
योग	84 9 (नि.ले.प./ आई.टी. लेखापरीक्षा)	1,135.60 2,734.19	77 8 (नि.ले.प./ आई.टी. लेखापरीक्षा)	696.47 954.81	0.69 0.86	7.07 308.78
कुल योग	93	3,869.79	85	1,651.28	1.55	315.85

गत दस वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों में भी वसूली की प्रगति बहुत कम (19.13 प्रतिशत) थी।

विभाग स्वीकृत मामलों में आवेष्टित देयों की शीघ्र वसूली का अनुसरण तथा मानीटर करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

1.8 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

प्रधान महालेखाकार द्वारा की गई निष्पादन लेखापरीक्षाएं संबंधित विभाग/सरकार को उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती हैं। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर एग्जिट कांफ्रेंस में भी चर्चा की गई थी तथा विभागों/सरकार के विचार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा को अन्तिम रूप देते समय शामिल किए गए हैं।

वर्ष 2012-13 तथा 2014-15 के प्रतिवेदन में दर्शाई गई आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा की 'रिमांड एवं पुनरीक्षण मामलों में विलंब' तथा 'वैट के अंतर्गत कर-निर्धारण की प्रणाली' नामक निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर अभी लोक लेखा समिति में चर्चा की जानी थी।

1.9 आंतरिक लेखापरीक्षा

वित्त विभाग का विभिन्न विभागों में अधीनस्थ लेखा सेवा पास कार्मिकों की तैनाती/नियुक्ति पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण है। संबंधित विभाग, अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी विभागीय अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की कार्ययोजना के प्रतिपादन एवं निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्लान किए गए 254 यूनिटों में से आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने 243 यूनिटों (96 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की जैसा कि तालिका 1.9 में विवरण दिया गया है।

तालिका 1.9: आंतरिक लेखापरीक्षा

प्राप्तियां	प्लान किए गए यूनिटों की संख्या	लेखापरीक्षा किए गए यूनिटों की संख्या
स्टाम्प शुल्क	130	130
राज्य उत्पाद शुल्क	21	19
वैट/बिक्री कर	शून्य	शून्य
मोटर वाहन कर	82	81
यात्री एवं माल कर	21	13
योग	254	243

अध्याय 2 से 6 के अनुच्छेदों में चर्चा की गई अनियमितताएं अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की सूचक हैं क्योंकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित की गई अनियमितताएं आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा पता नहीं लगाई गई थी। आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट तथा मनोरंजन शुल्क) द्वारा कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा न कराए जाने के कारण प्रदान नहीं किए गए थे।

1.10 लेखापरीक्षा आयोजना

विभिन्न विभागों के अधीन यूनिट कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों तथा अन्य मानदंडों की विगत प्रवृत्तियों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा कम जोखिम में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी राजस्वों तथा कर-प्रबन्ध में गंभीर मामले अर्थात् बजट भाषण, राज्य वित्तों पर श्वेत-पत्र, वित्त आयोग (राज्य तथा केन्द्रीय) के प्रतिवेदन, कराधान सुधार समिति की सिफारिशें, गत पांच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर-प्रबन्ध के घटक, गत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा की व्याप्ति तथा इसका प्रभाव इत्यादि शामिल होते हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान 622 लेखापरीक्षा योग्य यूनिट थे, जिनमें से 317 (राजस्व 309 + व्यय 08) यूनिटों की योजना बनाई गई तथा 315 यूनिटों की लेखापरीक्षा की गई थी। फार्मैसी के दो यूनिट बंद किए गए थे।

1.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, मोटर वाहन, माल एवं यात्री तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की 315 (राजस्व 307 + व्यय 8) यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2015-16 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 48,193 मामलों में

कुल ₹ 2,864.64 करोड़ के राजस्व के अविनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि प्रकट की। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 1,972 मामलों में आवेष्टित ₹ 360.42 करोड़ के अविनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियां स्वीकार की। विभागों ने वर्ष 2015-16 के दौरान 731 मामलों में ₹ 12.63 करोड़ संगृहीत किए थे।

1.12 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 721.81 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित 'राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 24 अनुच्छेद शामिल हैं।

विभागों/सरकार ने ₹ 327.08 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 11.82 करोड़ वसूल किए गए थे। इन पर अनुवर्ती अध्याय 2 से 6 तक में चर्चा की गई है।

अध्याय 2: बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

2.1.1 कर प्रबन्ध

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम शासकीय स्तर पर अपर मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा लागू किए जाते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रमुख है तथा अपर ई.टी.सी., संयुक्त ई.टी.सी. (जे.ई.टी.सी.), उप ई.टी.सी. (डी.ई.टी.सी.) तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओज) द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है। संबंधित कर कानूनों तथा नियमों को लागू करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों तथा अन्य सहायक स्टाँफ द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है।

2.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2015-16 में 40 इकाइयों (राजस्व इकाइयां: 32 तथा व्यय इकाइयां: 8) के वैट/बिक्री कर के निर्धारणों से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच ने 1,222 मामलों, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, में ₹ 2,716.43 करोड़ से आवेष्टित कर के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट की जो कि तालिका 2.1 में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व			
क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	राज्य में राजस्व के बकायों को संग्रहण करने के लिए प्रणाली	1	591.63
2.	कर का अवनिर्धारण	647	766.94
3.	दोषपूर्ण सांविधिक 'फार्मों' की स्वीकृति	93	277.93
4.	बिक्री/खरीद के छिपाव के कारण कर का अपवंचन	40	16.52
5.	आई.टी.सी. की अनियमित/गलत/अधिक स्वीकृति	203	51.30
6.	अन्य अनियमितताएं	207	931.26
	योग (I)	1,191	2,635.58
व्यय			
1	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की अप्राप्ति	1	80.25
2	अन्य अनियमितताएं	30	0.60
	योग (II)	31	80.85
	कुल योग (I+II)	1,222	2,716.43

वर्ष के दौरान, विभाग ने 89 मामलों में ₹ 224.74 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियां स्वीकार की जिनमें से 37 मामलों में आवेष्टित ₹ 217.94 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने, वर्ष 2015-16 में 32 मामलों में ₹ 25.04

लाख वसूल किए जिनमें से ₹ 8.19 लाख से आवेष्टित 11 मामलों में वसूली वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में की गई थी।

₹ 604.67 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.2 राज्य में राजस्व के बकायों को संग्रहण करने के लिए प्रणाली

2.2.1 प्रस्तावना

अप्रैल 2012 तथा मार्च 2015 के मध्य कुल बकाया 112 प्रतिशत बढ़कर ₹ 8,076.66 करोड़ हो गए। ₹ 382.88 करोड़ के बकाया, पंजाब भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूलनीय घोषित नहीं किए गए जबकि ₹ 207.26 करोड़ के बकाया, कुर्क संपत्ति का निपटान न करने के कारण वसूल नहीं किए जा सके। आगे, ₹ 166.56 करोड़ के बकाया अनुवर्ती करवाई आरंभ न करने के कारण वसूल नहीं किए जा सके। ₹ 26.44 करोड़ का ब्याज उद्गृहीत नहीं किया गया।

विभिन्न अधिनियमों¹ के प्रावधानों के अनुसार, उनसे संबंधित देयों की वसूली के लिए सरकारी विभाग मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। इन अधिनियमों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं समय-समय पर जारी विभिन्न निर्देशों के अंतर्गत देय कोई राशि जो भुगतान के लिए निर्विर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद भुगतान न की गई हो तो चूककर्ता की संपत्ति पर प्रथम प्रभार होगी। ये देय पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (पी.एल.आर. अधिनियम)/राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (आर.आर. अधिनियम) जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू है, के अंतर्गत भू-राजस्व के बकायों के रूप में चूककर्ता से वसूलनीय है। राजस्व प्राधिकारी, राजस्व वसूली सर्टिफिकेट (आर.आर.सी.) जारी करता है तथा देयों की वसूली के लिए, यदि आवश्यक हो, तो संपत्ति/परिसंपत्ति की कुर्की तथा व्यापारी को कारावास दिलाना जैसे कानूनी कदम उठा सकता है। शीर्ष “0055-पुलिस” के अंतर्गत पुलिस विभाग में राजस्व के बकायों का संग्रहण पंजाब वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जाएगा।

राजस्व के बकायों के संग्रहण की प्रणाली की कारगरता मूल्यांकित करने हेतु राज्य में 21 जिलों में से सात² में चार विभागों³ (सात लेखा शीर्ष) के कार्यालयों के वर्ष 2012-13 से 2014-15 के अभिलेखों की नमूना-जांच जनवरी और मई 2016 के मध्य की गई।

¹ हरियाणा मूल्य वर्धित कर (एच.वी.ए.टी.) अधिनियम, 2003 की धारा 26, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 की धारा 17, पंजाब यात्री एवं माल कराधान (पी.जी.टी.) अधिनियम, 1952 की धारा 12, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 25, पंजाब उत्पाद अधिनियम, 1914 की धारा 60 तथा पंजाब विद्युत (शुल्क) (पी.ई.डी.) अधिनियम, 1958 की धारा 9.

² अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, रोहतक तथा सोनीपत।

³ मुख्य इलेक्ट्रीकल इंस्पेक्टर, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, पुलिस, आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा यात्री एवं माल कर)।

2.2.2 बकायों का प्रवाह/विश्लेषण

वसूली की धीमी प्रगति

2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के लिए, वर्ष के आरंभ में बकायों, वर्ष के दौरान वृद्धियों, की गई वसूलियों/अन्य समायोजनों, तीन वर्ष से अधिक पुराने बकायों तथा वर्ष की समाप्ति पर बकायों की स्थिति नीचे तालिका 2.2.2 में वर्णित अनुसार थी।

तालिका 2.2.2: विभिन्न लेखाशीर्षों के अंतर्गत बकायों की वसूली की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान जोड़े गए बकाया	कुल	वर्ष के दौरान डिमांड/ बकायों का संग्रहण तथा विलोपन	वर्ष के अंत में बकाया	तीन वर्षों से अधिक पुराने बकाया	कुल बकायों से बकायों के संग्रहण की प्रतिशतता कालम 6 से 7
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0039-राज्य उत्पाद शुल्क	2012-13	3,236.48	129.21	11.09	140.30	3.66	136.64	54.71	2.61
	2013-14	3,697.35	136.64	41.87	178.51	5.07	173.44	80.93	2.84
	2014-15	3,470.45	173.44	39.77	213.21	6.40	206.81	95.91	3.00
0040-बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	2012-13	15,376.58	3,405.08	1,203.74	4,608.82	709.64	3,899.18	2,371.32	15.40
	2013-14	16,774.33	3,899.18	4,000.29	7,899.47	1,977.37	5,922.10	3,143.78	25.03
	2014-15	18,993.25	5,922.10	3,963.96	9,886.06	2,443.02	7,443.04	2,593.70	24.71
0042-माल एवं यात्रियों पर कर	2012-13	470.76	92.20	110.66	202.86	109.03	93.83	46.07	53.75
	2013-14	497.45	93.83	122.85	216.68	114.81	101.87	48.05	52.99
	2014-15	527.07	101.87	155.10	256.97	132.94	124.03	46.99	51.73
0043-विद्युत पर कर एवं शुल्क	2012-13	191.96	129.39	172.61	302.00	163.32	138.68	129.39	54.08
	2013-14	219.20	138.68	201.33	340.01	190.15	149.86	138.68	55.92
	2014-15	239.74	149.86	217.25	367.11	207.75	159.36	149.86	56.59
0045- उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	2012-13	56.70	14.13	0.00	14.13	0.00	14.13	13.28	0.00
	2013-14	68.51	14.13	0.00	14.13	6.21	7.92	7.07	43.95
	2014-15	88.58	7.92	3.35	11.27	0.52	10.75	7.40	4.61
0055 -पुलिस	2012-13	63.73	13.72	6.13	19.85	6.94	12.91	8.11	34.96
	2013-14	80.38	12.91	93.62	106.53	0.00	106.53	8.11	0.00
	2014-15	67.82	106.53	1.36	107.89	0.00	107.89	8.19	0.00
0853-अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	2012-13	75.49	26.14	0.16	26.30	0.89	25.41	17.12	3.38
	2013-14	79.10	25.41	0.19	25.60	0.92	24.68	19.34	3.59
	2014-15	43.46	24.68	0.18	24.86	0.08	24.78	21.40	0.32
योग	2012-13	19,471.70	3,809.87	1,504.39	5,314.26	993.48	4,320.78	2,640.00	
	2013-14	21,416.32	4,320.78	4,460.15	8,780.93	2,294.53	6,486.40	3,445.96	
	2014-15	23,430.37	6,486.40	4,380.97	10,867.37	2,790.71	8,076.66	2,923.45	

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि वसूली की गति धीमी थी जिसके परिणामस्वरूप बकाया बढ़ गए। पांच लेखाशीर्षों⁴ के अंतर्गत कुल बकायों से वसूली की प्रतिशतता 0.32 तथा 43.95 प्रतिशत के मध्य थी जबकि शीर्ष 0042-माल एवं यात्रियों पर कर तथा 0043-विद्युत पर कर एवं शुल्क के अंतर्गत वसूली 50 प्रतिशत से अधिक थी। वर्ष 2012-13 के लिए शीर्ष 0045-उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क के अंतर्गत तथा शीर्ष 0055-पुलिस के अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए वसूली स्थिति की प्रतिशतता शून्य थी। कुल बकाया, अप्रैल 2012 में ₹ 3,809.87 करोड़ से बढ़कर मार्च 2015 में ₹ 8,076.66 करोड़ (112 प्रतिशत) हो गए हैं जिनमें से ₹ 2,923.45 करोड़ (36.20 प्रतिशत) तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया थे।

यह इंगित किए जाने पर (जनवरी एवं मई 2016), 11 उप आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (डी.ई.टी.सी.)/खनन अधिकारियों (एम.ओ.)⁵ ने सूचित किया कि धीमी वसूलियां स्टाफ की कमी, चूककर्त्ताओं के गलत पते, चूककर्त्ताओं की मृत्यु तथा बहुत पुराने वसूली के मामलों के कारण थी।

2.2.3 पंजाब भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूलनीय बकायों की घोषणा न करना

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 26 प्रावधान करती है कि राशियां जो भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद अभुगतान रहती है तो चूककर्त्ता की संपत्ति पर पहला प्रभार होगी तथा पंजाब भू-राजस्व (पी.एल.आर.) अधिनियम के अंतर्गत भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय होगी।

आबकारी एवं कराधान विभाग के 20 कार्यालयों⁶ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि कर-निर्धारण प्राधिकारियों (ए.ए.) ने ₹ 223.16 करोड़⁷ की मांग प्रस्तुत की तथा खान एवं भू-विज्ञान विभाग के पांच खनन अधिकारियों⁸ ने 2012 तथा 2015 के मध्य ₹ 1.20 करोड़ की मांग प्रस्तुत की। यद्यपि इन करदाताओं ने देय राशि विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर जमा नहीं करवाई थी, कर-निर्धारण प्राधिकारी/खनन अधिकारी, वसूलनीय बकायों को, पी.एल.आर. अधिनियम के अंतर्गत भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय घोषित करने में विफल रहे। इसी प्रकार, चीफ इलैक्ट्रीकल इंस्पेक्टर, हरियाणा भी 31 मार्च 2015 को ₹ 158.52 करोड़ के बकायों को पी.एल.आर. अधिनियम के अंतर्गत घोषित करने में विफल रहे।

⁴ 0039-राज्य उत्पाद शुल्क, 0040-बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर, 0045-मनोरंजन कर, 0055-पुलिस तथा 0853-खनन।

⁵ डी.ई.टी.सी. (उत्पाद शुल्क), अंबाला, फरीदाबाद, करनाल, सोनीपत, डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.), भिवानी, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत तथा खनन अधिकारी अंबाला, फरीदाबाद तथा गुड़गांव।

⁶ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, रोहतक, सोनीपत, डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.), अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, रोहतक, सोनीपत, डी.ई.टी.सी. (उत्पाद शुल्क), अंबाला, भिवानी, गुड़गांव, करनाल, रोहतक तथा सोनीपत।

⁷ बिक्री कर (₹ 102.72 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 67.15 करोड़) तथा यात्री एवं माल कर (₹ 53.29 करोड़)।

⁸ खनन अधिकारी भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल तथा रोहतक।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी./पी.जी.टी.) अंबाला ने इन मामलों का प्रभावकारी ढंग से अनुसरण करने का आश्वासन दिया (मार्च 2016)। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) करनाल, फरीदाबाद (पश्चिम), डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.)/उत्पाद शुल्क), खनन अधिकारियों⁹ ने सूचित किया (जनवरी से मार्च 2016) कि ₹ 176.11 करोड़ के लंबित बकायों को वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। चीफ इलेक्ट्रीकल इंस्पेक्टर, हरियाणा ने बताया (जून 2016) कि बकाया, बुक समायोजन के रूप में समायोजित किए जाने थे तथा पी.एल.आर. अधिनियम के अंतर्गत नहीं। विभाग का उत्तर सही नहीं था क्योंकि बकाया, पंजाब विद्युत (शुल्क) (पी.ई.डी.) अधिनियम की धारा 9 के अनुसार भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल किए जाने थे। शेष आठ कार्यालयों से ₹ 48.25 करोड़ की देय राशि के लिए कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2016)।

2.2.4 कुर्क की गई संपत्ति का निपटान न करना

पी.एल.आर. अधिनियम की धारा 67 चूककर्त्ताओं की कुर्क की गई संपत्ति के निपटान का प्रावधान करती है:

तीन विभागों¹⁰ में सात कार्यालयों¹¹ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि 31 मामलों में मार्च 2015 तक ₹ 207.26 करोड़ के बकाया वसूली के लिए देय थे। नोटिस जारी करने के बाद, जुलाई 1992 तथा अगस्त 2015 के मध्य बकाया, भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय घोषित कर दिए गए तथा 29 मामलों में चूककर्त्ताओं की संपत्ति जुलाई 1992 तथा जून 2015 के मध्य कुर्क कर ली गई। चार मामलों में व्यापारी, संपत्ति की कुकी के बाद परिसमापन में चले गए जबकि छः मामलों में संपत्ति का भौतिक स्वामित्व पंजाब नेशनल बैंक के पास था। चार मामलों में नीलामी के लिए ई.टी.सी. कार्यालय से अनुमति ली जा रही थी जबकि शेष मामलों में कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। दो मामलों में, चूककर्त्ताओं की संपत्ति कुर्क नहीं की गई क्योंकि कथित संपत्ति पहले से ही अन्य वित्तीय संस्था द्वारा कुर्क की हुई थी। इस प्रकार, कुर्क संपत्ति की नीलामी में एक वर्ष और 24 वर्षों के मध्य विलंब तथा कुर्क करने/कुर्क की गई संपत्ति की नीलामी करने में समयपूर्व कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप ₹ 207.26 करोड़ के बकाया संचित हो गए।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (उत्पाद शुल्क) रोहतक ने बताया (जून 2016) कि कुर्क संपत्ति की नीलामी करने के लिए आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा से अनुमति ली जा रही थी। खनन अधिकारी, सोनीपत ने बताया (मार्च 2016) कि कुर्क संपत्ति नीलाम करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। शेष कार्यालयों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2016)।

⁹ डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत, डी.ई.टी.सी. (उत्पाद शुल्क) अंबाला, गुड़गांव, करनाल, रोहतक, सोनीपत तथा खनन अधिकारी भिवानी, फरीदाबाद तथा गुड़गांव।

¹⁰ बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क एवं खनन।

¹¹ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) भिवानी, फरीदाबाद, (पश्चिम), करनाल, रोहतक, सोनीपत, डी.ई.टी.सी. (उत्पाद शुल्क), रोहतक तथा खनन अधिकारी, सोनीपत।

2.2.5 नकली फार्मों के विरुद्ध मांग का विलापन

हरियाणा सरकार द्वारा 14 मार्च 2006 तथा 16 जुलाई 2013 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार राज्य के भीतर तथा अन्तर्राज्य ₹ एक लाख से अधिक के लेन-देन, व्यापारी को कर/रियायत का लाभ अनुमत करने से पूर्व सत्यापित किए जाने चाहिए। आगे, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सी.एस.टी. अधिनियम) की धारा 5 (3), 6ए तथा 8 (4) घोषणा फार्मों क्रमशः एच., एफ., ई-1 तथा सी के विरुद्ध की गई बिक्रियों पर कर की शून्य/रियायती दर लगाने का प्रावधान करती है। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, कर भुगतान से बचने के लिए गलत लेखे/सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने पर पेनल्टी उद्ग्राह्य है। घोषणा फार्मों के विरुद्ध रियायत का लाभ केवल फार्मों की मूल प्रति के विरुद्ध अनुमत्य है।

बिक्री कर के चार कार्यालयों¹² के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने 10 डीलरों के कर-निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा 2012-13 के लिए कर-निर्धारण (रैक्टीफिकेशन) नवंबर 2013 तथा मार्च 2015 के मध्य अंतिमकरण किए गए तथा फार्म 'एफ' तथा 'सी' के विरुद्ध रियायती दर पर ₹ 23.93 करोड़ की कन्साइनमेंट सेल/इंटर-स्टेट सेल का लाभ अनुमत कर दिया तथा ₹ 1.86 करोड़ के बकाया को समाप्त कर दिया। लेखापरीक्षा द्वारा कर सूचना विनिमय प्रणाली (टिनएक्सएसवाईएस)/संबंधित प्राधिकारियों से जांच पर, कथित फार्म सही नहीं पाए गए। ऐसे झूठी घोषणाओं के विरुद्ध कन्साइनमेंट सेल/कर की रियायती दर का लाभ अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.86 करोड़ के बकायों का विलापन हुआ। इसके अतिरिक्त, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत ₹ 5.57 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

2.2.6 बकायों का अनियमित विलोपन/छिपाव

जब कभी कोई वसूली की जाती है बकायों की राशि कम की जाती है। आगे, वांछित घोषणा पत्रों इत्यादि के प्रस्तुतिकरण के कारण यदि कोई मांग कम की जाती है, अतिरिक्त देय मांग उस सीमा तक समाप्त की जाती है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), सोनीपत तथा गुड़गांव (पूर्व) के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि 125 मामलों में कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2007-08 तथा 2013-14 के लिए अगस्त 2012 तथा मार्च 2015 के मध्य कर-निर्धारण का अंतिमकरण किया तथा ₹ 174.88 करोड़ की अतिरिक्त मांग प्रस्तुत की तथा बाद में बकायों के विलोपन हेतु कारण रिकार्ड किए बिना बकायों की सूची से कथित मांग विलुप्त कर दी। बकायों की मांग न तो वसूल/अन्य वार्ड्स को अंतरित की हुई दर्शाई गई और न ही वसूली की सूची में मांग विलोपित की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 174.88 करोड़ के बकायों का अनियमित विलोपन/छिपाव हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2016)।

¹² डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), भिवानी, फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पूर्व) तथा रोहतक।

2.2.7 अनुवर्ती कार्रवाई करने में विफलता

व्यापारी द्वारा देय तिथि के बाद भुगतान न किए गए कर, ब्याज तथा पेनल्टी की राशि पी.एल.आर. अधिनियम के अंतर्गत भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय घोषित की जानी होती है तथा आर.आर. अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अनुसार आर.आर.सी. जारी करके वसूल की जानी होती है। विभाग के बकायों की वसूली के लिए पी.एल.आर. अधिनियम, 1887 की धारा 68, 69 तथा 70 के अंतर्गत डी.ई.टी.सी. के पास कलैक्टर के अधिकार हैं। जब कर-निर्धारण प्राधिकारी, चूककर्त्ता से, उसके व्यापार के बंद होने तथा राज्य के अंदर या बाहर किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरण के कारण देयों को वसूल करने में असमर्थ रहता है तो डी.ई.टी.सी. (कलैक्टर) द्वारा भू-राजस्व के रूप में देयों की वसूली के लिए राज्य के अंदर या राज्य से बाहर संबंधित जिले के डी.ई.टी.सी.-सह-कलैक्टर/राजस्व प्राधिकारी {उपायुक्त (डी.सी.)} को आर.आर.सी. भेजी जानी अपेक्षित है।

चार विभागों¹³ में 21 कार्यालयों¹⁴ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि ए.ए.ज/एम.ओ.ज ने ₹ 72.33 करोड़ के बकाया (₹ 62.07 करोड़ अन्तर्राज्य बकाया तथा ₹ 10.26 करोड़ अन्तर्जिला बकाया) भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली हेतु घोषित किए तथा दिसंबर 2007 एवं मार्च 2016 के मध्य आर.आर.सी. जारी किए। ए.ए.ज/एम.ओ.ज द्वारा संबंधित राजस्व अधिकारियों के साथ आर.सी. प्रभावकारी ढंग से अनुसरित किए जाने अपेक्षित थे। तथापि, बकायों को वसूल करने के लिए कोई अनुवर्तन कार्रवाई नहीं की गई थी।

आगे तीन विभागों¹⁵ के 20 कार्यालयों में ₹ 94.23 करोड़¹⁶ के भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु बकाया उसी जिले के अंदर बकाया थे। इसमें से, ₹ 84.28 करोड़ आबकारी एवं कराधान विभाग से संबंधित हैं। देयों की वसूली के लिए डी.ई.टी.सी. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी.ज (एस.टी./आबकारी/पी.जी.टी.) तथा एम.ओ.ज¹⁷ ने जनवरी तथा मई 2016 के मध्य सूचित किया कि सरकारी देयों को वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। शेष छः कार्यालयों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

¹³ बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, यात्री एवं माल कर तथा खनन।

¹⁴ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, रोहतक, सोनीपत, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, रोहतक, सोनीपत, डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) रोहतक एवं खनन अधिकारी, अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल तथा सोनीपत।

¹⁵ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), डी.ई.टी.सी. (राज्य उत्पाद शुल्क) तथा खनन।

¹⁶ बिक्री कर (₹ 58.35 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 25.93 करोड़) तथा खनन (₹ 9.95 करोड़)।

¹⁷ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), फरीदाबाद, डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.), रोहतक, डी.ई.टी.सी. (आबकारी), अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, रोहतक तथा खनन अधिकारी, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव तथा सोनीपत।

2.2.8 ब्याज का अनुद्ग्रहण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 23 (1) ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान करती है, यदि मांग नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि, नोटिस जारी करने के पश्चात् तीस दिनों के अंदर जमा नहीं करवाई जाती।

(i) डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के तीन कार्यालयों¹⁸ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि तीन मामलों में वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिए ₹ 124.78 करोड़ की अतिरिक्त मांग सितंबर 2010 तथा मार्च 2015 के मध्य सृजित की गई। ए.ए.ज ने वसूली के लिए नोटिस जारी किए तथा बकायों को, पी.एल.आर. अधिनियम के अंतर्गत भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय घोषित किया। इतने में, करदाता परिसमापन में चले गए। परिसमापक अधिकारी के पास दावा अग्रपिहित करते समय (सितंबर 2014 तथा मई 2016 के मध्य) ए.ए.ज ने ₹ 23.51 करोड़ के ब्याज की राशि शामिल करने में विफल रहे तथा ₹ 0.07 करोड़ के कम दावे प्रस्तुत किए गए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.58 करोड़ का दावा कम प्रस्तुत हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. फरीदाबाद (पश्चिम) तथा रोहतक ने बताया (मार्च तथा जुलाई 2016) कि ₹ 19.20 करोड़ के ब्याज की मांग परिसमापक अधिकारी को भेज दी गई थी। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुड़गांव से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2016)।

(ii) छः कार्यालयों¹⁹ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि 96 मामलों में डीलरों ने 33 दिनों से 10 वर्षों के मध्य देरी के साथ ₹ 14.38 करोड़ की मांग जमा करवा दी थी परंतु न तो डीलरों ने ब्याज जमा करवाया और न ही ए.ए. ने मांग प्रस्तुत की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.86 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण/अवसूली हुई।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रोहतक ने बताया (अगस्त 2016) कि एक मामले में ₹ 3.28 लाख की मांग सृजित की गई थी। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), अंबाला ने बताया (अगस्त 2016) कि वसूली का नोटिस डीलर को जारी कर दिया गया था। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुड़गांव ने बताया (अगस्त 2016) कि चार मामलों में कार्यवाही करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई थी। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पश्चिम) करनाल तथा सोनीपत से ₹ 77.30 लाख के बकाया ब्याज के लिए कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2016)।

2.2.9 बकायों के गलत आंकड़े

किसी परवर्ती वर्ष के दौरान वसूली के कारण जब बकाया कम किए जा सकते हैं, तो पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित पुराने बकायों में वृद्धि नहीं हो सकती। चार कार्यालयों²⁰ के पुराने बकायों की विवरणी से वर्ष 2011-12 से 2014-15 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया

¹⁸ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव तथा रोहतक।

¹⁹ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पूर्व), करनाल, रोहतक तथा सोनीपत।

²⁰ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), भिवानी, फरीदाबाद (पश्चिम), रोहतक तथा सोनीपत।

कि वर्ष 2002-03 से 2013-14 के पुराने बकायों के वर्षवार ब्यौरे ₹ 58.30 करोड़ से

₹ 199.48 करोड़ तक बढ़कर मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 257.78 करोड़ हो गए। इस प्रकार बकायों के आंकड़े प्रामाणिक नहीं थे।

अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

2.2.10 अभिलेखों का न रखना/अप्रस्तुतिकरण

ई.टी.सी. द्वारा 27 दिसंबर 2005 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक मामले में, जैसे ही मांग बकाया में जाती है, एक पृथक वसूली फाईल बनाई जानी चाहिए। वसूली कार्रवाई, वसूली फाईल में रिकार्ड की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने सात डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान ₹ 636.69 करोड़ के बकायों से आवेष्टित 1,552 वसूली फाइलों की मांग की थी जिनमें से ₹ 480.77 करोड़ के बकायों से आवेष्टित 1,115 फाइलें प्रस्तुत की गईं। ₹ 155.92 करोड़ के बकायों से आवेष्टित शेष 437 फाइलें लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गईं।

कर-निर्धारण फाइलों/बकायों की सूची की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 102.72 करोड़ के बकायों से आवेष्टित 334 मामलों में पृथक वसूली फाइलें नहीं बनाई गई थी। आगे, 334 मामलों में से, ₹ 61.51 करोड़ के बकायों से आवेष्टित 149 मामलों में डिमांड नोटिस (वैट एन-4) जारी नहीं किए गए। इसी प्रकार, राज्य उत्पाद शुल्क, यात्री एवं माल कर तथा खनन विभागों के दस कार्यालयों²¹ में वसूली फाइलें भी नहीं बनाई गई थी। रिकवरी फाइलों/अभिलेखों के रख-रखाव की इस घटिया स्थिति ने राजस्व बकायों की वसूली प्रभावी ढंग से मानीटर तथा अनुसरण में विभागों की योग्यता का अवमूल्यांकन किया।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. गुड़गांव (पश्चिम) ने बताया (मई 2016) कि नोटिस वैट एन-4 जारी किए जाएंगे, रिकवरी फाइलें बनाई जाएंगी तथा पुराने बकायों को वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी. तथा आबकारी) एवं एम.ओज ने बताया (फरवरी तथा मई 2016) कि कोई पृथक रिकवरी फाइलें नहीं बनाई गई थी।

2.2.11 निष्कर्ष

इस प्रकार, राजस्व के बकायों के अपर्याप्त अनुसरण के परिणामस्वरूप अप्रैल 2012 में ₹ 3,809.87 करोड़ से मार्च 2015 में ₹ 8,076.66 करोड़ तक 112 प्रतिशत तक बकायों की वृद्धि हो गई। कर-निर्धारण प्राधिकारी एवं राजस्व वसूली अधिकारी, अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने में विफल रहे तथा ₹ 382.88 करोड़ के बकाया पी.एल.आर. अधिनियम के अंतर्गत वसूलनीय घोषित नहीं किए गए जबकि कुर्क की गई प्रोपर्टी का निपटान न करने के कारण ₹ 207.26 करोड़ वसूल नहीं किए जा सके। ₹ 1.86 करोड़ की मांग नकली रियायती फार्मों के विरुद्ध कम कर दी गई

²¹ डी.ई.टी. (आबकारी) फरीदाबाद, करनाल, सोनीपत, डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) अंबाला, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत तथा खनन अधिकारी, अंबाला, भिवानी तथा गुड़गांव।

तथा वहां ₹ 174.88 करोड़ के बकायों का छिपाव हुआ। ₹ 166.56 करोड़ के बकाया, अनुवर्ती कार्रवाई न करने के कारण वसूल नहीं किए जा सके। ₹ 26.37 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया गया। वसूली फाइलों के सही न बनाने से वसूली प्रयास तथा उनकी प्रभावी मानीटरिंग अवमूल्यांकित हुई।

उपर्युक्त उपलब्धियां सरकार को जून 2016 में प्रतिवेदित की गई थी; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

2.3 इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति

विक्रेता डीलर द्वारा किए गए कर के भुगतान का सत्यापन किए बिना कर-निर्धारण प्राधिकारी ने गलती से ₹ 96.39 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुमत कर दिया। इसके अतिरिक्त ₹ 2.89 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य है।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 8 के अनुसार, एक वैट डीलर द्वारा खरीदे गए किसी माल के संबंध में इनपुट टैक्स, उसको ऐसे माल की बिक्री पर राज्य को भुगतान की गई कर की राशि होगी। ई.टी.सी. हरियाणा ने, कर के वास्तविक भुगतान की स्थिति तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का सत्यापन अनिवार्य करते हुए जुलाई 2013 में निर्देश जारी किए। आगे, अधिनियम की धारा 38, दस्तावेजों, गलत सूचना तथा गलत लेखाओं के आधार पर दावों के लिए दंडिक कार्रवाई (बचाया गया टैक्स/दावा किया गया लाभ तथा तीन गुणा पेनल्टी) के लिए प्रावधान करती है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) डी.ई.टी.सी. {(एस.टी.)} पंचकूला के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितंबर 2015) ने प्रकट किया कि कर-निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए संवीक्षा स्कीम के अंतर्गत एक डीलर का कर-निर्धारण किया गया (मार्च 2015)। डीलर ने, कुरुक्षेत्र जिले के एक डीलर से 13.125 प्रतिशत की दर पर ₹ 7.34 करोड़ मूल्य के क्रय दर्शाए थे तथा ₹ 96.39 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) के लाभ का दावा किया। कर-निर्धारण प्राधिकारी (ए.ए.) ने विक्रेता डीलर द्वारा किए गए कर भुगतान का सत्यापन किए बिना ₹ 96.39 लाख के आई.टी.सी. का लाभ अनुमत कर दिया। लेखापरीक्षा द्वारा जांच करने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कुरुक्षेत्र ने सूचित किया कि 2011-12 के दौरान विक्रेता डीलर ने पंचकूला डीलर को बिक्री नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 96.39 लाख के आई.टी.सी. की गलत अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त ₹ 2.89 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पंचकूला ने उत्तर दिया (फरवरी 2016) कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई हेतु भेज दिया गया था।

मामला सरकार को मार्च 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

2.4 सरचार्ज का अनुद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने वैट के अंतर्गत ₹ 38.16 करोड़ के कर के पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज उद्गृहीत नहीं किया परिणामस्वरूप 61 मामलों में ₹ 1.91 करोड़ के सरचार्ज का अनुद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (ए) के अनुसार, 2 अप्रैल 2010 से कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज के रूप में अतिरिक्त कर उद्ग्राह्य था। हरियाणा सरकार ने भी स्पष्ट किया था (10 फरवरी, 2014) कि निर्माण ठेकेदार, जिन्होंने कर की एवज में एकमुश्त भुगतान का विकल्प दिया है, तत्रैव, अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत सरचार्ज की देयता निभाने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के छः कार्यालयों²² के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (नवंबर 2014 एवं जून 2015) ने प्रकट किया कि ए.ए.ज ने, वर्ष 2010-11 से 2011-12 के लिए 61 मामलों में कर-निर्धारण अंतिम करते समय (अप्रैल 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य) ₹ 941.64 करोड़ के करयोग्य टर्नओवर पर चार/पांच प्रतिशत की दर पर ₹ 38.16 करोड़ का कर परिकलित किया परंतु ₹ 38.16 करोड़ की कर राशि की पांच प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त कर उद्गृहीत नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ के सरचार्ज का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, तीन डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)²³ ने बताया (अगस्त 2015 से जुलाई 2016 के मध्य) कि 32 मामलों में ₹ 0.72 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। डी.ई.टी.सी. सिरसा ने बताया (जुलाई 2016) कि ₹ 1.49 करोड़ की अतिरिक्त मांग एक मामले में सृजित की गई थी लेकिन डीलर ने इस आदेश के विरुद्ध, माननीय हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर की। डी.ई.टी.सी., जगाधरी तथा पलवल ने बताया कि 10 मामले पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई हेतु भेज दिए गए थे। एक मामले में, ए.ए. फरीदाबाद (पश्चिम) ने जनवरी 2016 में बताया कि डीलर ने नगर निगम (एम.सी.) फरीदाबाद का काट्रेक्ट कार्य किया था तथा एम.सी. कार्यालय द्वारा सरचार्ज की कटौती नहीं की गई। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ए.ए.ज द्वारा, मामले का कर-निर्धारण करते समय सरचार्ज उद्गृहीत किया जाना अपेक्षित था। ए.ए. रेवाड़ी ने मार्च 2016 में बताया कि सभी 17 मामलों में, आदेशों में सुधार कर दिया गया है तथा कर तदनुसार उद्गृहीत किए गए हैं। वसूली की आगे प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2016)।

मामला सरकार को मार्च 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

²² फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पूर्व), पलवल, रेवाड़ी, सिरसा तथा जगाधरी।

²³ फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पूर्व) तथा जगाधरी।

2.5 परिगणना त्रुटि के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 4.53 करोड़ की सही राशि की बजाए ₹ 2.74 करोड़ का कर उद्गृहीत किया परिणामस्वरूप परिगणना त्रुटि के कारण ₹ 1.79 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत, कोई कर लगाने वाले प्राधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी, किसी मामले में, उसके द्वारा पारित आदेश की प्रति की आपूर्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के भीतर किसी समय, प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् मामले के अभिलेखों से स्पष्ट लिपिकीय अथवा गणितीय त्रुटि को सुधार सकता है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पश्चिम), पंचकूला एवं रोहतक के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (दिसंबर 2014 तथा अगस्त 2015) ने प्रकट किया कि तीन डीलरों ने 2011-12 के दौरान ₹ 74.97 करोड़ मूल्य की बिक्री की थी। ए.ए.ए. ने, नवंबर 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय ₹ 4.53 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 2.74 करोड़ का कर उद्गृहीत किया परिणामस्वरूप ₹ 1.79 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. फरीदाबाद ने जनवरी 2016 में बताया कि त्रुटि सुधार दी गई थी। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रोहतक ने जुलाई 2016 में बताया कि ₹ 2.65 करोड़ का कर वसूल करने के लिए पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 72 के अंतर्गत वारंट जारी करके करदाता की फैक्टरी भूमि कुर्क कर ली गई थी। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पंचकूला ने जुलाई 2016 में बताया कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई हेतु भेज दिया गया था। आगे वसूली की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2016)।

मामला सरकार को मार्च 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

2.6 गलत वर्गीकरण के कारण कर का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण

सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरणों का अनुपालन न करने तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.49 करोड़ के कर तथा ₹ 88.58 लाख के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (1) (ए) (iv) के अंतर्गत माल के वर्गीकरण के आधार पर अधिनियम की 'ए' से 'जी' तक की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दरों पर कर उद्ग्रहण है। उपर्युक्त अनुसूचियों में वर्गीकृत न की गई मर्चें पर, 1 जुलाई 2005 से 12.5 प्रतिशत कर की सामान्य दर पर कर उद्ग्रहण है। आगे, 02 अप्रैल 2010 से कर के पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी उद्ग्रहण था। इसके अतिरिक्त, कर के भुगतान में चूक के मामले में, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्रहण था।

2.6.1 सरकार ने 25 मार्च 2013 को स्पष्ट किया कि सभी प्रकार के टैक्सटाइल्स, जिन पर मूल्य बढ़ाने वाला कार्य जैसे बुनाई, कढ़ाई किया गया है, 12.5 प्रतिशत कर की सामान्य दर पर अवर्गीकृत माल के रूप में उद्ग्राह्य था तथा 02 अप्रैल 2010 से कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी उद्ग्राह्य था। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) झज्जर तथा गुड़गांव के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितंबर तथा नवंबर 2015) ने प्रकट किया कि दो डीलरों ने 2012-13 के दौरान ₹ 7.55 करोड़ के कढ़ाई किए गए फैब्रिक्स बेचे तथा माल का करमुक्त के रूप में दावा किया। ए.ए. ने अक्टूबर तथा नवंबर 2014 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की अनुसूची 'बी' के अंतर्गत इसे करमुक्त माल के रूप में मानते हुए कटौतियां अनुमत कर दी। तथापि, कढ़ाई किए गए फैब्रिक्स, किसी अनुसूची में वर्गीकृत न होने के कारण 12.5 प्रतिशत तथा सरचार्ज की दर पर करयोग्य हैं। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 99.15 लाख की राशि के वैट का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 39.54 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुड़गांव (पूर्व) ने जुलाई 2016 में बताया कि ₹ 89.05 लाख की मांग सृजित की गई थी। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), झज्जर ने जुलाई 2016 में बताया कि जुलाई 2004 की अधिसूचना के अंतर्गत टैक्सटाइल एवं टैक्सटाइल वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (ए.ई.डी.) की छूट के पश्चात् कढ़ाई किए गए फैब्रिक्स एच.वी.ए.टी. अधिनियम की अनुसूची बी की प्रविष्टि 52 के अंतर्गत होने के कारण करमुक्त था। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि टैक्सटाइल पर ए.ई.डी. अप्रैल 2011 में समाप्त कर दी गई थी तथा यहां उल्लिखित कढ़ाई किया गया फैब्रिक्स वर्ष 2012-13 से संबंधित है जो मार्च 2013 में स्पष्टीकरण के अनुसार करयोग्य था।

2.6.2 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) झज्जर (बहादुरगढ़) के कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया (नवंबर 2014) कि एक डीलर ने वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 96.61 लाख मूल्य की मिट्टी (सोयल) आपूरित की तथा करमुक्त बिक्रियों का दावा किया। ए.ए. ने, नवंबर 2013 में कर-निर्धारण अंतिम करते समय मिट्टी (सोयल) होने के कारण अवर्गीकृत मद के संबंध में यथा लागू 13.125 प्रतिशत की दर पर कर लगाने के बजाय इसे अनुमत कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 12.68 लाख की राशि के कर एवं सरचार्ज का उद्ग्रहण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 6.59 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था। यह इंगित किए जाने पर, ई.टी.ओ. (झज्जर) (बहादुरगढ़) ने जुलाई 2016 में बताया कि मामला पुनरीक्षण अधीन था (अक्टूबर 2016)।

2.6.3 सरकार ने 23 जून 2014 को स्पष्ट किया कि पनीर अवर्गीकृत मद है तथा 12.5 प्रतिशत कर की सामान्य दर पर अवर्गीकृत माल के रूप में वैट तथा 2 अप्रैल 2010 से उद्ग्राह्य कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज हेतु दायी था। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) जींद तथा पंचकूला के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया (अगस्त तथा अक्टूबर 2015) कि दो डीलरों ने वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान ₹ 6.79 करोड़ मूल्य का पनीर विक्रय किया तथा पांच प्रतिशत जमा सरचार्ज की दर पर कर भुगतान किया। ए.ए. ने भी मार्च 2014 तथा मार्च 2015 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय, सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार 12.5 प्रतिशत की सही दर पर जमा सरचार्ज के बजाय पांच प्रतिशत की

दर पर कर एवं सरचार्ज उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 53.44 लाख की राशि के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 35.36 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) जींद ने मार्च 2016 में बताया कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। ई.टी.ओ. (पंचकूला) ने जुलाई 2016 में बताया कि ₹ 44.50 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी तथा राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

2.6.4 सरकार ने 18 जुलाई 2013 को स्पष्ट किया कि माल प्रयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण करयोग्य इवेंट है तथा माल प्रयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण पर लागू दर, ऐसे माल की बिक्री पर लागू दर है। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पंचकूला (सितंबर 2015) के कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि एक डीलर ने वर्ष 2011-12 से 2012-13 के दौरान ₹ 1.87 करोड़ मूल्य के वाहन पट्टे पर दिए थे तथा पांच प्रतिशत की दर पर कर एवं सरचार्ज का भुगतान किया। ए.ए. ने सितंबर 2013 तथा अगस्त 2014 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय, 12.5 प्रतिशत कर एवं सरचार्ज की सही दर की बजाय पांच प्रतिशत की दर पर कर एवं सरचार्ज उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.70 लाख की राशि के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 6.89 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था। यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. पंचकूला ने जुलाई 2016 में बताया कि मामले डी.ई.टी.सी. (निरीक्षण) अंबाला को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिए गए थे।

2.6.5 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सोनीपत के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (मई 2014) कि एक डीलर ने वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 8.72 करोड़ मूल्य के औद्योगिक फिल्टरज/मशीनरी पार्ट्स बेचे तथा चार/पांच प्रतिशत की दर पर कर एवं सरचार्ज परिगणित किया। ए.ए. ने भी, नवम्बर 2013 में कर-निर्धारण अंतिम करते समय, अवर्गीकृत मद के संबंध में यथा लागू 12.5 प्रतिशत कर एवं सरचार्ज की सही दर की बजाय चार/पांच प्रतिशत की दर पर कर एवं सरचार्ज उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 68.86 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), सोनीपत ने जनवरी 2016 में बताया कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही करने के लिए भेज दिया गया था।

उपर्युक्त मामले सरकार को अप्रैल/मई 2016 में प्रतिवेदित किए गए थे; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

2.7 विशेष आर्थिक जोन यूनिटों को बिक्री की गलत कटौती के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने डीलर, जिसने एक डेवेलपर को सामग्री बेची थी, को विशेष आर्थिक जोन बिक्री के विचार से ₹ 2.76 करोड़ की कटौती अनुमत कर दी परिणामतः ₹ 36.26 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 30.46 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

सरकार ने 12 फरवरी 2013 को स्पष्ट किया कि एक विशेष आर्थिक जोन (सैज) के डेवेलपर/सह-डेवेलपर को बिक्री कर के उद्ग्रहण से छूट नहीं है, सैज एरिया में एक यूनिट स्थापित करने पर केवल व्यक्तिगत डीलर को छूट है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पंचकूला के कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितंबर 2015) ने प्रकट किया कि एक डीलर ने वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 2.76 करोड़ मूल्य के तैयार मिक्स कंक्रीट एक डेवेलपर को बेचे। ए.ए. ने, मार्च 2015 में डीलर का कर-निर्धारण अंतिम करते समय, सैज सेल के विचार से ₹ 2.76 करोड़ की कटौती अनुमत कर दी। सैज यूनिट को सेल की कटौती, डीलर, जिसने डेवेलपर को सामग्री बेची थी, को गलती के अनुमत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 36.26 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 30.46 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर, आबकारी एवं कराधान अधिकारी, पंचकूला ने बताया (जुलाई 2016) कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी (आर.ए.) को भेजा गया था जिसने ₹ 38.03 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की (अप्रैल 2016)। तथापि, डीलर ने माननीय हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दर्ज की थी (मई 2016) जो लंबित थी (अक्टूबर 2016)।

मामला सरकार को मार्च 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

2.8 बिक्रियों के छिपाव के कारण कर का अपवंचन

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुड़गांव (पश्चिम) के एक डीलर ने ₹ 1.12 करोड़ मूल्य की बिक्रियां छिपाई और 12.5 प्रतिशत की दर पर ₹ 14.05 लाख के कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। इसके अतिरिक्त, ₹ 42.15 लाख की अनिवार्य पेनल्टी भी बिक्रियों के छिपाव पर उद्ग्राह्य थी।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों राज्य में आयातों या माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे तथा गलत लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित किए गए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जिसमें किसी सामग्री के विवरण झूठे या गलत हैं, ऐसा प्राधिकारी उसे, कर जो उस पर निर्धारित किया जाता है या निर्धारित किया जाना दायी है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निदेश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा या सही स्वीकार कर लिया जाता।

डी.ई.टी.सी. (पूर्व), गुड़गांव के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अक्टूबर 2014) ने प्रकट किया कि एक डीलर ने डी.ई.टी.सी. (पश्चिम) में पंजीकृत एक डीलर से ₹ 1.12 करोड़ मूल्य के बजरी, ईटें एवं रेत खरीदा तथा 2009-10 में उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया। परंतु डी.ई.टी.सी. (पश्चिम) के अंतर्गत विक्रेता डीलर ने उस अवधि के लिए शून्य रिटर्नज फाईल की थी तथा अपनी बिक्रियों में ये माल शामिल नहीं किया था। इस प्रकार, डी.ई.टी.सी. गुड़गांव (पश्चिम) के डीलर ने ₹ 1.12 करोड़ मूल्य की बिक्रियां छिपाई थी तथा 12.5 प्रतिशत की दर पर ₹ 14.05 लाख का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। इसके अतिरिक्त, ₹ 42.15 लाख की अनिवार्य पेनल्टी भी बिक्रियों के छिपाव पर उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. गुड़गांव (पश्चिम) ने जुलाई 2016 में बताया कि मामले में पुनः कर-निर्धारण किया गया था तथा ₹ 57.62 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी तथा डीलर ने पुनः कर-निर्धारण के विरुद्ध संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (अपील), फरीदाबाद के समक्ष अपील फाईल की थी।

मामला सरकार को मई 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

2.9 ब्याज का अनुद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने दो मामलों में ₹ 53.91 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की परंतु ₹ 45.28 लाख का ब्याज उद्ग्रहण करने में विफल रहे।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम का सैक्शन 14 (6) निर्धारित करता है कि यदि कोई डीलर कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो यदि भुगतान नब्बे दिनों के अंदर किया जाता है तो एक प्रतिशत प्रति माह की दर पर, तथा चूक नब्बे दिनों के बाद जारी रहती है तो समस्त अवधि के लिए, कर के भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम अवधि से उसके भुगतान करने की तिथि तक दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर साधारण ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पंचकूला तथा कुरुक्षेत्र के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मई तथा सितंबर 2015) ने प्रकट किया कि ए.ए.ज ने दो मामलों में मार्च 2015 में वर्ष 2011-12 के लिए कर-निर्धारण अंतिम किए तथा ₹ 53.91 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की परंतु रिटर्न के साथ कर का भुगतान न करने पर ब्याज उद्ग्रहीत नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2015 तक परिगणित ₹ 45.28 लाख (₹ 33.85 लाख + ₹ 11.43 लाख) के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पंचकूला ने बताया (जुलाई 2016) कि ₹ 47.54 लाख²⁴ का ब्याज उद्ग्रहीत कर लिया गया है परंतु डीलर ने जे.ई.टी.सी. (ए) अंबाला के समक्ष इस आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की थी। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), कुरुक्षेत्र ने जुलाई 2016 में बताया कि ₹ 13.07 लाख का ब्याज उद्ग्रहीत कर लिया गया है। आगे वसूली की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2016)।

मामला सरकार को अप्रैल 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

²⁴ ए.ए. पंचकूला ने ₹ 49.01 लाख (01-04-2012 से 31-12-2015) के देय कर पर ₹ 47.54 लाख का ब्याज उद्ग्रहीत किया। परन्तु ब्याज की परिगणना करने से पूर्व देय कर से ₹ 8.70 लाख के अधिक आगे ले जाने की कटौती नहीं की।

2.10 बिक्री न किए गए माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ

₹ 3.91 करोड़ मूल्य के इयूटी एवं एनटाइटलमेंट पासबुक (डी.ई.पी.बी.)/आयात लाइसेंस का क्रय, जो पुनः बिक्री के लिए प्रयुक्त किए जाने होते हैं, भुगतान योग्य कस्टम इयूटी के विरुद्ध गलत ढंग से समायोजित करने हेतु अनुमत कर दिए गए परिणामतः डीलर को ₹ 20.55 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति हुई।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 की धारा 8 के अनुसार, माल के क्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.), ऐसे माल की बिक्री अथवा राज्य में उससे विनिर्मित माल अथवा अन्तर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य पर कर-देयता के विरुद्ध अनुमत है। सरकार ने स्पष्ट भी किया था (22 अप्रैल 2013) कि आई.टी.सी. केवल तभी उपलब्ध है यदि इयूटी क्रेडिट्स सक्रिप्स (सक्रिप्स) पुनः बिक्री के लिए खरीदे जाते हैं तथा यदि ये कस्टम इयूटी के समायोजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो कोई आई.टी. अनुमत नहीं होगा।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), झज्जर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (दिसंबर 2014 तथा दिसंबर 2015) ने प्रकट किया कि एक डीलर ने 2010-11 से 2012-2013 के दौरान ₹ 20.55 लाख के वैट के भुगतान के बाद ₹ 3.91 करोड़ मूल्य के इयूटी एनटाइटलमेंट पास बुक (डी.ई.पी.बी.)/आयात लाइसेंस क्रय किया। डीलर ने उसे, उसके द्वारा देय कस्टम इयूटी के समायोजन के लिए प्रयोग किया। चूंकि डीलर द्वारा माल (सक्रिप्स) बेचे नहीं गए थे, कोई आई.टी. अनुमत नहीं था। तथापि, मई 2013 तथा नवंबर 2014 के मध्य इन मामलों में कर-निर्धारण अंतिम करते समय ए.ए. ने डीलर को आई.टी.सी. दावे अनुमत कर दिए परिणामतः ₹ 20.55 लाख के आई.टी.सी. की गलत अनुमति हुई।

यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), झज्जर ने बताया (जुलाई 2016) कि मामले पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई हेतु जनवरी 2016 में भेज दिए गए थे। आगे वसूली की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2016)।

मामला सरकार को मार्च 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

2.11 क्रय कर का उद्ग्रहण न करने के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने अपंजीकृत डीलरों से खरीदे गए माल पर क्रय कर उद्ग्रहीत नहीं किया परिणामतः ₹ 12.13 लाख के क्रय कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 9.91 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 की धारा 3 (3) के अनुसार यदि एक डीलर राज्य में किसी स्रोत से कोई करयोग्य माल ऐसी परिस्थितियों में खरीदता अथवा प्राप्त करता है, जहां कोई कर उद्ग्रहीत अथवा भुगतान नहीं किया जाता है तथा वह उन्हें ऐसी परिस्थितियों में, राज्य से बाहर निर्यात करता है अथवा उनका प्रयोग/निपटान करता है, जिनमें इस अधिनियम अथवा उन पर केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत अथवा उनसे विनिर्मित माल पर कोई कर भुगतान योग्य नहीं है तो वह, उपधारा (4) के प्रावधानों के अध्याधीन उसके क्रय अथवा प्राप्ति पर कर भुगतान

करते हेतु उत्तरदायी होगा। आगे प्रावधान किया गया कि जहां खरीदा गया अथवा प्राप्त माल का अंशतः इस उपधारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों में उल्लिखित परिस्थितियों में तथा अंशतः अन्यथा उपयोग अथवा निपटान किया जाता है, ऐसे माल पर उद्ग्राह्य कर आनुपातिक आधार पर परिगणित किया जाएगा। 2 अप्रैल 2010 से एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी उद्ग्राह्य है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पानीपत के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितंबर 2014) ने प्रकट किया कि एक डीलर ने वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान कर के भुगतान के बिना राज्य के अंदर अपंजीकृत डीलरों से ₹ 7.31 करोड़ मूल्य के करयोग्य माल 'पेट स्क्रैप' खरीदे तथा 'एफ' फार्मों के विरुद्ध उसे हरियाणा से बाहर स्थानांतरित कर दिया। चूंकि डीलर ने इस करयोग्य माल का कर के भुगतान के बिना विक्रय/निपटान किया था, डीलर क्रय कर भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। तथापि, ए.ए. ने वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के लिए कर निर्धारण फरवरी 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य अंतिम करते समय क्रय कर उद्गृहीत नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.13 लाख (आनुपातिक आधार पर) का क्रय कर उद्ग्राहण न करने के कारण कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 9.91 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. पानीपत ने मई 2016 में बताया कि ₹ 12.13 लाख के कर तथा ₹ 9.91 लाख के ब्याज की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। आगे वसूली की प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2016)।

मामला सरकार को जून 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

अध्याय 3: राज्य उत्पाद शुल्क

3.1.1 कर प्रबंध

सरकारी स्तर पर अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग प्रशासनिक मुखिया हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। ई.टी.सी. को मुख्यालय पर सहयोग क्लैक्टर (आबकारी) द्वारा तथा फील्ड में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के समुचित प्रबन्ध के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सीज (आबकारी)}, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज), निरीक्षकों एवं अन्य सहायक स्टॉफ द्वारा दिया जाता है।

उत्पाद शुल्क राजस्व मुख्यतः विभिन्न बिक्रियों के लाईसेंस की प्रदानगी हेतु लाईसेंस फीस, डिस्टलरियों/ब्रेवरिज से निकाली गई और एक राज्य से दूसरे राज्य को आयातित/निर्यातित स्पिरिट/बीयर पर उद्गृहीत उत्पाद शुल्कों से प्राप्त किया जाता है।

3.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2015-16 में राज्य आबकारी विभाग की 77 इकाइयों में से 38 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के साथ-साथ “राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियों” पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने 246 मामलों में ₹ 69.40 करोड़ से आवेष्टित उत्पाद शुल्क/लाईसेंस फीस/ब्याज/पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट की जो निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं जैसा कि नीचे तालिका 3.1 में तालिकाबद्ध है।

तालिका 3.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	लाईसेंस फीस जमा न करवाना/कम जमा करवाना तथा ब्याज की हानि	155	3.3
2	बिक्रियों के पुनः आबंटन पर लाईसेंस फीस की अंतरीय राशि की वसूली न करना	4	3.2
3	पेनल्टी न लगाना	48	1.22
4	अवैध शराब पर पेनल्टी की अवसूली	32	0.09
5	विविध अनियमितताएं	6	0.94
6	“राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	60.56
	योग	246	69.40

वर्ष के दौरान, विभाग ने 41 मामलों में आवेष्टित ₹ 62.37 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा त्रुटियां स्वीकार की जिनमें से 29 मामलों में आवेष्टित ₹ 62.30 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने ₹ 11.89 करोड़ वसूल किए जिनमें से ₹ 0.25 करोड़ वर्ष 2015-16 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

3.2 राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां

3.2.1 विशिष्टताएं

आबकारी एवं कराधान विभाग की शराब पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित कार्यचालन की निष्पादन लेखापरीक्षा ने अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों की अननुपालना प्रकट की परिणामतः ₹ 60.56 करोड़ की राशि के आबकारी राजस्व का संग्रहण नहीं/कम संग्रहण हुआ। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम नियमानुसार थे:

- 20 लाईसेंसधारियों से प्रतिभूति और अतिविक्रि प्रतिभूति वसूल करने हेतु कार्यवाही के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 28 लाख जमा नहीं/कम जमा हुए।

(अनुच्छेद 3.2.7)

- लाईसेंस फीस के भुगतान में विलंब हेतु ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान करने वाले नियमों की अननुपालना न करने के परिणामस्वरूप खुदरा दुकानों के चूककर्ता लाईसेंसधारियों से ₹ 44.80 करोड़ की लाईसेंस फीस और ब्याज की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.2.8)

- मूल आबंटी की चूक के कारण खुदरा दुकानों के पुर्नर्वंटन से उत्पन्न अंतरीय लाईसेंस फीस वसूल करने में विफलता के साथ-साथ दुकानों की पुनःनीलामी में विफलता के कारण ₹ 5.19 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 3.2.9)

- विभाग त्रैमासिक आधारभूत कोटा कम/अधिक उठाने के कारण 466 चूककर्ता लाईसेंसधारियों से ₹ 7.09 करोड़ की पेनल्टी उद्ग्रहण और वसूल करने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 3.2.10)

- शराब के गैर-कानूनी स्वामित्व और व्यापार के कारण 322 अपराधियों से ₹ 1.83 करोड़ की पेनल्टी का उद्ग्रहण और वसूल करने में विभाग विफल रहा।

(अनुच्छेद 3.2.11)

- विभाग ने डिस्टिलरीज के प्रबंधन से नियुक्त आबकारी स्थापना के वेतन के कारण ₹ 1.65 करोड़ वसूल नहीं किए।

(अनुच्छेद 3.2.12)

3.2.2 प्रस्तावना

मानव खपत के लिए अल्कोहलिक शराब और अल्कोहल अथवा अफीम, भारतीय गांजा और नारकोटिक्स वाली औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री, पर उत्पाद शुल्क पंजाब आबकारी

अधिनियम, 1914 और उसके अधीन बनाए गए हरियाणा राज्य को यथा लागू नियमों के अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत किया जाता है। उत्पाद शुल्क में, बोली धन और खुदरा तथा थोक की दुकानों की प्रदानगी के लिए वार्षिक लाईसेंस फीस, अवैध शराब को जब्त करने के लिए लगाए/आदेश दिए जुर्मानों और आयात/निर्यात शुल्क से प्राप्त प्राप्तियां शामिल होती हैं। इसमें भारत में बनी विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.)/देसी शराब (सी.एल.) के निर्माण, स्वामित्व और विक्रय से प्राप्त राजस्व भी शामिल होता है। हरियाणा शराब लाईसेंस नियम, 1970 (एच.एल.एल. नियम), आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. बेचने वाली खुदरा एवं थोक दुकानों की प्रदानगी के लिए लाईसेंस प्रक्रिया तथा रिजर्व मूल्य तथा लाईसेंस फीस नियतन निर्धारित करने के लिए सरकार को एक आबकारी नीति बनाने का अधिकार देते हैं।

3.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

शराब पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण संबंधी आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यचालन की समीक्षा के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा उद्देश्य यह निर्धारित करने हेतु थे कि:

- बजट अनुमान (बी.ई.ज) निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप तैयार किए गए थे तथा वास्तविक थे;
- राज्य आबकारी अधिनियम, नियमों तथा विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के प्रावधानों का अनुसरण किया गया था;
- राज्य आबकारी नीतियां, नियमों के अनुसार बनाई गई थी तथा राज्य आबकारी नीतियों के प्रावधानों के अनुपालन की सीमा; तथा
- एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण एवं मानीटरिंग यंत्रावली विभाग में विद्यमान थी।

3.2.4 कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

21 जिलों में से छः² जिलों के संबंध में 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान उत्पाद शुल्क, लाईसेंस फीस और पेनल्टीज के उद्ग्रहण, निर्धारण एवं संग्रहण संबंधित अभिलेखों की अक्टूबर 2015 और अप्रैल 2016 के मध्य नमूना-जांच की गई। ये छः जिले प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू सार्जि मेथड (विदाउट रियलेसमेंट) के आधार पर चयन किए गए थे। फरीदाबाद और गुड़गांव जिले जोखिम विश्लेषण के आधार पर चयन किए गए थे। भिवानी जिले को एंटी काफ्रेस के दौरान विभाग द्वारा दिए गए सुझाव पर शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त, पांच डिस्टिलरीज का चयन भी किया गया था। वर्ष 2010-11 से 2014-15 की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अभ्युक्तियों को भी ध्यान में रखा गया है जहां समग्र निर्धारण सरल बनाने के लिए आवश्यक समझा गया।

¹ पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 (हरियाणा), पंजाब आबकारी राजकोषीय आदेश, 1932 (हरियाणा), पंजाब ब्रेवरी नियम, 1956 (हरियाणा) तथा एच.एल.एल. नियम।

² हिसार, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक तथा यमुनानगर।

6 नवंबर 2015 को ई.टी.सी., आबकारी एवं कराधान विभाग के साथ एक एंटी काफ्रेंस आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मापदण्ड और जिलों के चयन के लिए अपनाई गई पद्धति स्पष्ट किए गए/पर चर्चा की गई और एग्जिट काफ्रेंस बाद में 21 जुलाई 2016 को आयोजित की गई। विभाग के विचार रिपोर्ट में समुचित रूप से सम्मिलित किए गए हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्रारूप जुलाई 2016 में सरकार को अग्रेषित किया गया। उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2016)।

लेखापरीक्षा के लिए अपेक्षित आवश्यक सूचना और अभिलेख उपलब्ध करवाने में आबकारी एवं कराधान विभाग के सहयोग के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं।

3.2.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्न स्रोतों से लिए गए थे:

- पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914;
- पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 (हरियाणा);
- पंजाब आबकारी राजकोषीय आदेश, 1932 (हरियाणा);
- पंजाब ब्रेवरी नियम, 1956 (हरियाणा);
- हरियाणा शराब लाईसेंस नियम, 1970;
- हरियाणा पेनल्टी का लगाना और वसूली के नियम 2003; तथा
- 2010-11 में 2014-15 वर्षों के लिए राज्य आबकारी नीतियां।

लेखापरीक्षा उपलब्धियां

प्रणाली की कमियां

3.2.6 उत्पाद शुल्क राजस्व की प्रवृत्ति

हरियाणा राज्य को यथा लागू, पंजाब बजट नियमावली (पी.बी.एम.) के अनुच्छेद 3.2 में प्रावधान है कि अनुमानों को अधिक वास्तविक बनाने के लिए आगामी वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमान (बी.ई.ज) अभी समाप्त वर्ष के बी.ई.ज, अभी समाप्त वर्ष से पूर्ववर्ती पहले दो वर्षों के वास्तविक, गत छः मास के लिए पिछले वर्ष के वास्तविक और पहले छः मास के लिए वर्तमान वर्ष के वास्तविक पर आधारित होने चाहिए।


लेखापरीक्षा द्वारा पी.बी.एम. के अनुसार तैयार किए गए बी.ई.ज और विभाग द्वारा तैयार किए गए बी.ई.ज और वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क (एस.ई.डी.) से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के विवरण नीचे तालिका 3.2.6 और ग्राफ 3.2 में दिए गए हैं:

तालिका 3.2.6: लेखापरीक्षा द्वारा पी.बी.एम. और विभाग के अनुसार तैयार बी.ई.डी. और एस.ई.डी. से वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विविधताएं:

वर्ष	एस.ई.डी. के बी.ई.डी. जिसके अनुसार तैयार किए गए (₹ करोड़ में)		वास्तविक एस.ई.डी. (₹ करोड़ में)	एस.ई.डी. तथा बी.ई.डी. की तुलना में वृद्धि (+) / कमी (-) जिसके अनुसार तैयार (₹ करोड़ में)		बी.ई.डी. पर एस.ई.डी. की प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-) के अनुसार तैयार	
	पी.बी.एम.	विभाग		पी.बी.एम.	विभाग	पी.बी.एम.	विभाग
2010-11	2,317.00	2,100.00	2,365.81	(+) 48.81	(+) 265.81	(+) 2.11	12.66
2011-12	2,599.00	2,400.00	2,831.89	(+) 232.89	(+) 431.89	(+) 8.96	18.00
2012-13	3,025.00	3,000.00	3,236.48	(+) 211.48	(+) 236.48	(+) 6.99	7.88
2013-14	3,501.00	4,000.00	3,697.35	(+) 196.35	(-) 302.65	(+) 5.61	(-) 7.57
2014-15	3,485.00	4,350.00	3,470.45	(-) 14.55	(-) 879.55	(-) 0.42	(-) 20.22

विभाग द्वारा तैयार किए गए बी.ई.डी. पर एस.ई.डी. की वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान 7.88 और 18 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी। बाद में, विभाग द्वारा तैयार किए गए बी.ई.डी. पर एस.ई.डी. की वास्तविक प्राप्तियों में क्रमशः वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान 7.57 तथा 20.22 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित कमी थी।

ग्राफ 3.2



विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि बी.ई.डी. सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के आधार पर तैयार किए गए थे और विभाग वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से अधिक राजस्व संग्रहित करने में समर्थ था। बाद में, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मार्च 2014 में अपने निर्णय में निदेश दिए कि सभी दुकानें राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों से बाहर स्थानान्तरित कर दी जाएं। परिणामतः वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान एस.ई.डी. के संग्रहण में कमी थी।

तत्रैव, पी.बी.एम. के अनुच्छेद 3.2 में निहित अनुदेशों के अनुसार और सरकार द्वारा नियत लक्ष्यों के आधार पर तैयार एस.ई.डी. के बी.ई.ज के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने प्रकट किया कि एस.ई.डी. और बी.ई.ज की तुलना में एस.ई.डी. की वास्तविक प्राप्तियों के वृद्धि/कमी वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान (-) 20.22 तथा (+) 18.00 प्रतिशत की बजाय उसी अवधि में (-) 0.42 और (+) 8.96 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित रही। यह इंगित करता है कि सरकार द्वारा प्रक्षेपित लक्ष्यों पर तैयार किए गए एस.ई.डी. के बी.ई.ज गलत थी। राजस्व संग्रहण की मानीटरिंग अधिक प्रभावी और सही रहती यदि ये पी.बी.एम. में निहित अनुदेशों के आधार पर तैयार किए जाते। इसके अतिरिक्त, बी.ई.ज की ऐसी परिशुद्धता से वर्ष का बजट अधिक सही और वास्तविक होता।

अनुपालन कमियां

3.2.7 प्रतिभूति और अतिरिक्त प्रतिभूति का जमा न करवाना/कम जमा करवाना

वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए राज्य आबकारी नीतियों के साथ पठित एच.एल.एल. नियमों के अंतर्गत खुदरा लाईसेंसधारी शराब की दुकान का प्रत्येक सफल आबंटी संबंधित वर्ष की 7 अप्रैल तक वार्षिक लाईसेंस फीस के 21/20 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा कराएगा। संबंधित वर्ष के दौरान, आबंटित/पुर्नाबंटित दुकानों या उनके समूहों के मामले में 10 प्रतिशत प्रतिभूति आबंटन के दिन जमा की जाएगी और शेष 11/10 प्रतिशत आबंटन के 10 दिनों के भीतर जमा की जाएगी। आगे, क्रमशः ₹ 75 लाख तक, ₹ 75 लाख से अधिक और ₹ 500 लाख तक और ₹ 500 लाख से अधिक की वार्षिक लाईसेंस फीस वाले खुदरा लाईसेंसधारी शराब की दुकान वालों द्वारा क्रमशः ₹ 1 लाख, ₹ 2 लाख और ₹ 5 लाख की अतिरिक्त प्रतिभूति का भुगतान किया जाना होता है।

डी.ई.टी.सी.ज (आबकारी) गुड़गांव, करनाल और महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2013-14 और 2014-15 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अप्रैल 2014 और अप्रैल 2016 के मध्य) ने प्रकट किया कि 20 खुदरा दुकानों के लाईसेंसधारियों द्वारा, जिनको ₹ 27.06 करोड़ के लिए नीलामी की गई थी, ने 7 अप्रैल की निर्धारित तिथि तक प्रतिभूति/अतिरिक्त प्रतिभूति की पूरी राशि जमा नहीं करवाई थी। आबंटियों ने ₹ 2.49 करोड़ की कुल प्रतिभूति/अतिरिक्त प्रतिभूति में से ₹ 2.21 करोड़ जमा करवाए; परिणामस्वरूप ₹ 28 लाख की प्रतिभूति/अतिरिक्त प्रतिभूति जमा नहीं/कम जमा करवाई गई।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) महेन्द्रगढ़ ने बताया (दिसंबर 2015) कि दो मामलों में ₹ 3.99 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी।

3.2.8 लाईसेंस फीस और ब्याज की अवसूली/कम वसूली

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए राज्य आबकारी नीतियों के साथ पठित एच.एल.एल. नियम निर्धारित करते हैं कि आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. बिक्रियों की खुदरा दुकानों के लिए लाईसेंस वाले प्रत्येक लाईसेंसधारी प्रत्येक मास की 20 तारीख तक लाईसेंस फीस की मासिक किश्त का भुगतान करेगा। ऐसे करने में विफलता उसे, प्रथम मास जिसमें लाईसेंस फीस देय थी, से लेकर किश्त या उसके किसी हिस्से के भुगतान तक डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर पर ब्याज अदा करने हेतु उत्तरदायी बना देगी। यदि लाईसेंसधारी मास के अंत तक ब्याज के साथ पूरी मासिक

किश्त जमा करवाने में विफल रहता है तो लाईसेंसप्राप्त खुदरा दुकान अगले मास के पहले दिन से चलना बंद हो जाएगी और संबंधित जिले के डी.ई.टी.सी. (आबकारी) द्वारा साधारणतः बंद की जाएगी। आडिट संवीक्षा ने इन नियमों की अननुपालना प्रकट की परिणामस्वरूप कुल ₹ 44.80 करोड़ के लाईसेंस फीस और ब्याज की कम वसूली हुई जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में संक्षेप में बताया गया है।

3.2.8.1 12 कार्यालयों³ के वर्ष 2010-11 से 2014-15 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2012 और अप्रैल 2016 के मध्य) ने प्रकट किया कि लाईसेंसधारियों को आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. के विक्रय के लिए 254 खुदरा दुकानें ₹ 293.22 करोड़ पर आबंटित की गई थी। लाईसेंसधारियों ने केवल ₹ 263.97 करोड़ की लाईसेंस फीस का भुगतान किया था और ₹ 29.25 करोड़ की शेष लाईसेंस फीस लाईसेंसधारियों द्वारा अभी जमा करवाई जानी थी। डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने, मास के अंत तक पूर्ण मासिक किश्त के कम भुगतान पर दुकानें सील और लाईसेंस फीस के देरी से भुगतान पर ब्याज लगाने के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की। इसके फलस्वरूप ₹ 29.25 करोड़ की लाईसेंस फीस की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 2.49 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

यह इंगित किए जाने पर, पांच डी.ई.टी.सीज⁴ ने बताया (दिसंबर 2015 और मई 2016 के मध्य) कि 40 मामलों में ₹ 8.88 करोड़ की राशि वसूल कर ली गई थी।

3.2.8.2 16 कार्यालयों⁵ के वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2012 और अप्रैल 2016 के मध्य) ने प्रकट किया कि 625 लाईसेंसधारियों ने अप्रैल 2010 और दिसंबर 2014 के मध्य की अवधि के लिए ₹ 544.67 करोड़ की लाईसेंस फीस की मासिक किश्तों का भुगतान 21 से 435 दिनों की देरी के साथ किया। डी.ई.टी.सीज (आबकारी), ने तथापि, मास के अंत तक मासिक किश्तों का भुगतान न करने पर दुकानें सील करने और लाईसेंस फीस के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज उद्ग्रहण करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.06 करोड़ के ब्याज⁶ का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, 10 डी.ई.टी.सीज⁷ (आबकारी) ने बताया (अप्रैल 2015 और मई 2016 के मध्य) कि सितंबर 2012 और अप्रैल 2016 के मध्य 86 मामलों में ₹ 2.13 करोड़ की राशि वसूल कर ली गई थी।

³ अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर, करनाल, महेन्द्रगढ़, पलवल, पंचकुला, रोहतक, सोनीपत तथा यमुनानगर।

⁴ फरीदाबाद, झज्जर, करनाल, महेन्द्रगढ़ तथा रोहतक।

⁵ अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, महेन्द्रगढ़, पलवल, पंचकुला, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत तथा यमुनानगर।

⁶ 31 मार्च 2016 तक परिकलित ब्याज।

⁷ भिवानी, फतेहाबाद, गुड़गांव, झज्जर, जींद, कैथल, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक तथा यमुनानगर।

3.2.9 पुनर्नीलामी पर अंतरीय लाईसेंस फीस की अवसूली

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए राज्य आबकारी नीतियों के साथ पठित एच.एल.एल. नियमों के अंतर्गत, यदि आबंटी प्रतिभूति जमा का भुगतान करने में विफल रहता है और ब्याज के साथ लाईसेंस फीस के भुगतान में चूक करता है, लाईसेंसशुदा दुकान अगले मास के प्रथम दिन से बंद हो जाएगी और डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ई.टी.सी. की पूर्व अनुमति लेने के बाद मूल आबंटी के जोखिम और लागत पर इसका पुनः आबंटन कर सकता है। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने इन निर्धारण की अननुपालना प्रकट की परिणामस्वरूप ₹ 5.19 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है।

3.2.9.1 डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के पांच कार्यालयों⁸ के वर्ष 2010-11 से 2011-12 और 2013-14 से 2014-15 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2012 और मार्च 2016 के मध्य) ने प्रकट किया कि मार्च 2010 और मार्च 2014 के मध्य 18 खुदरा दुकानों की नीलामी ₹ 16.33 करोड़ में की गई। आबंटी, तथापि, देय तिथि तक लाईसेंस फीस की

पूरी मासिक किश्तों का भुगतान करने में विफल रहे। ₹ 16.33 करोड़ की कुल लाईसेंस फीस में से, आबंटियों ने ₹ 7.19 करोड़ की प्रतिभूति और मासिक लाईसेंस फीस जमा करवाई और ₹ 9.14 करोड़ की शेष राशि जमा करवाने में विफल रहे। जबकि विभाग ने उनकी खुदरा दुकानों को रद्द कर दिया और बाद में शेष अवधि के लिए मूल आबंटियों के जोखिम और लागत पर

₹ 4.70 करोड़ पर अगस्त 2010 और दिसंबर 2014 के मध्य पुनः नीलामी/आबंटित कर दी, यह मूल आबंटियों से ₹ 4.44 करोड़ (₹ 9.14 करोड़ - ₹ 4.70 करोड़) की लाईसेंस फीस की अंतरीय राशि को वसूल करने के लिए कार्यवाही करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.44 करोड़ के सरकारी राजस्व की अवसूली हुई।

3.2.9.2 डी.ई.टी.सी.ज (आबकारी) हिसार और करनाल के वर्ष 2013-14 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने (मई और जुलाई 2014 के मध्य) प्रकट किया कि मार्च 2013 में दो खुदरा दुकानों की ₹ 3.42 करोड़ की वार्षिक लाईसेंस फीस पर नीलामी की गई। खुदरा दुकानों के लाईसेंसधारी पूरी लाईसेंस फीस की मासिक किश्तों का देय तिथि तक भुगतान करने में विफल रहे। ₹ 3.42 करोड़ की कुल लाईसेंस फीस में से आबंटियों ने अक्टूबर और नवंबर 2013 तक ₹ 2.67 करोड़ तक की मासिक लाईसेंस फीस जमा करवाई। विभाग ने, तथापि, न तो मूल आबंटियों के जोखिम और लागत पर दुकानों की पुनः नीलामी करने के लिए कार्यवाही की न ही आबंटियों से ₹ 75.12 लाख की लाईसेंस फीस वसूल करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 75.12 लाख तक के सरकारी राजस्व की अवसूली हुई।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) हिसार और करनाल ने बताया (दिसंबर 2015) कि ₹ 38.78 लाख की राशि लाईसेंसधारियों की प्रतिभूति राशि से समायोजित कर ली गई थी।

⁸ भिवानी, झज्जर, करनाल, पलवल तथा सोनीपत।

3.2.10 त्रैमासिक मूलभूत कोटा के कम/अधिक उठाने पर पेनल्टी/अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का अनुद्ग्रहण

शराब के स्राव को रोकने तथा राजस्व के बचाव के लिए वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए राज्य आबकारी नीति के साथ पठित एच.एल.एल. नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत मूलभूत कोटा उठाना निर्धारित किया गया है। एक लाईसेंसधारी निर्धारित त्रैमासिक सारणी के अंतर्गत उसकी दुकान के लिए आबटित आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. का समग्र मूल कोटा उठाने के लिए उत्तरदायी है जिसमें विफल रहने पर दंड के प्रावधानों का आह्वान किया जाता है। निर्धारित त्रैमासिक कोटा का न उठाना कम मात्रा के लिए क्रमशः आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. के लिए ₹ 65 और ₹ 20 प्रति पूफ लीटर (पी.एल.) की दर पर पेनल्टी आकर्षित करता है। आगे, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दुकानों के आबटन के मामले में वर्ष की शेष तिमाहियों के लिए त्रैमासिक कोटा आबटित कोटा से अनुपातिक आधार पर परिकलित किया जाएगा। निर्धारित त्रैमासिक कोटा का अधिक उठाया जाना अधिक मात्रा के लिए क्रमशः आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. के लिए ₹ 20 और ₹ 8 प्रति पी.एल. पूफ की दर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क आकर्षित करता है। इन निर्धारणों की अननुपालना के फलस्वरूप ₹ 7.09 करोड़ की राशि की पेनल्टी और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का अनुद्ग्रहण हुआ जैसा कि नीचे प्रकट किया गया है।

3.2.10.1 डी.ई.टी.सीज (आबकारी) के 11 कार्यालयों⁹ के वर्ष 2013-14 और 2014-15 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मई 2014 और अप्रैल 2016 के मध्य) ने प्रकट किया कि 227 खुदरा दुकान लाईसेंसधारियों द्वारा आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. के 47.41 लाख पी.एल. का संयुक्त कोटा उठाया जाना अपेक्षित था। तथापि, लाईसेंसधारियों ने संयुक्त कोटे के विरुद्ध आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. के 36.01 लाख पी.एल.ज उठाए। इस प्रकार, लाईसेंसधारियों ने आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. के मूल कोटे का 11.40 लाख पी.एल.ज कम उठाया। तथापि, डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने कोटे के कम उठाए जाने के लिए पेनल्टी लगाने की कार्यवाही नहीं की थी परिणामस्वरूप ₹ 4.23 करोड़ की पेनल्टी का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) फतेहाबाद ने बताया (मई 2016) कि ₹ 7.86 लाख की पेनल्टी पांच मामलों में वसूल कर ली गई थी।

3.2.10.2 डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के पांच कार्यालयों¹⁰ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च और अप्रैल 2016 के मध्य) ने प्रकट किया कि चालू वर्ष 2014-15 के दौरान 239 खुदरा दुकानों के लाईसेंसधारियों ने आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. के 25.37 लाख पी.एल.ज के संयुक्त शराब कोटा के विरुद्ध आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. के 47.65 लाख पी.एल. उठाए थे। इस प्रकार, लाईसेंसधारियों ने आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. के मूल कोटे से 22.28 लाख पी.एल.ज अधिक उठाए। तथापि, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने अधिक कोटा उठाने हेतु अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की परिणामतः ₹ 2.86 करोड़ के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का अनुद्ग्रहण हुआ।

⁹ भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत तथा यमुनानगर।

¹⁰ भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी तथा सोनीपत।

3.2.11 शराब के अवैध स्वामित्व और व्यापार के लिए पेनल्टी की अवसूली/अनुद्ग्रहण

पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 जैसा कि हरियाणा राज्य को लागू, की धारा 61 (1) (एएए) (सी)(i) में प्रावधान है कि अवैध शराब¹¹ के स्वामित्व के लिए दोषी 750 मिलीलीटर की बोतल पर जो ₹ 50 से कम न हो और ₹ 500 प्रति बोतल से अधिक न हो की पेनल्टी उद्ग्रहणीय है। आगे, हरियाणा पेनल्टी लगाना तथा वसूली नियम, 2003 में प्रावधान है कि यदि पेनल्टी का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता तो कलैक्टर अथवा डी.ई.टी.सी. (आबकारी) शराब के साथ परिवहन के साधन की जब्ती हेतु आदेश पारित करेगा और जब्ती के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर परिवहन के साधन की नीलामी की जाएगी। फिर, इन निर्धारणों की अननुपालना के फलस्वरूप ₹ 1.83 करोड़ की निम्नानुसार अवसूली हुई।

3.2.11.1 डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के सात¹² कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 2010-11 से 2011-12 और 2013-14 से 2014-15 के लिए लेखापरीक्षा संवीक्षा (अगस्त 2014 और मार्च 2016 के मध्य) ने प्रकट किया कि विभाग ने 139 मामलों में अप्रैल 2010 और मार्च 2015 के मध्य अवैध शराब की 85,191 बोतलें पकड़ी गई थी और डी.ई.टी.सी. (आबकारी) फतेहाबाद, हिसार और कुरुक्षेत्र में 12 वाहन जब्त किए थे। विभाग ने नोटिस देने और उसके संबंधित दोषी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण की जांच करके, ₹ 1.48 करोड़ की पेनल्टी लगाई परंतु केवल ₹ 4.19 लाख वसूल किए। विभाग ने एक से छः वर्षों के समापन के बाद भी जब्त वाहनों की नीलामी करने या भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने हेतु शेष पेनल्टी वसूल करने के लिए कार्यवाही नहीं की थी। नियमों के अननुपालन के फलस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ की पेनल्टी की अवसूली हुई।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) जींद ने बताया (जनवरी 2016) कि एक मामले में ₹ 90,000 की राशि वसूल कर ली गई थी।

3.2.11.2 डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के आठ¹³ कार्यालयों के वर्ष 2013-14 और 2014-15 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने (जुलाई 2015 और अप्रैल 2016 के मध्य) प्रकट किया कि विभाग ने जुलाई 2013 और मार्च 2015 के मध्य 183 मामलों में अवैध शराब की 77,729 बोतलें पकड़ी थी और छः जिलों में¹⁴ 36 वाहन जब्त किए थे। विभाग ने न तो न्यूनतम पेनल्टी लगाई और न ही जब्त वाहनों के निपटान द्वारा पेनल्टी वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 38.86 लाख की न्यूनतम पेनल्टी का अनुद्ग्रहण हुआ।

¹¹ अवैध शराब का अर्थ है किसी गुणवत्ता नियंत्रण जांच के बिना गैर-कानूनी ढंग से तैयार की गई शराब जो अनुमत सीमा से अधिक मादक केंद्रीकरण के कारण मानवीय खपत हेतु उपयुक्त नहीं है।

¹² भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र तथा सोनीपत।

¹³ अंबाला, फरीदाबाद, गुडगांव, हिसार, जींद, करनाल, रोहतक तथा यमुनानगर।

¹⁴ फरीदाबाद, गुडगांव, हिसार, जींद, करनाल तथा यमुनानगर।

3.2.12 स्थापना प्रभारों की अवसूली

पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 (हरियाणा) के नियम 13 और 16 के अधीन एक लाईसेंसधारी नियमों के उचित अनुपालना और निगरानी सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए अपनी डिस्टिलरी में सरकारी आबकारी स्थापना की नियुक्ति की सहमति देगा। लाईसेंसधारी, यदि आबकारी आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो, सरकारी कोष में इतना भुगतान करेगा जितना डिस्टिलरी में नियुक्त सरकारी आबकारी स्थापना के वेतनों हेतु मांग की जाए परंतु वह ऐसे स्थापना के किसी सदस्य को सीधे भुगतान नहीं करेगा। आगे, क्रमशः 2010-12 और 2012-15 वर्षों के लिए राज्य आबकारी नीतियों के कलॉज 3.9 और 8.9 के अंतर्गत किसी भी लाईसेंसधारी के परिसर/संकाय में नियुक्त पर्यवेक्षक स्टाफ की वेतन लागत त्रैमासिक प्रतिपूर्ति आधार पर वसूल की जाएगी।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के पांच कार्यालयों¹⁵ के वर्ष 2010-11 से 2014-15 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अक्टूबर 2015 और मार्च 2016 के मध्य) ने प्रकट किया कि विभाग ने पांच डिस्टिलरीज में 40 आबकारी पर्यवेक्षण स्टाफ नियुक्त किए थे। नियमों का उचित अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त सरकारी आबकारी स्थापना हेतु वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए देय कुल ₹ 1.65 करोड़ के स्थापना प्रभारों की, तथापि, न तो विभाग द्वारा मांग की गई थी और न ही इन डिस्टिलरियों के प्रबंधन द्वारा भुगतान किए गए थे। नियमों का अनुसरण न करने के फलस्वरूप ₹ 1.65 करोड़ के स्थापन प्रभारों की अवसूली हुई।

यह इंगित किए जाने पर, अधिकारी प्रभारी ने बताया (अक्टूबर 2015) कि एक डिस्टिलरी पर तैनात स्टाफ के लिए ₹ 9.05 लाख की राशि वसूल की गई थी।

3.2.13 आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली

3.2.13.1 अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण और मानीटरिंग

एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली रखने हेतु विभाग डी.ई.टी.सी.ज (आबकारी) और डिस्टिलरीज और ब्रेवरीज के प्रबंधन द्वारा प्रत्येक मास ई.टी.सी. को प्रस्तुत की जाने वाली 14 स्टेटमेंट/विवरणियां निर्धारित करता है।

ई.टी.सी, हरियाणा के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि जबकि राज्य में डी.ई.टी.सी.ज (आबकारी) कार्यालयों, डिस्टिलरियों और ब्रेवरियों के कार्यचालन संबंध में निर्धारित मासिक स्टेटमेंट/विवरणियां समय पर प्राप्त की गई थी, देय और प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों की वर्षवार और जिलावार प्रमात्रा के साथ सूचना ई.टी.सी. कार्यालय में समेकित नहीं की गई थी जिससे निगरानी आसान हो सकती थी। आगे, विभाग 1 अप्रैल 2010 और 31 मार्च 2015 को राजस्व के बकायों के विवरण उपलब्ध करवाने में विफल रहा। तथापि, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के सात कार्यालयों¹⁶ से संगृहीत राजस्व के बकायों के विवरणों ने प्रकट किया कि 31 मार्च 2015 को 1,280 मामलों में ₹ 108.16 करोड़ वसूलनीय थे। विभाग राजस्व के बकायों को वसूल करने के लिए संयुक्त प्रयास करने में विफल रहा जो एक से 46 वर्षों के मध्य श्रृंखलित वर्षों

¹⁵ फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, करनाल तथा यमुनानगर।

¹⁶ भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, जींद, रोहतक तथा यमुनानगर।

के लिए बकाया थे। विभाग ने इसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने के लिए न तो कार्यवाही की थी और न ही ऐसे बकायों, जिनकी वसूली की कोई संभावना नहीं थी, को बट्टे खाते डालने के लिए कोई कदम उठाए।

विभाग ने लेखापरीक्षा को सूचना दी (जुलाई 2016) कि प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए एक मोड्यूल विकासाधीन था और जल्दी कार्यान्वित किया जाएगा।

3.2.13.2 आंतरिक लेखापरीक्षा का अपर्याप्त कवरेज

आंतरिक लेखापरीक्षा स्वयं को आश्वस्त करने हेतु कि निर्धारित प्रणालियां सही ढंग से कार्य कर रही हैं, प्रबंधन के हाथों में एक यंत्र है। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने अप्रैल 2010 और मार्च 2015 के मध्य 105 फील्ड कार्यालयों की लेखापरीक्षा की योजना बनाई थी परंतु उस अवधि में 61 फील्ड कार्यालयों (58 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की गई। इस प्रकार 31 मार्च 2016 को शेष 44 फील्ड कार्यालयों (42 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा लंबित थी जो घटिया योजना को इंगित करती है। आगे, आडिट नोट्स न तो उपलब्ध करवाए गए और न ही उठाई गई एवं निपटान की गई आपत्तियों के विवरण मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए। यह स्पष्ट था कि उत्पाद शुल्क, फीस, पेनल्टी इत्यादि के उद्ग्रहण और संग्रहण में भूलों का समय पर पता लगाने और सुधारों को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा यंत्रावलियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी।

3.2.14 निष्कर्ष

राज्य उत्पाद शुल्क राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसमें राज्य सरकार के कुल कर राजस्व का 14 प्रतिशत सम्मिलित है। अतः राज्य संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रभावी संग्रहण के अर्थपूर्ण तात्पर्य हैं। अधिक वास्तविक बजट प्रक्षेपणों को तैयार करना संग्रहण प्रयासों और बेहतर परिणामों की प्रभावी मानीटरिंग को सुगम बनाएगी और अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन और प्रवर्तन राजस्व में वृद्धि करेगा। प्रासंगिक अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों को अधिक कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता और ज्यादा प्रभावी मानीटरिंग रिपोर्ट में दर्शाए व्याख्यात्मक उदाहरणों में ₹ 60.56 करोड़ की अवसूली/कम वसूली से प्रमाणित होती है। राजस्व की हानि या स्राव आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा यंत्रावलियों को सुदृढ़ करके न्यूनतम किया जा सकता है।

3.2.15 सिफारिशें

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार:

- सभी राजस्व प्राधिकारियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करे;
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले आबंटियों से लाईसेंस फीस, ब्याज, पेनल्टी एवं अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वसूल करने के लिए यंत्रावलिया सुदृढ़ करे; तथा
- अधिक कवरेज और प्रभावकारिता के लिए आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा यंत्रावलियों को सुदृढ़ करे।

अध्याय - 4: स्टाम्प शुल्क

4.1.1 कर प्रबंध

स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) तथा पंजीकरण फीस (आर.एफ.) से प्राप्तियां उपयुक्त संशोधनों के साथ हरियाणा सरकार द्वारा यथा अपनाए गए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. अधिनियम), पंजीकरण अधिनियम, 1908 (आई.आर. अधिनियम), पंजाब स्टाम्प नियम, 1934 तथा हरियाणा स्टाम्प (दस्तावेजों के अवमूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 1978 के अन्तर्गत विनियमित की जाती हैं। अपर मुख्य सचिव, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा, विभिन्न दस्तावेजों के पंजीकरण के संबंध में प्रबंधन हेतु उत्तरदायी हैं। एस.डी. तथा आर.एफ. के उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर समग्र नियंत्रण एवं अधीक्षण, पंजीकरण महानिरीक्षक (आई.जी.आर.), हरियाणा, चण्डीगढ़ के पास निहित है। आई.जी.आर. की सहायता उपायुक्तों (डी.सी.ज), तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों द्वारा क्रमशः रजिस्ट्रारों, उप-रजिस्ट्रारों (एस.आर.ज) तथा संयुक्त उप-रजिस्ट्रारों (जे.एस.आर.ज) के रूप में कार्य करते हुए की जाती है।

4.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2015-16 में राजस्व विभाग के 90 यूनिटों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 1,949 मामलों में ₹ 61.12 करोड़ के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, इत्यादि का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट की जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं जैसा कि तालिका 4.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	निम्नलिखित के कारण स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अवसूली/कम वसूली <ul style="list-style-type: none">अचल संपत्ति का अवमूल्यांकनसंयुक्त करार/दस्तावेजों में बिक्रय विलेखों का गलत वर्गीकरणभूमि की खरीद पर आवासीय दरों का अप्रभारण	529 246 413	31.06 17.93 7.77
2.	करार विलेखों में उल्लिखित राशि से कम प्रतिफल पर संपत्ति की बिक्री के कारण स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	59	0.66
3.	अधिगृहीत भूमि के बंधक विलेखों/मुआवजा प्रमाण-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	86	0.72
4.	विविध अनियमितताएं ¹	616	2.98
योग		1,949	61.12

¹ आवासीय इकाइयों “अधिमान्य” श्रेणीगत प्लाट्स, पट्टा अनुबंध, गिरवी दस्तावेज इत्यादि पर एस.डी. और आर.एफ. की कम वसूली से संबंधित मामले।

वर्ष के दौरान, विभाग ने 244 मामलों में आवेष्टित ₹ 58.98 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो कि वर्ष के दौरान इंगित की गई थी।

₹ 42.33 करोड़ से आवेष्टित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

4.2 अचल संपत्ति के कम मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

खसरा, जिन पर आवासीय कालोनियों को विकसित करने के लिए भूमि प्रयोग परिवर्तन लाइसेंस जारी किए गए थे, पर लागू दरों की बजाय कृषीय भूमि के लिए सामान्य खसरा दरों पर विक्रय के लिए 92 विलेख पंजीकरण किए गए फलस्वरूप ₹ 34.84 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। आगे, 57 विलेख पार्टियों के मध्य अनुबंध से कम प्रतिफल पर निष्पादित एवं पंजीकृत किए गए थे परिणामस्वरूप ₹ 85.10 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

आई.एस. अधिनियम की धारा 27 निर्धारित करती है कि शुल्क या शुल्क की राशि जिसके साथ यह प्रभार्य है, वाले किसी दस्तावेज की प्रभार्यता प्रभावित करने वाले प्रतिफल तथा अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियां इसमें पूर्णतया अथवा सत्यता से सामने रखी जानी चाहिए। आगे, आई.एस. अधिनियम की धारा 64 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति, जो सरकार को धोखा देने के उद्देश्य से दस्तावेज निष्पादित करता है जिसमें सभी तथ्य एवं परिस्थितियां जो कि इस दस्तावेज में सामने रखनी अपेक्षित हैं; पूर्णतया एवं सत्यतः नहीं रखी गई है तो वह जुर्माने से दंडनीय है जो ₹ 5,000 प्रति दस्तावेज तक बढ़ सकता है। जे.एस.आरज/एस.आरज द्वारा पंजीकृत हस्तांतरण विलेखों की लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि अचल संपत्ति के कम मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 35.69 करोड़ राशि के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ जैसा नीचे विवरण दिया गया है।

4.2.1 वर्ष 2012-13 से 2014-15 के एस.आरज/जे.एस.आरज के 12 कार्यालयों² के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जनवरी से नवंबर 2015) ने प्रकट किया कि अप्रैल 2012 और फरवरी 2015 के मध्य की अवधि के दौरान कृषीय भूमि के लिए सामान्य खसरा दरों पर विक्रय के लिए 92 विलेख पंजीकृत किए गए। इन विलेखों में संपादित खसरा उन खसराज से मेल खाते थे जिन पर आवासीय कालोनियां विकसित करने के लिए अप्रैल 2006 से फरवरी 2014 तक भूमि प्रयोग का परिवर्तन (सी.एल.यू.) जारी किए गए थे जो प्रत्येक 92 मामलों में हस्तांतरण विलेख के पंजीकरण की तिथि से पूर्व थे। इस प्रकार भूमि का मूल्य आवासीय दरों के आधार पर ₹ 748.78 करोड़ निर्धारित किया जाना देय था, जिस पर ₹ 53.93 करोड़ का एस.डी. उद्ग्रहणीय था। परंतु ये विलेख कृषीय भूमि के लिए नियत दरों पर ₹ 351.32 करोड़ निर्धारित किया गया जिस पर ₹ 19.09 करोड़ एस.डी. उद्ग्रहित किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 34.84 करोड़ (₹ 53.93 करोड़ - ₹ 19.09 करोड़) के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

² बल्लभगढ़, धारूहेड़ा, फरीदाबाद, गन्नौर, गुड़गांव, कालका, मानेसर, नीलोखेड़ी, राई, रेवाड़ी, सोहना तथा सोनीपत।

यह इंगित किए जाने पर, 11 एस.आरज/जे.एस.आरज³ ने बताया (फरवरी 2015 और मई 2016 के मध्य) कि 90 मामले निर्णय के लिए आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत कलैक्टर को भेजे गए थे। वसूली पर आगे प्रगति रिपोर्ट और एस.आर. गन्नौर से उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

4.2.2 14 पंजीकरण कार्यालयों⁴ के एस.आरज/जे.एस.आरज के कार्यालय में निष्पादित डीड राईटर्ज/अनुबंधों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (नवंबर 2014 और सितंबर 2015) ने प्रकट किया कि ₹ 1.78 करोड़ का एस.डी. 57 हस्तांतरण विलेखों पर उद्ग्रहीत किया गया जो ₹ 41.30 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों के विक्रय के लिए (अप्रैल 2013 और अगस्त 2015 के मध्य) पंजीकृत किए गए थे। संबंधित पार्टियों के मध्य जनवरी 2012 और फरवरी 2015 के मध्य निष्पादित अनुबंधों के साथ इन विलेखों के क्रास सत्यापन ने दर्शाया कि कुल विक्रय मूल्य जैसा कि अनुबंधों में दर्शाया गया था ₹ 60.09 करोड़ था जिस पर ₹ 2.63 करोड़ का एस.डी. उद्ग्रहणीय था। इस प्रकार हस्तांतरण विलेख उससे कम प्रतिफल पर निष्पादित और पंजीकृत किए गए जो पार्टियों के मध्य अनुबंध किए गए थे। हस्तांतरण विलेखों में अचल संपत्तियों के कम मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 85.10 लाख के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, 10 एस.आरज/जे.एस.आरज⁵ ने नवंबर 2015 और अप्रैल 2016 के मध्य बताया कि 48 मामले निर्णय के लिए आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत कलैक्टर को भेजे गए थे। शेष चार एस.आरज/जे.एस.आरज⁶ से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2016)।

मामला मई/जून 2016 में सरकार को सूचित किया गया; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

4.3 संयुक्त करार के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

14 मामलों में संयुक्त करारों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.46 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

अक्टूबर 2013 में जारी हरियाणा सरकार अधिसूचना के अनुसार कोई करार, जो किसी अचल संपत्ति के निर्माण, विकास या विक्रय या हस्तांतरण (किसी भी तरीके से) हेतु प्रोमोटर या डवैलपर, किसी नाम से ज्ञात, को प्राधिकार या शक्ति देने से संबंधित हो, पर एस.डी. देय होगा जैसा कि अचल संपत्ति के विक्रय के लिए हस्तांतरण पर उद्ग्रहणीय होता है।

³ बल्लभगढ़, धारूहेड़ा, फरीदाबाद, गुड़गांव, कालका, मानेसर नीलोखेड़ी, राई, रेवाड़ी, सोहना तथा सोनीपत।

⁴ बल्लभगढ़, बावल, फरीदाबाद, फारूखनगर, गन्नौर, गुड़गांव, हथीन, कैथल, खानपुर कलां, मोहाना, पलवल, पुंडरी, सोहना तथा टोहाना।

⁵ बल्लभगढ़, बावल, फरीदाबाद, गन्नौर, गुड़गांव, हथीन, खानपुर कलां, पलवल, पुंडरी तथा टोहाना।

⁶ फारूखनगर, सोहना, कैथल तथा मोहाना।

छ: एस.आरज⁷ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जनवरी 2014 और अक्टूबर 2015 के मध्य) ने प्रकट किया कि अक्टूबर 2013 और नवंबर 2014 के मध्य भूमि के संबंध में 14 संयुक्त करार पंजीकृत किए गए थे जिन पर भूमि के विक्रय से अनावेष्टित करार के मामले में लागू अनुसार कुल एस.डी. उद्ग्रहित किया गया है। इन करारों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि भूमि के मालिकों ने डवैलपरर्ज को निर्मित शॉप-कम-फ्लैट्ज और आवासीय घर बनाने के अधिकार के साथ भूमि का स्वामित्व लेने का प्राधिकार दे दिया और यह अक्टूबर 2013 की अधिसूचना के क्षेत्र के अंतर्गत था। कलैक्टर द्वारा नियत दरों के अनुसार, डवैलपरर्ज को हस्तांतरित कृषीय भूमि का मूल्य ₹ 47.45 करोड़ परिकलित किया गया जिस पर ₹ 2.46 करोड़ का एस.डी. उद्ग्रहणीय था। इस प्रकार, विकसित करने के लिए करारों के रूप में इन दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.46 करोड़ के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, चार एस.आरज⁸ ने बताया (अक्टूबर 2015 और मई 2016 के मध्य) कि आठ मामले आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत कलैक्टर को भेजे गए थे। वसूली पर आगे रिपोर्ट और एस.आरज, बास और निसिंग से उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2016)।

मामला सरकार को मई 2016 में सूचित किया गया; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

4.4 प्राइम खसरा वाली भूमि पर नॉन प्राइम दरों के लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने प्राइम खसरा भूमि का गलत ढंग से कृषीय भूमि पर नियत दर से निर्धारण किया परिणामस्वरूप ₹ 1.55 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

नवंबर 2000 में जारी हरियाणा सरकार के अनुदेशों के अनुसार मूल्यांकन समिति को प्राइम भूमि अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों पर स्थित भूमि, लिंक सड़कों के 2-3 एकड़ तक दायरे, विकसित कालोनियों/वार्डों/सैक्टरों के लिए पृथक दरें तय करनी होती है और स्टॉम्प शुल्क के अपवंचन को रोकने के लिए कलैक्टर की दर सूची में खसरा नंबर लिखने होते हैं। तत्पश्चात्, इन प्राइम खसरों में स्थित अचल संपत्तियों के उचित मूल्यांकन के लिए ये दरें पंजीकरण प्राधिकारी के पास भेज दी जाती हैं। आगे, हरियाणा राज्य को यथा लागू आई.एस. अधिनियम की धारा 27 प्रावधान करती है कि प्रभार्य शुल्क या शुल्क की राशि वाले किसी दस्तावेज की प्रभार्यता प्रभावित करने वाले प्रतिफल तथा अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियां इसमें पूर्णतया अथवा सत्यतः सामने रखी जानी चाहिए।

⁷ बल्लभगढ़, बास, फरीदाबाद, मानेसर, निसिंग तथा तिगांव।

⁸ बल्लभगढ़, फरीदाबाद, मानेसर तथा तिगांव।

एस.आरज/जे.एस.आरज के 20 कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मई 2014 से अगस्त 2015) ने प्रकट किया कि 110 हस्तांतरण विलेख अप्रैल 2011 और मई 2014 के मध्य की अवधि के दौरान कृषीय भूमि के लिए नियत सामान्य खसरा दरों पर विक्रय के लिए पंजीकृत किए गए। तथापि, इन विलेखों में संपादित खसरा उच्चतर भूमि दरों वाले प्राईम खसरा के साथ मेल खाते थे। इस प्रकार, भूमि का मूल्य कलैक्टर द्वारा प्राईम भूमि के लिए नियत दरों पर ₹ 75.81 करोड़ निर्धारित किया जाना देय था जिस पर ₹ 3.30 करोड़ का एस.डी. उद्ग्रहणीय था उसकी बजाय कृषीय भूमि के लिए नियत निर्धारित दरों पर ₹ 43.90 करोड़ जिस पर ₹ 1.75 करोड़ का एस.डी. उद्ग्रहीत किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.55 करोड़ (₹ 3.30 करोड़ - ₹ 1.75 करोड़) के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, सभी एस.आरज/जे.एस.आरज ने बताया (सितंबर 2014 और जुलाई 2016 के मध्य) कि मामले निर्णय के लिए आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अधीन कलैक्टर के पास भेजे गए थे तथा लंबित राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

मामला जून 2016 में सरकार को सूचित किया गया; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

4.5 'बिक्री पर हस्तांतरण' का निर्मुक्त विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने बिक्री पर हस्तांतरण का निर्मुक्त विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण किया और कलैक्टर दर के अनुसार ₹ 87.16 लाख की बजाय ₹ 1,850 के स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण किया। परिणामस्वरूप ₹ 87.14 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

दिसंबर 2005 में हरियाणा सरकार के स्पष्टीकरण और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. अधिनियम), की अनुसूची 1-ए में अनुच्छेद 55 के अनुसार, यदि पैतृक संपत्ति का दस्तावेज बहिन या भाई (परित्यक्त के माता-पिता के बच्चे) या परित्यक्त के पुत्र या पुत्री या पिता या माता या पति/पत्नी या पोता-पोती या भतीजा या भतीजी या सहभागी¹⁰ के पक्ष में निष्पादित होता है, स्टाम्प शुल्क ₹ 15 की दर पर उद्ग्रहित किया जाएगा और किसी अन्य मामले में वही शुल्क अचल संपत्ति की बिक्री के संबंध में हस्तांतरण के रूप में हिस्सा, ब्याज, त्यागे गए दावे के भाग के बाजार मूल्य के बराबर राशि का उद्ग्रहित किया जाएगा।

26 एस.आरज/जे.एस.आरज¹¹ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अगस्त और दिसंबर 2015 के मध्य) ने प्रकट किया कि नवंबर 2012 और मार्च 2015 के मध्य 83 निर्मुक्त विलेख, जो कि सरकार को उपर्युक्त स्पष्टीकरण में अनुमत हैं, से अन्य व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित किए गए। पंजीकरण प्राधिकारियों ने केवल ₹ 1,850 एस.डी. निर्मुक्त

⁹ असंध, बल्लभगढ़, बल्लाह, बिलासपुर, छछरौली, धरूहेड़ा, फतेहाबाद, घरौंडा, हिसार, इसराना, जगाधरी, करनाल, खरखोदा, मतलौडा, मुलाना, मुस्तफाबाद, नीलोखेड़ी, रावैर, रेवाड़ी तथा शहजादपुर।

¹⁰ एक व्यक्ति जिसे हिंदू अविभाजित परिवार से संपत्ति विरासत में मिली है।

¹¹ आदमपुर, बरवाला, बल्लभगढ़, बालसंमद, बास, बेहल, बूंदकलां, बाधडा, बवानी खेड़ा, भिवानी, फारूखनगर, फरीदाबाद, गुड़गांव, हांसी, हिसार, जगाधरी, लोहारू, मानेसर, मोहाना, नारनौद, पटौदी, रायपुररानी, सोहना, सिवानी, तिगांव तथा तोशाम।

विलेखों के रूप में उद्गृहीत किए जबकि ये विलेख कलैक्टर दर पर ₹ 17.40 करोड़ की राशि के विक्रय पर हस्तांतरण के तौर पर पांच से सात प्रतिशत की दर पर ₹ 87.16 लाख के एस.डी. के लिए उद्ग्राह्य थी। 'विक्रय पर हस्तांतरण' के निर्मुक्त विलेखों के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 87.14 लाख के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, 14 एस.आरज/जे.एस.आरज¹² ने बताया (जनवरी और मई 2016 के मध्य) कि आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत कलैक्टर को 42 मामले निर्णय के लिए भेजे गए थे।

मामला सरकार को जून 2016 में सूचित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

4.6 स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट

खून के रिश्तों से अन्य व्यक्तियों के पक्ष में हस्तांतरण विलेखों के निष्पादन के लिए प्रावधान के उल्लंघन में स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप राज्य राजकोष को ₹ 48.02 लाख के राजस्व की हानि हुई।

16 जून 2014 के सरकारी आदेश के अनुसार सरकार किसी दस्तावेज पर प्रभार्य एस.डी. को छूट दे सकती है यदि यह मालिक द्वारा उसके जीवनकाल में किसी भी खून के रिश्तों जैसे माता-पिता, बच्चे, पोता-पोती, भाईयों, बहनों और पति/पत्नी के मध्य परिवार के भीतर अचल संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित हों।

वर्ष 2014-15 के लिए एस.आरज/जे.एस.आरज के नौ कार्यालयों¹³ में हस्तांतरण विलेखों के पंजीकृत दस्तावेजों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च से दिसंबर 2015) ने प्रकट किया कि हस्तांतरण विलेखों के 33 दस्तावेज जो सरकार के उपर्युक्त आदेशों में अनुमत थे से अन्य व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित किए गए थे। पंजीकरण प्राधिकारियों ने हस्तान्तरियों को एस.डी. से छूट दे दी जो सरकार के उपर्युक्त आदेशों के उल्लंघन में थी। इस प्रकार, एस.डी. की अनियमित छूट से राज्य राजकोष को ₹ 48.02 लाख तक के राजस्व की हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर, सभी एस.आरज/जे.एस.आरज ने बताया (अगस्त से दिसंबर 2015) कि मामले कलैक्टर को आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत भेजे जाएंगे।

मामला अप्रैल 2016 में सरकार को सूचित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

¹² बरवाला, बल्लभगढ़, बास, फारूखनगर, फरीदाबाद, गुडगांव, हांसी, जगाधरी, लोहारू, मोहाना, सोहना, सिवानी, तिगांव तथा तोशाम।

¹³ बाधड़ा, बवानी खेड़ा, बूंदकलां, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फारूखनगर, लोहारू, सिवानी तथा सोहना।

4.7 छूट की गलत अनुमति

पंजीकरण प्राधिकारियों ने पोल्ट्री फीड निर्माण इकाइयों और शिक्षा समिति के प्रयोजन हेतु ऋणों के लिए गैर कृषकों को ₹ 46.54 लाख के स्टाम्प शुल्क की छूट की अनुमति दी जो सरकार के वर्तमान आदेशों के अनुसार स्वीकार्य नहीं थी।

हरियाणा सरकार, 7 जून 2012 के आदेश के अंतर्गत कृषकों द्वारा, ट्रैक्टर की इसके उपसाधनों के साथ खरीद, ट्रैक्टर टूली और थ्रेशर, डीजल इंजन पर आधारित ट्यूबवैल लगाने, ट्यूबवैल की बोरिंग और विद्युतीकरण, भूमिगत पाइपें बिछाने, जलमार्ग बनाने, भूमि के समतल करने और पुनर्स्थापन और बागवानी के विकास और पंपिंग सैटों की खरीद, केन क्रैशर बैलगाड़ियों या हल और छिड़काव उपकरणों, कृषि प्रयोजनों के लिए छिड़काव वाली सिंचाई, सुअर पालन, डेयरी, पौल्ट्री, मत्स्य पालन, और फसल ऋणों, कृषि ऋणों, अवधि ऋणों, किसान क्रेडिट कार्ड और कोई अन्य संबंधित प्रयोजन ऋण प्राप्त करने के लिए किसी भी वाणिज्यिक बैंक के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों के संबंध में आई.एस. अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य 1.5 प्रतिशत एस.डी. की छूट देती है।

एस.आर.ज. आदमपुर, नीलोखेड़ी और नारनौंद के अभिलेखों (अप्रैल 2014 और अक्टूबर 2015) की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि दिसंबर 2013 और नवंबर 2014 के मध्य अचल संपत्ति की प्रतिभूति के विरुद्ध वाणिज्यिक बैंक से तीन मामलों में पोल्ट्री फीड निर्माण इकाइयों और एक मामले में शिक्षा सोसाइटी के प्रयोजन से ₹ 31.03 करोड़ के ऋण लेने के लिए चार दस्तावेज निष्पादित किए गए। सरकार के उपर्युक्त आदेशों के अनुसार, यथा विनिर्दिष्ट केवल कृषि वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए कृषकों द्वारा निष्पादित दस्तावेजों के संबंध में एस.डी. की छूट दी जा सकती थी। इन व्यक्तियों/सोसाइटी को एस.डी. की गलत छूट के परिणामस्वरूप ₹ 46.54 लाख के एस.डी. का अनुदग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर सभी एस.आर.ज. ने मार्च और अप्रैल 2016 में बताया कि मामले कलैक्टर के पास आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत भेजे गए थे।

मामला अप्रैल 2016 में सरकार को सूचित किया गया; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

4.8 गलत दरें लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क की कम वसूली

पंजीकरण प्राधिकारियों ने दस्तावेजों के पंजीकरण के समय लागू कलैक्टर की दर के बजाय अनुबद्ध दरों के आधार पर ₹ 4.53 करोड़ की भूमि का मूल्य निर्धारण किया परिणामस्वरूप ₹ 42.44 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

मई 2010 में जारी सरकारी आदेश के अनुसार एस.डी. बेची जाने वाली भूमि के कलैक्टर दर पर उदग्रहीत की जाएगी न कि क्रेता और विक्रेता के मध्य अनुबद्ध मूल्य के आधार पर। यदि पंजीकरण प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए कारण है कि संपत्ति या प्रतिफल का मूल्य दस्तावेज में सही नहीं दिखाया गया है तो वह, ऐसे दस्तावेज को पंजीकृत करने के बाद, मूल्य या प्रतिफल जो भी मामला हो और उस पर देय उपयुक्त शुल्क के निर्धारण के लिए कलैक्टर को भेज सकता है।

वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए एस.आरज/जे.एस.आरज के 16 कार्यालयों¹⁴ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि पंजीकरण प्राधिकारियों ने 27 मामलों में भूमि का मूल्य पहले दोनों पक्षों के मध्य अनुबद्ध दरों के आधार पर ₹ 4.53 करोड़ निर्धारित किया और ₹ 23.69 लाख के एस.डी. का उद्ग्रहण किया जबकि दस्तावेजों के पंजीकरण के समय लागू कलैक्टर दर के अनुसार अचल संपत्ति का वास्तविक मूल्य ₹ 13.46 करोड़ था और एस.डी. ₹ 66.13 लाख उद्ग्रहणीय था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 42.44 लाख (₹ 66.13 लाख - ₹ 23.69 लाख) के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, सभी एस.आरज/जे.एस.आरज ने नवंबर 2015 और अप्रैल 2016 के मध्य बताया कि सभी मामले आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत कलैक्टर को भेजे गए थे।

मामला मई 2016 में सरकार को सूचित किया गया; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

4.9 स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट

19 मामलों में किसानों जिन्होंने अधिगृहीत भूमि के मुआवजे की प्राप्ति के दो वर्षों के बाद आवासीय/वाणिज्यिक या कृषीय भूमि खरीदी थी, को स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 27.20 लाख की सीमा तक स्टाम्प शुल्क का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

आई.एस. अधिनियम के अधीन जनवरी 2011 को जारी सरकारी आदेश के अनुसार सरकार उन किसानों द्वारा निष्पादित विक्रय विलेखों के संबंध में एस.डी. की छूट देती है, जिनकी भूमि हरियाणा सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत की जाती है और जो उनके द्वारा मुआवजा राशि की प्राप्ति के दो वर्षों के भीतर राज्य में कृषीय भूमि खरीदते हैं। छूट मुआवजा राशि तक सीमित होगी और नियमानुसार कृषीय भूमि की खरीद में शामिल अतिरिक्त राशि पर एस.डी. उद्ग्रहणीय होगा।

12 एस.आरज¹⁵ के अभिलेखों (जून 2014 और अक्टूबर 2015) की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि 17 मामलों में किसानों ने, जिनकी भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत की गई थी, ₹ 4.10 करोड़ मूल्य की आवासीय/वाणिज्यिक भूमि खरीदी। अन्य दो मामलों में, किसानों ने ₹ 1.41 करोड़ मूल्य की कृषीय भूमि मुआवजा राशि की प्राप्ति के दो वर्षों बाद खरीदी। इन मामलों में पांच से सात प्रतिशत की दर पर ₹ 29.50 लाख राशि का एस.डी. उद्ग्रहण किया जाना था क्योंकि किसानों ने आवासीय/वाणिज्यिक भूमि या कृषीय भूमि मुआवजे की प्राप्ति के दो वर्षों बाद खरीदी थी और इसलिए वे एस.डी. की छूट के योग्य नहीं थे। तथापि, विभाग ने 19 में से सात मामलों में ₹ 10.52 लाख राशि के उद्ग्रहणीय एस.डी. के विरुद्ध ₹ 2.30 लाख राशि के एस.डी. का उद्ग्रहण किया परिणामस्वरूप ₹ 8.22 लाख राशि

¹⁴ असंध, बबैन, फतेहाबाद, जगाधरी, जींद, कैथल, लाडवा, मोहाना, पंचकुला, पेहवा, पिल्लुखेड़ा, पुंडरी, राजौंद, शाहबाद, सफीदों तथा थानेसर।

¹⁵ बिलासपुर, फारुखनगर, फरीदाबाद, गुड़गांव, हांसी, ईस्माइलाबाद, जगाधरी, करनाल, मानेसर, पेहवा, रेवाड़ी तथा थानेसर।

तक

एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ जबकि शेष 12 मामलों में एस.डी. उद्ग्रहीत ही नहीं किया गया। उन 12 मामलों से देय एस.डी. ₹ 18.98 लाख था। कोई एस.डी. की इस अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 27.20 लाख (₹ 8.22 लाख + 18.98 लाख) के एस.डी. का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, चार एस.आरज¹⁶ ने बताया (जून 2014 से जनवरी 2016) कि आठ मामले कलैक्टर को भेजे जा चुके थे जबकि सात एस.आरज¹⁷ ने बताया कि नौ मामले आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलैक्टर के पास भेजे जाएंगे। एस.आर. करनाल से उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

मामला सरकार को अप्रैल 2016 में सूचित किया गया; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

4.10 पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने परिगणना त्रुटि के कारण ₹ 15.81 लाख की बजाय ₹ 4.28 लाख के स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण किया और अग्रिम किराए पर स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया परिणामतः ₹ 11.53 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

आई.एस. अधिनियम की अनुसूची 1-ए का अनुच्छेद 35, औसत वार्षिक आरक्षित किराया की राशि के अतिरिक्त और पट्टे की अवधि के आधार राशि पर जुर्माने के मूल्य या प्रीमियम या अग्रिम के बराबर प्रतिफल के लिए निर्धारित दरों पर विलेख डीड के लिए एस.डी. के उद्ग्रहण का प्रावधान करता है।

एस.आरज/जे.एस.आरज ढांड, करनाल तथा पंचकुला के कार्यालयों के अभिलेखों (दिसंबर 2014 से दिसंबर 2015) की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि 9 से 99 वर्षों तक श्रृंखलित अवधियों के लिए पट्टे के आठ दस्तावेज अक्टूबर 2013 और अक्टूबर 2014 के मध्य पंजीकृत किए गए थे। पट्टाधारियों ने अनुबंध की समयावधि के दौरान देय ₹ 19.85 लाख राशि का अग्रिम किराया और ₹ 5.07 करोड़ राशि का वार्षिक औसत किराया प्राप्त किया। पंजीकरण प्राधिकारियों ने परिगणन त्रुटि के कारण ₹ 15.81 लाख की बजाय ₹ 4.28 लाख एस.डी. उद्ग्रहीत किया और अग्रिम किराए पर एस.डी. उद्ग्रहीत नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.53 लाख के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, सभी एस.आरज/जे.एस.आरज ने अप्रैल 2016 में बताया कि सभी मामले कलैक्टर को आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अधीन निर्णय के लिए भेजे जा चुके थे।

¹⁶ बिलासपुर, फरीदाबाद, मानेसर तथा थानेसर।

¹⁷ फारूखनगर, गुड़गांव, हांसी, ईस्माइलाबाद, जगाधरी, पेहवा तथा रेवाड़ी।

वर्ष 2015-16 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

मामला मई 2016 में सरकार को सूचित किया गया; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

अध्याय 5: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

5.1.1 कर प्रबंध

5.1.1.1 वाहनों पर कर

मोटर वाहनों का पंजीकरण, परमिटों का निर्गम, ड्राईविंग/कंडक्टर लाईसैंसों का निर्गम, टोकन टैक्स, परमिट फीस, लाईसैंस फीस इत्यादि के उद्ग्रहण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एम.वी. अधिनियम), केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सी.एम.वी.आर.), हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993, पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 (पी.एम.वी.टी. अधिनियम), हरियाणा राज्य में यथा लागू और पंजाब मोटर वाहन कराधान नियम, 1925 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होते हैं। अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग के प्रशासनिक मुखिया हैं तथा परिवहन आयुक्त, जो विभाग के कार्यचालन पर सामान्य अधीक्षण करते हैं, द्वारा सहायता प्राप्त हैं। गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग उप-मंडल कार्यालयों (सिविल) द्वारा किया जा रहा है जबकि माल वाहनों सहित परिवहन वाहनों के संबंध में आर.एल.ए. की शक्तियों का प्रयोग सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.एज) द्वारा किया जा रहा है।

5.1.1.2 यात्री एवं माल कर

यात्री एवं माल कर (पी.जी.टी.) का उद्ग्रहण एवं संग्रहण, हरियाणा राज्य में यथा लागू, पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952 (पी.पी.जी.टी. अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग सरकारी स्तर पर प्रशासनिक अध्यक्ष हैं। विभाग का समग्र प्रभार आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.), हरियाणा के पास निहित है। पी.जी.टी. के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित कार्य फील्ड में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (डी.ई.टी.सी.ज) के अधीन सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज) द्वारा किया जाता है।

5.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2015-16 में टोकन टैक्स, फिटनेस/नवीकरण फीस, यात्री एवं माल पर कर, पेनल्टी इत्यादि से संबंधित 98 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 44,660 मामलों में ₹ 17.26 करोड़ से आवेष्टित अनियमितताएं प्रकट की जो तालिका 5.1 में विवरणानुसार निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

तालिका 5.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण न करने के कारण राजस्व की हानि	1	12.78
2.	ओवरलोडिड वाहनों से जुमनि की अवसूली	119	0.16
3.	पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के नवीकरण के कारण फिटनेस/नवीकरण फीस की अवसूली	38,391	1.29
4.	स्टेज कॅरैज बसों/सिटी बसों के संबंध में टोकन/रोड टैक्स की अवसूली/कम वसूली	16	0.05
5.	निम्नलिखित की अवसूली/कम वसूली <ul style="list-style-type: none"> • यात्री कर • माल कर • प्राइवेट वाहनों से टोकन टैक्स 	525 1,223 3,991	1.22 0.67 0.89
6.	विविध अनियमितताएं	393	0.20
योग		44,660	17.26

वर्ष के दौरान, विभाग ने 1,534 मामलों में ₹ 14.13 करोड़ के अवनिर्धारण तथा कमियां स्वीकार की, जिनमें से ₹ 9.04 करोड़ से आवेष्टित 1,506 मामले वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 660 मामलों में ₹ 0.46 करोड़ वसूल किए जिनमें से 204 मामलों में ₹ 0.31 करोड़ वर्ष 2015-16 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे।

₹ 14.13 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामले तथा “मोटर वाहन विभाग में कंप्यूटरीकरण” पर अनुवर्तन लेखापरीक्षा निम्नलिखित अनुच्छेदों में विचाराधीन हैं:

परिवहन विभाग

5.2 वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण न करने के कारण राजस्व की हानि

वैधता की समाप्ति के पश्चात् भी मालिकों द्वारा 2,46,948 परिवहन वाहनों तथा 1,63,456 गैर-परिवहन वाहनों के फिटनेस/पंजीकरण प्रमाण-पत्रों का नवीकरण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 12.78 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एम.वी. अधिनियम) की धारा 41 तथा 56 के अंतर्गत प्रत्येक परिवहन/गैर-परिवहन वाहन के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सी.एम.वी.आर.) के नियम 62 के अनुसार फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए राज्य के 21 जिलों में से सात जिलों¹ में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.एज) और पंजीकरण प्राधिकारियों (मोटर वाहन) {आर.ए. (एम.वीज)} के कार्यालयों के अभिलेखों की यह निर्धारण करने के लिए जनवरी से मई 2016 के मध्य नमूना-जांच की गई थी कि क्या विभाग में वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने तथा उनके राजस्व के संग्रहण की प्रणाली प्रभावी थी।

5.2.1 परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्रों का नवीकरण न करना

एम.वी. अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत एक परिवहन वाहन पंजीकरण के प्रयोजन हेतु तब तक वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा जब तक वह केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित गए विवरणों एवं सूचना से समाविष्ट फार्म में फिटनेस का प्रमाण-पत्र नहीं लेता। नए परिवहन वाहन के पंजीकरण के समय जारी किया गया फिटनेस प्रमाण-पत्र दो वर्ष के लिए वैध है तथा तत्पश्चात् इसे सी.एम.वी.आर. के नियम 81 के अंतर्गत निर्धारित फीस के भुगतान पर प्रत्येक वर्ष नवीकृत करवाया जाना है। फिटनेस की जांच करने की फीस तिपहिया वाहनों, हल्के मोटर वाहनों (एल.एम.वीज), मध्यम मोटर वाहनों (एम.एम.वीज) तथा भारी मोटर वाहनों (एच.एम.वीज) के लिए क्रमशः ₹ 100, ₹ 200, ₹ 300 तथा ₹ 400 प्रभारित की जानी है। इसके अतिरिक्त मोटर वाहनों की सभी श्रेणियों को फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीकरण जारी करने के लिए ₹ 100 प्रभारित किया जाना है।

सात आर.टी.एज² के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जनवरी तथा मई 2016 के मध्य) ने प्रकट किया कि 6,29,316 परिवहन वाहन³ वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान फिटनेस प्रमाण-पत्र के नवीकरण हेतु देय थे। इनमें से 2,46,948 वाहनों (39.24 प्रतिशत) के मालिकों ने अपने फिटनेस प्रमाण-पत्र का इसकी वैधता की समाप्ति के पश्चात् भी नवीकरण नहीं करवाया। आर.टी.एज ने फिटनेस प्रमाण-पत्र के नवीकरण हेतु वाहन मालिकों को न तो रिमाइंडर जारी किए और न ही उन्होंने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ की। फिटनेस प्रमाण-पत्रों का नवीकरण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 8.13 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

यह इंगित किए जाने पर सभी आर.टी.एज ने बताया (जनवरी तथा मई 2016 के मध्य) कि यदि रोड़ साईड चैकिंग के दौरान कोई वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र के बिना पाया जाता है तो इन वाहनों का चालान किया जाएगा तथा पेनल्टी सहित फिटनेस फीस वसूल की जाएगी।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि 2,46,948 परिवहन वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र के बिना चल रहे थे तथा फिटनेस प्रमाण-पत्र के बिना चलने के कारण आर.टी.एज द्वारा आठ वाहनों का चालान (अंबाला: 5 तथा पानीपत: 3) किया गया था। यह प्रमाण था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी वाहनों के पास एम.वी. अधिनियम के अनुसार वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र है, केवल रोड़ साईड चैकिंग न तो प्रभावी और न ही पर्याप्त थी। आगे, सार्वजनिक स्थानों पर

¹ अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, पानीपत तथा सोनीपत।

² अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, पानीपत तथा सोनीपत।

³ परिवहन वाहन (2012-13: 1,71,652; 2013-14: 2,12,922 तथा 2014-15: 2,44,742)। अन्य प्राधिकारियों को हस्तांतरित वाहन छोड़ दिए गए हैं तथा इस प्राधिकारी को हस्तांतरित वाहन शामिल किए गए हैं।

चल रहे वाहनों का फिटनेस प्रमाण-पत्र सुनिश्चित करने की विफलता सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से जनता को जोखिम में डालती है तथा वायु प्रदूषण के मानकों से भी समझौता करती है।

5.2.2 गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण का नवीकरण न करना

सी.एम.वी. नियमों के साथ पठित एम.वी. अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत परिवहन वाहनों से अतिरिक्त वाहनों के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र ऐसे प्रमाण-पत्र के जारी करने की तारीख से 15 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा तथा आगे पांच वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित फीस⁴ के भुगतान पर नवीकरण योग्य होगा। धारा 56 के अंतर्गत पंजीकरण प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकारी से फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् पंजीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण करता है।

आगे, अधिनियम की धारा 55 के अनुसार वाहन मालिक को चौदह दिनों के भीतर या जितनी जल्दी संभव हो यह सूचित करते हुए कि उसका वाहन नष्ट हो चुका है या स्थायी रूप से उपयोग के लिए बेकार मान लिया गया है, उसके अधिकार क्षेत्र के पंजीकरण प्राधिकारी को उसके वाहन का पंजीकरण प्रमाण-पत्र समर्पित करना चाहिए। पंजीकरण प्राधिकारी उसके वाहन का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करेगा। यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि वाहन ऐसी स्थिति में है कि यह उपयोग किए जाने के काबिल नहीं है या सार्वजनिक स्थान पर इसके उपयोग से जनता को खतरा होगा तथा कि यह किफायती मरम्मत से परे है।

सात जिलों के 13 आर.ए.ज (एम.वी.)⁵ के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान, 1,89,786 गैर-परिवहन वाहन पंजीकृत किए गए थे जिनमें से 26,330 वाहन अन्य प्राधिकारियों को हस्तांतरित किए गए थे तथा शेष 1,63,456 वाहन पंजीकरण की वैधता की समाप्ति के पश्चात् अर्थात् पंजीकरण के 15 वर्षों के पश्चात् वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान नवीकरण हेतु देय थे। इनमें से केवल 6,293 वाहनों (3.84 प्रतिशत) के पंजीकरण/फिटनेस प्रमाण-पत्र नवीकृत किए गए थे। इस प्रकार, 1,57,163 वाहनों के मालिकों ने वैधता की समाप्ति के पश्चात् भी अपने फिटनेस/पंजीकरण प्रमाण-पत्रों को नवीकृत नहीं करवाया। आगे, पंजीकरण प्राधिकारी, पंजीकरण/फिटनेस प्रमाण-पत्रों के नवीकरण हेतु कोई रिमांडर जारी नहीं कर रहे थे। नवीकरण पंजीकरण के बिना चलने वाले वाहनों की जांच करने के लिए इंस्पेक्टरों द्वारा किया गया कोई प्रयास भी अभिलेख पर नहीं पाया गया था। गैर-परिवहन वाहनों के फिटनेस/पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के नवीकरण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.65 करोड़ की राशि के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

उपर्युक्त बिन्दु जून 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किए गए थे; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

⁴ फिटनेस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण हेतु फीस दोपहिया वाहनों के लिए ₹ 100/60 तथा एल.एम.वी.ज के लिए ₹ 100/200 है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वाहन को फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए ₹ 100 भी प्रभार्य हैं।

⁵ अंबाला, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, गोहाना, गुड़गांव, गन्नौर, हिसार, हांसी, झज्जर, नारायणगढ़, पानीपत तथा सोनीपत।

5.3 “मोटर वाहन विभाग में कंप्यूटरीकरण की निष्पादन लेखापरीक्षा” पर अनुवर्तन लेखापरीक्षा

5.3.1 प्रस्तावना

13 पंजीकरण प्राधिकारियों (आर.एज) तथा छः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.एज) को आवृत्त करते हुए “मोटर वाहन विभाग में कंप्यूटरीकरण” पर निष्पादन लेखापरीक्षा मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में शामिल की गई थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों तथा सिफारिशों पर लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा इसकी 72वीं रिपोर्ट में जनवरी 2016 में चर्चा की गई थी जो कि मार्च 2016 में राज्य विधानसभा में प्रस्तुत की गई थी। प्रतिवेदन में, प्रणाली की आयोजना एवं कार्यान्वयन में देरवी गई कमियों, वाहन साफ्टवेयर के प्रचालन में कमियों, बिजनेस नियमों की मैपिंग तथा वाहन एवं सारथी साफ्टवेयर की डाटा परिशुद्धता के बारे में इनपुट वैधता की कमी से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया था।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों तथा अभ्युक्तियों के कार्यान्वयन पर विभाग द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई की जांच करने के लिए अनुवर्तन लेखापरीक्षा संचालित (जनवरी तथा मई 2016 के मध्य) की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा में 26 अभ्युक्तियां तथा छः सिफारिशें शामिल हैं। पी.ए.सी. में विचार-विमर्श किए गए अनुसार (जनवरी 2016) इन अभ्युक्तियों तथा सिफारिशों पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाई गई है।

5.3.2 लेखापरीक्षा सिफारिशों का कार्यान्वयन

सरकार द्वारा स्वीकृत छः लेखापरीक्षा सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति नीचे तालिकाबद्ध किए गए अनुसार तीन श्रेणियों, अर्थात् (क) नगण्य/कोई प्रगति नहीं, (ख) आंशिक कार्यान्वयन, तथा (ग) पूर्ण कार्यान्वयन, में व्यवस्थित की गई है।

(क) नगण्य/कोई प्रगति नहीं

प्रतिवेदन में किए गए लेखापरीक्षा उपलब्धियां	की गई सिफारिशें	पी.ए.सी. की सिफारिशें	लेखापरीक्षा उपलब्धियां/टिप्पणी
5.2.10.3 परिवर्तन नियंत्रण यंत्रावली की कमी: लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 13 आर.एज तथा छः आर.टी.एज में परिवर्तनों के प्राधिकार देने एवं प्रलेखन हेतु उचित स्तर पर कोई प्रक्रिया नहीं बनाई गई थी। व्यापार नियमों में कोई परिवर्तन करने वाली अधिसूचना जारी करने से पूर्व, साफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन सम्मिलित किए जाने चाहिए। राज्य राजकोष को किसी हानि से बचाने हेतु संशोधन, सारे राज्य	5.2.17 (iv): पारदर्शिता और प्रभावी आंतरिक नियंत्रणों को सुनिश्चित करने के लिए सही प्रलेखित परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया बनाना।	पी.ए.सी. ने विभाग को विभिन्न करों/पेनल्टी की वृद्धित दरों के संबंध में सरकारी अनुदेशों के समयबद्ध कार्यान्वयन की प्रभावी मानीटरिंग के लिए वास्तविक कदम उठाने का निदेश दिया था ताकि राज्य का राजस्व बचाया जा सके।	डाटा के विश्लेषण ने प्रकट किया कि विलंब अभी तक विद्यमान था। आर.एज में पंजीकृत व्यक्तिगत वाहनों के पंजीकरण हेतु कर दरों की वृद्धि के लिए सरकार द्वारा 9 अप्रैल 2013 तथा 5 जून 2015 को जारी की गई अधिसूचनाएं क्रमशः 10 अप्रैल 2013 तथा 8 जून 2015 को एप्लीकेशन में शामिल की गई थी। संशोधित कर दरों के विलंब से शामिल करने

प्रतिवेदन में किए गए लेखापरीक्षा उपलब्धियां	की गई सिफारिशें	पी.ए.सी. की सिफारिशें	लेखापरीक्षा उपलब्धियां / टिप्पणी
में एकरूपता से अधिसूचना की तिथि से किया जाना था। विभाग में कोई मानीटरिंग कक्ष स्थापित नहीं किया गया था परिणामस्वरूप विभिन्न करों/ पेनल्टियों की वृद्धित दर से संबंधित निर्देशों का कार्यान्वयन विलम्बित था परिणामतः राजस्व की कम वसूली हुई।			के परिणामस्वरूप 13 आर.एज में ₹ 0.07 करोड़ की पेनल्टी के अतिरिक्त ₹ 1.82 करोड़ की राशि के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।
5.2.10.4 उचित प्रलेखन और प्रणाली विकास नियंत्रणों की कमी: प्रतिवेदन में यह इंगित किया गया था कि प्रलेखन अर्थात् आंकड़ा प्रवाह डायग्राम, डाटा डिक्शनरी, मल्टीपल तालिकाओं के मध्य संबंध आदि नमूना-जांच किए गए स्थानों पर उपलब्ध नहीं था।	5.2.17 (ii): प्रणाली प्रलेखन और प्रशिक्षण नियमावलियों सहित नियमावलियों को तैयार करना और उनका रख-रखाव।	पी.ए.सी. ने सिफारिश की थी कि इन दस्तावेजों को राज्य में सभी पंजीकरण एवं लाईसेंसिंग प्राधिकारियों के कार्यालयों में उपलब्ध करवाया जाए ताकि सही प्रलेखन रखा जा सके।	नमूना-जांच किए गए यूनिटों में दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।
5.2.10.6 विभाग में तकनीकी सुविज्ञता का अ विकास: प्रतिवेदन में यह इंगित किया गया था कि आर.एज./आर.टी.एज के स्टाफ को इन प्रणालियों के संचालन में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था परिणामस्वरूप विभाग थर्ड पार्टी बाह्य स्रोत एजेंसियों पर निर्भर था।	5.2.17 (ii): प्रणाली प्रलेखन और प्रशिक्षण नियमावलियां सहित नियमावलियों को तैयार करना और उनका अनुरक्षण।	पी.ए.सी. ने सिफारिश की थी कि विभाग आर.एज./आर.टी.एज के स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तुरंत कदम उठाए ताकि वाहन तथा सारथी साफ्टवेयर को दक्षता से परिचालित किया जा सके और विभाग थर्ड पार्टी आऊटसोर्सिंग एजेंसी पर निर्भर न रहे।	आऊटसोर्सिंग स्टाफ पर निर्भरता को कम करने के लिए आर.एज./आर.टी.एज स्टाफ को वाहन एवं सारथी एप्लीकेशनों के उपयोग हेतु कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। आर.एज./आर.टी.एज स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कार्य योजना राज्य परिवहन नियंत्रक (एस.टी.ए.), हरियाणा से मांगी गई थी, उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।
5.2.10.5 स्मार्टकार्डों की निविदाओं के अन्तिमकरण में असामान्य विलंब: वाहन एवं सारथी का एक उद्देश्य, स्मार्ट कार्ड टेक्नोलोजी प्रयोग करके ड्राइविंग लाइसेंस तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना था।	5.2.17 (iii): आर.सीज और ड्राइविंग लाइसेंसों को स्मार्ट कार्डों पर जारी करने को सुनिश्चित करना।	समिति ने समयबद्ध ढंग से वैब आधारित सारथी तथा वाहन वर्सन 4.0 के कार्यान्वयन/अपनाने तथा उपर्युक्त वर्सन में डी.एलज/आर.सीज आधारित समार्ट कार्ड जारी करने के लिए विभाग को वास्तविक तथा प्रभावी कदम उठाने की सिफारिश की।	इन स्थानों पर कहीं भी स्मार्ट कार्ड आधारित लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे थे। किसी भी प्राधिकरण में वाहन वर्सन 4.0 कार्यान्वित नहीं किया गया है।

प्रतिवेदन में किए गए लेखापरीक्षा उपलब्धियां	की गई सिफारिशें	पी.ए.सी. की सिफारिशें	लेखापरीक्षा उपलब्धियां / टिप्पणी
<p>5.2.12.3 पुनः पंजीकृत किए जाने हेतु अपेक्षित वाहन को चिह्नित करने के लिए एम.आई.एस. रिपोर्ट की अनुपलब्धता: प्रतिवेदन में एक अभ्युक्ति की गई थी कि पंजीकरण के नवीकरण किए जाने हेतु अपेक्षित वाहनों को चिह्नित करने के लिए एम.आई.एस. रिपोर्ट एप्लीकेशन में उपलब्ध नहीं थी।</p>	<p>5.2.17 (vi): एम.वी. अधिनियम तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को चिह्नित करने के लिए नियमित अंतरालों पर आपत्ति रिपोर्टों का सृजन अनिवार्य करना।</p>	<p>पी.ए.सी. ने इच्छा प्रकट की थी कि विभाग, वाहन एवं सारथी परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए।</p>	<p>पंजीकरण के नवीकरण किए जाने हेतु अपेक्षित वाहनों को चिह्नित करने के लिए वाहन एप्लीकेशन में कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।</p>
<p>5.2.13.2 चैसीज नंबर का फेरबदल: निष्पादन लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया था कि डाटा एंट्री आपरेटर चैसीज नंबरों में अतिरिक्त अंक जोड़कर, डुप्लीकेट चैसीज नंबर को ब्लॉक करने के लिए एप्लीकेशन में प्रवर्तित वैधता नियंत्रण को रोकने के लिए चैसीज कोड के अंकों की संख्या को घटा/बढ़ाकर फेरबदल कर रहे थे।</p>	<p>5.2.17 (v): आंकड़ा अभिग्रहण के समय वैधता नियंत्रण के सुदृढीकरण तथा आंकड़ा प्रविष्टि प्रणाली के सही पर्यवेक्षण और प्रणाली में गलत और अनावश्यक डाटा की प्रविष्टि रोकने के लिए इनपुट और संसाधन नियंत्रणों का सुदृढीकरण।</p>	<p>पी.ए.सी. ने विभाग को वाहन एवं सारथी परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सच्ची भावना से ठोस कदम उठाने का निदेश दिया।</p>	<p>उपर्युक्त वर्सन कार्यान्वित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2016)।</p>
<p>5.2.13.3 चैसीज कोड का अपूर्ण कैप्चर: प्रतिवेदन में यह इंगित किया गया था कि एप्लीकेशन में अपर्याप्त वैधता नियंत्रणों के कारण डाटा एंट्री आपरेटरों द्वारा अपूर्ण चैसीज कोड कैप्चर किए जा रहे थे।</p>	<p>5.2.17 (v): डाटा कैप्चर के समय वैधता नियंत्रण के सुदृढीकरण तथा डाटा प्रविष्टि प्रणाली के सही पर्यवेक्षण और प्रणाली में गलत और अनावश्यक डाटा की प्रविष्टि रोकने के लिए इनपुट और संसाधन नियंत्रणों का सुदृढीकरण।</p>	<p>पी.ए.सी. ने विभाग को वाहन एवं सारथी साफ्टवेयर परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सच्ची भावना से ठोस कदम उठाने का निदेश दिया था।</p>	<p>17 अंकों के पूर्ण चैसिज कोड की कैप्चरिंग सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैधता नियंत्रण एप्लीकेशन में उपलब्ध नहीं थे।</p>
<p>5.2.15.1 अपर्याप्त तर्कसंगत नियंत्रण और कर्तव्यों का पृथक्करण न करना:</p>	<p>5.2.17 (ii): विश्वसनीय आशंका निर्धारण</p>	<p>पी.ए.सी. ने विभाग को वाहन एवं सारथी साफ्टवेयर परियोजना</p>	<p>प्रश्नावली के उत्तर में नमूना-जांच की गई यूनिटों ने उत्तर दिया कि स्टॉफ की</p>

प्रतिवेदन में किए गए लेखापरीक्षा उपलब्धियां	की गई सिफारिशें	पी.ए.सी. की सिफारिशें	लेखापरीक्षा उपलब्धियां / टिप्पणी
	यंत्रावली तथा विपत्ति वसूली के साथ एक आई.टी. सुरक्षा नीति और प्रणाली से अधिकतम आऊटपुट काम में लाने के लिए व्यवसाय निरंतरता योजना तैयार करना।	के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सच्ची भावना से ठोस कदम उठाने का निदेश दिया था।	कमी के कारण यूजर आई.डी. तथा पासवर्ड उपयोगकर्ताओं द्वारा उनके बीच शेयर किए जाते हैं।

(ख) आंशिक कार्यान्वयन

प्रतिवेदन में किए गए लेखापरीक्षा उपलब्धियां	की गई सिफारिशें	पी.ए.सी. की सिफारिशें	लेखापरीक्षा उपलब्धियां / टिप्पणी
5.2.10.1 आई.टी. नीति एवं आयोजना की कमी के परिणामस्वरूप अप्राधिकृत साफ्टवेयर का कार्यान्वयन: प्रतिवेदन में यह इंगित किया गया था कि 'वाहन' की बजाय अप्राधिकृत साफ्टवेयर कार्यान्वित किया गया था। इन अप्राधिकृत साफ्टवेयरों के माध्यम से लिया गया डाटा 'वाहन' एवं 'सारथी' साफ्टवेयर को स्थानान्तरित नहीं किया जा सका।	5.2.17 (i): कंप्यूटरीकरण के विभिन्न स्तरों के लिए टाईमफ्रेम स्थापित करना और पूर्ण ढंग से परियोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।	पी.ए.सी. ने यह जानने की इच्छा प्रकट की थी कि राज्य के सभी जिलों में लीगेसी डाटा के अपडेशन की परियोजना कब तक पूर्ण हो जाएगी।	लीगेसी डाटा आर.ए.ज. अंबाला तथा करनाल में डिजीटाइज्ड किया गया था और डिजीटाइज्ड किए जाने वाले दस्तावेजों की स्कैनिंग स्टेज 12 प्राधिकरणों में पूर्ण की गई थी। तथापि, चार प्राधिकरणों ⁶ में लीगेसी डाटा के डिजीटाइजेशन का कार्य शुरू नहीं किया गया था।
5.2.10.2 प्रणाली का आंशिक उपयोग: निष्पादन लेखापरीक्षा में यह इंगित किया गया था कि हस्तलिखित रसीदें एवं कैश बुक प्रचलन में थी तथा प्रवर्तन मोड्यूल उपयोग में नहीं था।	5.2.17 (i): कंप्यूटरीकरण के विभिन्न स्तरों के लिए टाईमफ्रेम स्थापित करना और पूर्ण ढंग से परियोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।	पी.ए.सी. ने सिफारिश की थी कि प्रणाली में उपलब्ध प्रोसेसिंग क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए वाहन साफ्टवेयर के संपूर्ण वर्कफ्लो का कार्यान्वयन, जितनी जल्दी संभव हो, पूर्ण किया जाना चाहिए।	कैश बुक की हस्तलिखित प्रणाली सभी आर.टी.ए.ज तथा आर.ए.ज में समाप्त कर दी गई थी। तथापि, मूल परमिट, वाहनों के चालान, प्रदूषण जांच केंद्रों और ड्राईविंग प्रशिक्षण स्कूलों से संबंधित कार्य आर.टी.ए.ज में डिजीटाइज्ड नहीं किए गए थे।
5.2.10.7 नागरिक केन्द्रक सेवा का अप्रावधान: परियोजना के उद्देश्यों में से एक, कमीशन एजेंटों पर निर्भरता को कम करने के लिए आवेदन	5.2.17 (i): कंप्यूटरीकरण के विभिन्न स्तरों के लिए टाईमफ्रेम स्थापित करना	समिति ने विभाग से परियोजना का उद्देश्य समयबद्ध ढंग से प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की	आर.टी.ए.ज के लिए ई-पेमेंट (रोड़ टैक्स), राष्ट्रीय परमिट स्कीम, वाहन खोज, फार्मों की डाऊनलोडिंग इत्यादि जैसी नागरिक सेवाएं आम

⁶ आर.ए.ज.: फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक तथा आर.टी.ए. फरीदाबाद।

प्रतिवेदन में किए गए लेखापरीक्षा उपलब्धियां	की गई सिफारिशें	पी.ए.सी. की सिफारिशें	लेखापरीक्षा उपलब्धियां / टिप्पणी
फार्मों की डाऊनलोडिंग, मिलने की अनुमति प्राप्त करना, आवेदनों का प्रस्तुतिकरण, पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन पेमेंट करना इत्यादि जैसी ऑनलाईन सेवाएं प्रदान करके दक्ष एवं त्वरित ढंग से भीड़ मुक्त सेवाएं प्रदान करना था।	और पूर्ण ढंग से परियोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।	इच्छा प्रकट की।	जनता को उपलब्ध करवाई गई है। तथापि, पंजीकरण प्राधिकारियों (एम.वी.) के पास पंजीकृत वाहनों के लिए करों/फीसों का ई-पेमेंट, ऑनलाईन मिलने का समय मांगना, आवेदनों का ऑनलाईन प्रस्तुतिकरण शुरू नहीं किया गया है। पांच स्थानों पर सारथी का कार्यान्वयन भी किया गया था जो लाईसेंसों के लिए फीसों का ऑनलाईन भुगतान का प्रावधान करता है।
5.2.13.1 एक से अधिक वाहनों को समान इंजन नंबर और चैसीज नंबर देना: नमूना-जांच किए गए यूनितों द्वारा अनुरक्षित डाटा के विश्लेषण ने प्रकट किया कि विभिन्न पंजीकरण नंबर वाले वाहनों के लिए एकसमान इंजन नंबर तथा/या एकसमान चैसीज नंबर कैप्चर किए गए थे।	5.2.17 (v): डाटा कैप्चर के समय वैधता जांच के सुदृढीकरण तथा डाटा एंट्री प्रक्रिया के सही पर्यवेक्षण और प्रणाली में गलत और अनावश्यक डाटा की प्रविष्टि रोकने के लिए इनपुट और संसाधन नियंत्रणों का सुदृढीकरण।	समिति ने विभाग से वाहन एवं सारथी परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की इच्छा प्रकट की।	एप्लीकेशन दूसरे वाहन के लिए एकसमान चैसीज नंबर की प्रविष्टि की अनुमति नहीं देता। तथापि, विभिन्न पंजीकरण नंबरों वाले वाहनों के लिए एकसमान इंजन नंबर की प्रविष्टि रोकने के लिए एप्लीकेशन में कोई वैधता जांच मौजूद नहीं थी।
5.2.14.1 दोहरे लाईसेंसों का जारी करना: अपर्याप्त वैधता जांचों के कारण एप्लीकेशन एक ही व्यक्ति को ड्राइविंग लाईसेंस दो बार जारी करने के मामलों का पता नहीं लगा सकी।	5.2.17 (v): डाटा कैप्चर के समय वैधता जांच के सुदृढीकरण तथा डाटा एंट्री प्रक्रिया के सही पर्यवेक्षण और प्रणाली में गलत और अनावश्यक डाटा की प्रविष्टि रोकने के लिए इनपुट और संसाधन नियंत्रणों का सुदृढीकरण।	समिति ने विभाग को वाहन एवं सारथी साफ्टवेयर परियोजना के उद्देश्यों को समयबद्ध ढंग से प्राप्त करने के लिए सच्ची भावना से ठोस कदम उठाने का निदेश दिया।	नमूना-जांच किए गए यूनितों द्वारा उपलब्ध करवाए गए डाटा के विश्लेषण ने एक ही आवेदक को दोहरे लाईसेंसों के निर्गम के मामले प्रकट किए।

प्रतिवेदन में किए गए लेखापरीक्षा उपलब्धियां	की गई सिफारिशें	पी.ए.सी. की सिफारिशें	लेखापरीक्षा उपलब्धियां / टिप्पणी
<p>5.2.15.2 व्यवसाय निरन्तरता और आपदा वसूली योजना की कमी: यह इंगित किया गया था कि विभाग के पास प्रणाली विफलता की घटना में विभागीय गतिविधियों की निरन्तरता रखने के लिए औपचारिक व्यवसाय निरन्तरता तथा आपदा वसूली योजना नहीं थी।</p>	<p>5.2.17 (ii): विश्वसनीय आशंका निर्धारण यंत्रावली तथा आपदा वसूली के साथ एक आई.टी. सुरक्षा नीति और प्रणाली से अधिकतम आऊटपुट काम में लाने के लिए व्यवसाय निरन्तरता योजना तैयार करना।</p>	<p>समिति ने विभाग को वाहन एवं सारथी साफ्टवेयर परियोजना के उद्देश्यों को समयबद्ध ढंग से प्राप्त करने के लिए सच्ची भावना से ठोस कदम उठाने का निदेश दिया।</p>	<p>नमूना-जांच किए गए 19 स्थानों में से 17 स्थानों पर बैक-अप सर्वर स्थापित नहीं किया गया था तथा पांच स्थानों पर ऑफ-साईट स्टोरेज अनुरक्षित नहीं किया जा रहा था।</p>

(ग) पूर्ण कार्यान्वयन

प्रतिवेदन में किए गए लेखापरीक्षा उपलब्धियां	की गई सिफारिशें	पी.ए.सी. की सिफारिशें	लेखापरीक्षा उपलब्धियां / टिप्पणी
<p>5.2.11.1 अप्राधिकृत प्रिंट रिपोर्ट्स डिजाइन करके दैनिक संग्रहण रजिस्ट्रों /डी.सी.आर.ज/कैश बुक के सृजन ने सरकारी खाते में राजस्व का कम जमा सुसाधित किया: आर.ए., रोहतक में एप्लीकेशन में उपलब्ध इन-बिल्ट रिपोर्ट की बजाए वाहन एप्लीकेशन के माध्यम से कैप्चर किया गया डाटा उपयोग करके रसीदों एवं कैशबुक के सृजन हेतु इन-हाउस रिपोर्ट डिजाइन की गई थी। कैशबुक रिपोर्ट डिजाइन करते समय कुछ फील्डों की मैपिंग छूट गई थी। फील्डों की अनुचित मैपिंग, आम जनता के माध्यम से एकत्रित कुल धन इस रिपोर्ट में प्रतिबिंबित नहीं किया इससे सरकारी लेखे में कम राजस्व जमा हुआ।</p>	<p>5.2.17 (iv): पारदर्शिता और प्रभावी आन्तरिक नियंत्रणों को सुनिश्चित करने के लिए सही प्रलेखित परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया का अनुरक्षण।</p>	<p>समिति ने दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कानून/नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की सिफारिश की है।</p>	<p>अनधिकृत प्रिंट रिपोर्ट एन.आई.सी. द्वारा वापस ले ली गई थी तथा वाहन एप्लीकेशन की इन-बिल्ट रिपोर्ट कार्यान्वित की गई थी। विभाग ने अपने उत्तर में आगे बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात लेखा अधिकारी, जिला नगर आयोजक, रोहतक द्वारा विस्तृत जांच-पड़ताल की गई थी तथा कम जमा करवाई गई फीस/कर की ₹ 8.08 लाख की राशि संबंधित कर्मचारी से वसूल की गई और खजाने जमा करवाई गई थी।</p>
<p>5.2.11.2 वाहन के साथ कोई संयोजन न रखने वाले लोकल साफ्टवेयर का प्रयोग: आर.ए., फरीदाबाद में ड्राईविंग लाईसेंसों/पंजीकरण प्रमाण-पत्रों को तैयार करने से संबंधित कार्य</p>	<p>5.2.17 (i): कंप्यूटरीकरण के विभिन्न स्तरों के लिए टाइमफ्रेम स्थापित करना और पूर्ण ढंग से</p>	<p>समिति ने वाहन तथा सारथी परियोजनाओं की मानीटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए तुरंत प्रभावी कदम</p>	<p>आर.ए., फरीदाबाद ने अपने उत्तर में बताया कि डी.एल.ज तथा आर.सी.ज जारी करने से संबंधित कार्य बाहरी एजेंसी से वापस ले लिया गया था तथा वाहन एवं सारथी</p>

प्रतिवेदन में किए गए लेखापरीक्षा उपलब्धियां	की गई सिफारिशें	पी.ए.सी. की सिफारिशें	लेखापरीक्षा उपलब्धियां / टिप्पणी
बाहरी एजेंसी को दिया गया था। एजेंसी, वित्तीय डाटा कैचर करने के लिए फोक्सप्रो में विकसित अपने स्वयं के साफ्टवेयर का प्रयोग कर रही थी। इस प्रकार, इस एप्लीकेशन के माध्यम से सृजित रसीदें तथा कैश-बुक वाहन तथा सारथी एप्लीकेशनों में स्टोर किए गए डाटा से मेल नहीं खाती थी।	परियोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।	उठाने की सिफारिश की थी।	एप्लीकेशनों का संपूर्ण वर्क-फ्लो वर्ष 2012 से कार्यान्वित किया गया था। यूनिट द्वारा उपलब्ध करवाए गए डाटा के विश्लेषण ने भी प्रकट किया कि वाहन एवं सारथी एप्लीकेशनों के माध्यम से अन्य सूचना के अतिरिक्त वित्तीय डाटा भी कैचर किया जा रहा था।
5.2.11.3 दोहरा डाटाबेस: आर.ए., गुडगांव में वाहन के दो पृथक डाटाबेस उपयोग में थे। एक डाटाबेस में फीस एवं कर के संग्रहण से संबंधित डाटा स्टोर किया जा रहा था और दूसरे डाटाबेस में वाहनों तथा मालिकों के ब्यौरे स्टोर किए जा रहे थे। दोनों डाटाबेस में स्टोर की गई सूचना एक-दूसरे से सयोजित नहीं थी।	5.2.17 (i): कंप्यूटरीकरण के विभिन्न स्तरों के लिए टाइमफ्रेम स्थापित करना और पूर्ण ढंग से परियोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।	समिति ने परियोजना की मानीटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने की सिफारिश की ताकि राज्य में सभी पंजीकरण प्राधिकरणों में एकल डाटाबेस अनुरक्षित किया जा सके।	आर.ए., गुडगांव ने बताया कि अब वाहन का समग्र वर्क-फ्लो एकल सर्वर में डाला गया है। आर.ए., गुडगांव द्वारा उपलब्ध करवाए गए वाहन डाटा के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने भी प्रकट किया कि पूर्ण सूचना एकल डाटा बेस में कैचर की जा रही है।
5.2.13.4 अविश्वसनीय डाटा: यह इंगित किया गया कि अनेक मामलों में देय राशि तथा साफ्टवेयर द्वारा परिकलित राशि के मध्य मेल नहीं था। विश्लेषण ने यह भी प्रकट किया कि मालिकों के ब्यौरे कई प्रार्थियों के पक्ष में उन्हें उनकी पसंद के पंजीकरण नंबर के आबंटन के लिए अन्तःपरिवर्तित हो गए थे।	5.2.17 (v): डाटा कैचर के समय वैधता जांच के सुदृढीकरण तथा डाटा एंट्री प्रणाली के सही पर्यवेक्षण और प्रणाली में गलत और अनावश्यक डाटा की प्रविष्टि रोकने के लिए इनपुट और संसाधन नियंत्रणों का सुदृढीकरण।	समिति ने विभाग से वाहन एवं सारथी परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सच्ची भावना से ठोस कदम उठाने की इच्छा प्रकट की।	एप्लीकेशन के अध्ययन ने प्रकट किया कि वाहन श्रेणी तथा चैसिज नंबर का संपादन रोक लिया गया है जबकि अन्य सूचना संपादन का अधिकार भी केवल प्रशासक तक प्रतिबंधित किया गया है। आगे, रिपोर्ट में इंगित किए गए अनुसार पंजीकरण नंबरों की स्वैपिंग रोकने के लिए अनुमोदित डाटा के संपादन हेतु कारणों को स्टोर करने के लिए अनिवार्य फील्ड शामिल किए गए हैं।
5.2.13.5 एक ही बीमा कवर नोट वाले दो या अधिक वाहनों का पंजीकरण: प्रतिवेदन में यह इंगित किया गया था कि एप्लीकेशन में समान बीमा कंपनी द्वारा जारी किए गए समान बीमा कवर नोट को ब्लॉक करने के लिए कोई वैधता नियंत्रण जांच नहीं थी।	5.2.17 (v): डाटा कैचर के समय वैधता जांच के सुदृढीकरण तथा डाटा एंट्री प्रणाली के सही पर्यवेक्षण और प्रणाली में गलत और अनावश्यक डाटा की प्रविष्टि	समिति ने विभाग से वाहन एवं सारथी परियोजना के उद्देश्यों को समयबद्ध ढंग से प्राप्त करने के लिए सच्ची भावना से ठोस कदम उठाने की इच्छा प्रकट की।	वाहन एप्लीकेशन के अध्ययन ने प्रकट किया कि एप्लीकेशन, एक से अधिक वाहन के विरुद्ध समान बीमा कंपनी के समान बीमा कवर-नोट नंबर की प्रविष्टि अनुमत नहीं करती।

प्रतिवेदन में किए गए लेखापरीक्षा उपलब्धियां	की गई सिफारिशें	पी.ए.सी. की सिफारिशें	लेखापरीक्षा उपलब्धियां / टिप्पणी
	रोकने के लिए इनपुट और संसाधन नियंत्रणों का सुदृढीकरण।		
<p>5.2.14.2 अव्यस्क व्यक्तियों को लाईसैंस जारी करना</p> <p>5.2.14.3 लर्निंग लाईसैंस जारी करने के 30 दिन के भीतर नियमित लाईसैंस जारी करना</p> <p>5.2.14.4 समाप्त लर्निंग लाईसैंस के आधार पर ड्राइविंग लाईसैंस जारी करना</p> <p>5.2.14.5 दो पहिया लर्निंग लाईसैंस के आधार पर चार पहिया के ड्राइविंग लाईसैंस जारी करना:</p> <p>यह प्रतिवेदित किया गया था कि अपर्याप्त वैधता जांचों के कारण सारथी एप्लीकेशन अनुच्छेदों 5.2.14.2 से 5.2.14.5 में उल्लिखित मामलों को ब्लॉक करने में सक्षम नहीं था।</p>	<p>5.2.17 (v): डाटा कैंप्यर के समय वैधता जांच के सुदृढीकरण तथा डाटा एंट्री प्रणाली के सही पर्यवेक्षण और प्रणाली में गलत और अनावश्यक डाटा की प्रविष्टि रोकने के लिए इनपुट और संसाधन नियंत्रणों का सुदृढीकरण।</p>	<p>समिति ने विभाग से वाहन एवं सारथी परियोजना के उद्देश्यों को समयबद्ध ढंग से प्राप्त करने के लिए सच्ची भावना से ठोस कदम उठाने की इच्छा प्रकट की।</p>	<p>अव्यस्क आवेदकों को डी.एल. के निर्गम, लर्नर लाईसैंस (एल.एल.) के निर्गम से 30 दिनों के भीतर डी.एल. का निर्गम, समाप्त एल.एल. के आधार पर डी.एल. का निर्गम तथा एल.एल. में उल्लिखित से अन्य वाहनों का अनुमोदन के संबंध में ऊपर उल्लिखित अनुच्छेदों में की गई अभ्युक्तियों को दूर करने के लिए सारथी वर्सन 1.0 में पर्याप्त वैधता नियंत्रण जांच शामिल किए गए थे।</p>

5.3.3 अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की स्थिति

नगण्य/कोई प्रगति नहीं

5.2.12.1 पथ कर की संशोधित दरों के कार्यान्वयन में विलंब

यह इंगित किया गया था कि 13 जनवरी 2011 को अधिसूचित करों की वृद्धित दरों के कार्यान्वयन के लिए एप्लीकेशन को समय पर संशोधित नहीं किया गया था परिणामस्वरूप ₹ 1.26 करोड़ की राशि के कर की हानि हुई। पी.ए.सी. ने विभाग से वाहन तथा सारथी परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की इच्छा प्रकट की। अनुवर्तन लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि कोई राशि वसूल नहीं की गई है (अक्टूबर 2016)।

आंशिक कार्यान्वयन

5.2.10.8 परियोजना की मानीटरिंग तथा मूल्यांकन

यह प्रतिवेदित किया गया था कि विभाग ने प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई मानीटरिंग कक्ष स्थापित नहीं किया था। आंतरिक लेखापरीक्षा स्टॉफ इन एप्लीकेशनों के इलैक्ट्रॉनिक डाटा के उपयोग में शामिल नहीं था। आगे, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई परिसंपत्तियों का कभी भी भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। पी.ए.सी. ने विभाग को इसकी

सच्ची भावना से परियोजना की मानीटरिंग तथा मूल्यांकन करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश की। अनुवर्तन लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि नमूना-जांच किए गए आर.एज/आर.टी.एज को सरकार द्वारा प्रदान की गई परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

5.2.12.2 संशोधित पेनल्टी दरों के कार्यान्वयन में विलंब

विभाग ने अपनी अधिसूचना (जुलाई 2011) में अधिसूचित किया कि यदि कोई वाहन इसकी खरीद के 21 दिनों के बाद पंजीकृत किया जाता है तो देय कर के 0.5 प्रतिशत की दर पर पेनल्टी प्रभारित की जाएगी। लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि एप्लीकेशन (साफ्टवेयर) को वाहनों के विलंबित पंजीकरण पर पेनल्टी की गणना करने के लिए संशोधित नहीं किया गया था परिणामस्वरूप राज्य राजकोष को ₹ 45.08 लाख की हानि हुई। पी.ए.सी. ने इच्छा प्रकट की कि विभाग को वाहन तथा सारथी परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। अनुवर्तन लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि कोई राशि वसूल नहीं की गई है। यह आगे प्रकट किया गया था कि वाहनों के विलंबित पंजीकरण पर देय पेनल्टी की गणना करने के लिए एप्लीकेशन को एक पैच शामिल करके संशोधित किया गया था।

निष्कर्ष

सरकार द्वारा स्वीकृत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के कार्यान्वयन की सीमा 35 प्रतिशत कार्यान्वित की गई, 30 प्रतिशत आंशिक कार्यान्वित की गई तथा 35 प्रतिशत कार्यान्वित नहीं की गई थी (मई 2016)। लेखापरीक्षा में 2011 में इंगित की गई कई कमियां निरंतर विद्यमान थी जो विभाग द्वारा किए गए कंप्यूटरीकरण प्रयासों की प्रभाविकता तथा उपयोगिता को कम कर रही थी।

मामला जून 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

आबकारी एवं कराधान विभाग

यात्री एवं माल कर

5.4 माल कर की अवसूली/कम वसूली

माल ढोने के लिए प्रयुक्त 647 सार्वजनिक अथवा निजी वाहनों के मालिकों ने अप्रैल 2013 तथा मार्च 2015 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए माल कर जमा नहीं करवाया, परिणामस्वरूप ₹ 41.45 लाख के माल कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 19.36 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 25 मार्च 2011 से लोडिंग क्षमता के आधार पर निर्धारित दरों पर राज्य में अथवा राज्य के अन्दर से जाने वाले सार्वजनिक अथवा निजी वाहनों पर एकमुश्त में माल कर उद्ग्राह्य है। दरें, ₹ 4,000 प्रतिवर्ष (10 टन से ज्यादा नहीं), ₹ 5,600 प्रतिवर्ष

(10 टन से ज्यादा लेकिन 17 टन से ज्यादा नहीं) और ₹ 12,000 प्रतिवर्ष (17 टन से ज्यादा) हैं। कर, समान त्रैमासिक किशतों में, तिमाही जिससे भुगतान संबंधित हो, के आरंभ से 30 दिनों के अंदर भुगतान योग्य है। पंजाब यात्री एवं माल कराधान (पी.पी.जी.टी.) नियम, 1952 का नियम 22 प्रावधान करता है कि यदि अधिनियम अथवा इन नियमों के अंतर्गत किसी मालिक द्वारा कोई राशि देय है तो कर-निर्धारण प्राधिकारी मांग नोटिस जारी करेगा तथा नोटिस जारी करने की तारीख से कम से कम 15 दिन बाद की तारीख नियत करेगा जब तक मालिक ऐसे भुगतान के प्रमाण में प्राप्त किया गया चालान प्रस्तुत कर सकता है। आगे, पी.पी.जी.टी. अधिनियम की धारा 14 (बी) के अनुसार यदि निर्धारित समय के भीतर किसी कर अथवा पेनल्टी का भुगतान नहीं किया जाता है तो वाहन का मालिक कर का भुगतान न की गई राशि पर

दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (यात्री एवं माल कर) {डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.)} के 12 कार्यालयों⁷ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया (अगस्त 2014 से सितंबर 2015) कि माल ढोने के लिए प्रयुक्त 647 सार्वजनिक अथवा निजी वाहनों के मालिकों ने अप्रैल 2013 तथा मार्च 2015 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए ₹ 41.45 लाख का माल कर जमा नहीं करवाया। विभाग द्वारा कोई मांग नोटिस जारी नहीं किए गए थे, न ही देयों की वसूली की मॉनीटरिंग हेतु कोई प्रणाली थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 41.45 लाख के माल कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त पी.पी.जी.टी. अधिनियम के अनुसार ₹ 19.36 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर सभी डी.ई.टी.सी.ज (पी.जी.टी.) ने सितंबर 2015 तथा जून 2016 के मध्य बताया कि ब्याज सहित ₹ 8.42 लाख का माल कर वसूल किया गया था तथा ₹ 52.39 लाख की बकाया राशि को वसूल करने के लिए शेष वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे।

मामला अप्रैल 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

5.5 यात्री कर की अवसूली/कम वसूली

247 टैक्सी कार/मैक्सी कैब, 100 शैक्षिक संस्थान बसों तथा 35 परिवहन सहकारी सोसाइटी बसों के वाहन मालिकों ने या तो यात्री कर जमा नहीं करवाया या कम जमा करवाया, परिणामस्वरूप ₹ 51.76 लाख के यात्री कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 21.93 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

पी.पी.जी.टी. अधिनियम की धारा 9 (1) (iv), (iv-ए) एवं 9(2एफ) (i) तथा तथा उसके

⁷ भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, सोनीपत तथा यमुनानगर।

अधीन बनाए गए नियम टैक्सी कार/मैक्सी कैब तथा शैक्षिक संस्थाओं की बसों⁸ पर यात्री कर

के उद्ग्रहण का प्रावधान करते हैं। अगस्त 2014 की अधिसूचना के अनुसार, राज्य के लिंक रूटों पर बसें चलाने वाली सहकारी समिति के परमिटधारकों से निर्धारित दरों पर यात्री कर का भुगतान करना अपेक्षित है। आगे, पी.पी.जी.टी. अधिनियम की धारा 14बी के अनुसार यात्री कर के विलंबित भुगतान पर दो प्रतिशत प्रति माह की दर पर ब्याज भी उद्ग्रह्य है। यात्री कर से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने ₹ 21.93 लाख के ब्याज सहित ₹ 73.69 लाख की राशि के यात्री कर का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण प्रकट किया जैसा नीचे विवरण दिया गया है।

5.5.1 डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) के पांच कार्यालयों⁹ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया (अगस्त 2014 से अगस्त 2015) कि यात्रियों को ढोने के लिए प्रयुक्त 247 टैक्सी कार/मैक्सी कैब मालिकों ने अप्रैल 2013 तथा मार्च 2015 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए ₹ 12.45 लाख का यात्री कर जमा नहीं करवाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.45 लाख के यात्री कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त पी.पी.जी.टी. अधिनियम के अनुसार ₹ 6.61 लाख का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

यह इंगित किए जाने पर सभी डी.ई.टी.सीज (पी.जी.टी.) ने नवंबर 2014 तथा दिसंबर 2015 के मध्य बताया कि ₹ 1.43 लाख की राशि वसूल की गई थी तथा ₹ 17.63 लाख की शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

5.5.2 डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) के छः कार्यालयों¹⁰ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया (अगस्त 2014 एवं सितंबर 2015 के मध्य) कि विद्यार्थियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त 100 शैक्षिक संस्थाओं की बसों के मालिकों ने जुलाई 2013 तथा मार्च 2015 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए ₹ 16.60 लाख का यात्री कर जमा नहीं करवाया। विभाग ने चूककर्ता बस मालिकों से कर वसूल करने के लिए मांग नहीं उठाई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.60 लाख के यात्री कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त पी.पी.जी.टी. अधिनियम के अनुसार ₹ 7.00 लाख का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

यह इंगित किए जाने पर चार डी.ई.टी.सीज (पी.जी.टी.)¹¹ ने नवंबर 2014 तथा मई 2016 के मध्य बताया कि ₹ 7.33 लाख की राशि वसूल की गई थी तथा ₹ 7.99 लाख की शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डी.ई.टी.सीज (पी.जी.टी.) झज्जर तथा कुरुक्षेत्र से ब्याज सहित ₹ 8.28 लाख की बकाया राशि की वसूली पर आगे प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2016)।

⁸ "शैक्षिक संस्थान बस" से तात्पर्य एक ओमनी बस है जो एक कालेज, स्कूल अथवा अन्य शैक्षिक संस्थान द्वारा स्वामित्व प्राप्त है तथा इसकी किसी प्रकार की गतिविधियों के संबंध में केवल शैक्षिक संस्थान के विद्यार्थियों अथवा स्टॉफ को लाने-ले जाने के लिए प्रयुक्त की जाती है।

⁹ भिवानी, गुड़गांव, कैथल, पानीपत तथा रेवाड़ी।

¹⁰ गुड़गांव, जगाधरी, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा सोनीपत।

¹¹ गुड़गांव, जगाधरी, करनाल तथा सोनीपत।

5.5.3 डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) के सात कार्यालयों¹² के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2014 से जुलाई 2015) ने प्रकट किया कि 35 परिवहन सहकारी सोसाइटी बसों के मालिकों ने अप्रैल 2013 तथा मार्च 2015 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए संपूर्ण या आंशिक मासिक यात्री कर जमा नहीं करवाया। यात्री कर वसूल करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई

नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.71 लाख के यात्री कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त पी.पी.जी.टी. अधिनियम के अनुसार ₹ 8.32 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर सभी डी.ई.टी.सीज (पी.जी.टी.) ने दिसंबर 2015 तथा मई 2016 के मध्य बताया कि ब्याज सहित ₹ 6.42 लाख की राशि वसूल की गई थी तथा ₹ 24.61 लाख की शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। वसूली पर आगे प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2016)।

ये अप्रैल 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किए गए थे; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

¹²

अंबाला, भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र तथा सिरसा।

अध्याय 6: अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

6.1.1 कर प्रबंध

इस अध्याय में मनोरंजन शुल्क, विद्युत (बिजली पर कर एवं शुल्क), खदान एवं भू-विज्ञान तथा भू-राजस्व से प्राप्तियां शामिल हैं। इन करों का प्रबंध एवं उद्ग्रहण प्रत्येक प्रशासनिक विभाग के लिए अलग से निर्मित संबंधित अधिनियमों/नियमों द्वारा शासित किया जाता है।

6.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015-16 में खदान एवं भू-विज्ञान (12 इकाइयां), विद्युत विभाग (बिजली पर कर एवं शुल्क), भू-राजस्व (31 इकाइयां) तथा आबकारी एवं कराधान विभाग (मनोरंजन शुल्क) (6 इकाइयां) से संबंधित 182 इकाइयों में से 49 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 116 मामलों में ₹ 0.43 करोड़ से आवेष्टित कर प्राप्तियों तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली प्रकट की, जो तालिका 6.1 में यथा श्रेणीबद्ध हैं।

तालिका 6.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	रायल्टी तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली	65	0.25
2	नकल एवं स्पूटेशन फीस जमा न करवाना	25	0.04
3	विविध अनियमितताएं (मनोरंजन शुल्क)	26	0.14
योग		116	0.43

वर्ष के दौरान, विभाग ने 64 मामलों में ₹ 19.52 लाख के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की, जिनमें 58 मामलों में आवेष्टित ₹ 19.49 लाख वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 22 मामलों में ₹ 3.12 लाख वसूल किए, जिनमें से 16 मामलों में आवेष्टित ₹ 3.09 लाख वर्ष 2015-16 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 11.72 लाख से आवेष्टित एक व्याख्यात्मक मामले पर निम्नलिखित अनुच्छेद में चर्चा की गई है।

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

लेखापरीक्षा उपलब्धियां

6.2 रायल्टी तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली

चार जिलों के संबंध में 31 ईट भट्ठा मालिकों से ₹ 11.72 लाख की रायल्टी तथा ब्याज की राशि की वसूली नहीं की गई थी जिन्हें अप्रैल 2013 तथा मार्च 2016 के मध्य परमिट जारी किए गए थे।

हरियाणा लघु खनिज रियायत, स्टॉकिंग, खनिज का ट्रांसपोर्टेशन तथा अवैध खनन की रोकथाम नियम, 2012 का नियम 30 प्रावधान करता है कि ईट भट्ठा मालिक (बी.के.ओज) प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक अग्रिम में निर्धारित दर पर रायल्टी की वार्षिक राशि का भुगतान करेंगे। राज्य सरकार ने 20 जून 2012 से बी.के.ओज की विभिन्न श्रेणियों की नियत रायल्टी की दरें संशोधित की तथा बी.के.ओज प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल तक निर्धारित दर पर अग्रिम में रायल्टी की वार्षिक राशि का भुगतान करेंगे। यदि भुगतान सात दिनों के पश्चात किंतु देय तारीख के 30 दिनों तक, 30 दिनों के पश्चात किंतु देय तारीख के 60 दिनों के भीतर तथा देय तारीख के 60 दिनों के बाद किया जाता है तो चूक की अवधि हेतु क्रमशः 15, 18 तथा 21 प्रतिशत (चूक की संपूर्ण अवधि हेतु) प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभार्य है। रायल्टी के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिये प्रत्येक खनन कार्यालय में बी.के.ओज रजिस्टर का रख-रखाव किया जाता है। ऐसे बी.के.ओज, जो रायल्टी का भुगतान नहीं करते, के परमिट एक माह का नोटिस देकर विभाग द्वारा निरस्त किए जाने अपेक्षित हैं और परमिट धारकों से रायल्टी और उस पर ब्याज के कारण कोई राशि देय है, वह भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय है। सहायक खनन अभियंता (ए.एम.ईज)/खनन अधिकारी (एम.ओज) बकाया देयों की वसूली मानीटरिंग के लिए उत्तरदायी हैं।

एम.ओज के चार कार्यालयों¹ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च से सितंबर 2015) ने प्रकट किया कि 701 बी.के.ओज में से 31 बी.के.ओज ने अप्रैल 2013 तथा मार्च 2016 के मध्य रायल्टी की देय राशि का भुगतान नहीं किया। यद्यपि, मार्च 2016 तक 24 से 36 माह के मध्य श्रृंखलित अवधि समाप्त हो चुकी थी, फिर भी ₹ 7.81 लाख की रायल्टी का न तो बी.के.ओज द्वारा भुगतान किया गया था और न ही विभाग द्वारा इसे वसूल करने के लिए या परमितों को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई की गई थी। विभाग की ओर से कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 7.81 लाख की रायल्टी की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 3.91 लाख का ब्याज भी नियमों के अनुसार उद्ग्रह्य था।

¹ हिसार, जींद, नारनौल तथा रोहतक।

यह इंगित किए जाने पर एम.ओज, हिसार तथा जींद ने बताया (नवंबर तथा दिसंबर 2015) कि बकाया राशि वसूल करने के लिए संबंधित बी.के.ओज को नोटिस जारी किए गए थे। वसूली पर आगे रिपोर्ट तथा एम.ओज, नारनौल तथा रोहतक से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2016)।

मामला जून 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

चण्डीगढ़
दिनांक:

(महुआ पाल)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक-I

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.6.5)

अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लम्बित रही/31 अक्टूबर 2016 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए

कर का नाम		2012-13	2013-14	2014-15	योग
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	4	9	11	24
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	-	9	11	20
मोटर वाहनों पर कर	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	1	2	2	5
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	1	2	2	5
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	8	7	7	22
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	8	7	7	22
राज्य उत्पाद शुल्क/ पी.जी.टी	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	4	5	3	12
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	-	5	3	8
अन्य	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	1	1	1	3
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	1	1	1	3
योग	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	18	24	24	66
	ले.प.प्र. में सम्मिलित अनुच्छेदों की कृ.का.टि. प्राप्त नहीं हुई	10	24	24	58

अनुलग्नक-II

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.6.5)

31 अक्टूबर 2016 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण

क्र. सं.	लोक लेखा समिति रिपोर्ट	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	31.10.2016 को लोक लेखा समिति की 1979-80 से 2010-11 तक की रिपोर्टों के बकाया अनुच्छेदों की कुल संख्या
1.	22वीं	1979-80	3
2.	23वीं	1980-81	4
3.	25वीं	1981-82	4
4.	26वीं	1982-83	3
5.	28वीं	1983-84	2
6.	29वीं	1984-85	7
7.	32वीं	1985-86	4
8.	34वीं	1986-87	11
9.	36वीं	1987-88	6
10.	38वीं	1988-89	10
11.	40वीं	1989-90	21
12.	42वीं	1990-91, 91-92, 92-93	26
13.	44वीं	1990-91, 91-92, 92-93	39
14.	46वीं	1993-94	9
15.	48वीं	1993-94, 1994-95	10
16.	50वीं	1993-94, 1994-95, 1995-96	40
17.	52वीं	1996-97	30
18.	54वीं	1997-98	43
19.	58वीं	1998-99 तथा 1999-2000	64
20.	60वीं	2000-01	38
21.	62वीं	2001-02	42
22.	63वीं	2002-03	46
23.	64वीं	2003-04	52
24.	65वीं	2004-05	50
25.	67वीं	2005-06	48
26.	68वीं	2006-07 तथा 2007-08	100
27.	70वीं	2008-09	56
28.	71वीं	2009-10	51
29.	72वीं	2010-11	59
योग			878

अनुलग्नक-III
(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.6.5)

31 अक्टूबर 2016 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	1979-80 से 2010-11 तक की अवधि की बकाया कुल सिफारिशें
1	आबकारी एवं कराधान	399
2	राजस्व	178
3	खदान एवं भू-विज्ञान	47
4	कृषि	41
5	सिंचाई	16
6	चीफ इलैक्ट्रीकल इंस्पेक्टर (विद्युत)	18
7	जन-स्वास्थ्य	6
8	लोक निर्माण विभाग (भ. एवं स.)	5
9	पशुपालन	7
10	परिवहन	82
11	वित्त (लॉटरीज)	15
12	हरियाणा राज्य लॉटरीज	2
13	सहकारिता	20
14	वन	11
15	गृह	16
16	शहरी विकास	2
17	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	4
18	उद्योग	5
19	सामान्य	1
20	नगर एवं ग्राम आयोजना	3
योग		878

संकेताक्षरों की शब्दावली

ए.ए.	कर - निर्धारण प्राधिकारी
ए.ई.टी.ओ.	सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी
ए.एम.ई.	सहायक खनन अभियंता
कृ.का.टि.	कृत कार्रवाई टिप्पणी
बी.ई.	बजट अनुमान
बी.आई.एफ.आर.	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बी.के.ओ	ईट भट्ठा मालिक
देश.	देशी शराब
सी.एल.यू.	भूमि प्रयोग का परिवर्तन
सी.एम.वी.आर.	केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989
सी.एस.टी. एक्ट	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956
डी.सी.आर.	दैनिक संग्रहण रजिस्टर
डी.सी.	उपायुक्त
डी.ई.पी.बी.	शुल्क एवं हकदारी पासबुक
डी.ई.टी.सी.	उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त
द.ह.बि.वि.नि.लि.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
डी.एल.	ड्राईविंग लाईसैंस
ई.टी.सी.	आबकारी एवं कराधान आयुक्त
ई.टी.ओ.	आबकारी एवं कराधान अधिकारी
भा.स.	भारत सरकार
एच.एल.एल. नियम	हरियाणा शराब लाईसैंस नियम, 1970
एच.वी.ए.टी. एक्ट	हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003
एच.एम.वी.	भारी मोटर वाहन
आई.जी.आर.	पंजीकरण महानिरीक्षक
भा.नि.वि.श.	भारत में निर्मित विदेशी शराब
आई.ओ.सी.एल.	भारतीय तेल निगम लिमिटेड
आई.आर. एक्ट	पंजीकरण अधिनियम, 1908
नि.प्र.	निरीक्षण प्रतिवेदन
आई.एस. एक्ट	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
आई.टी.सी.	इनपुट टैक्स क्रेडिट
जे.ई.टी.सी.	संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त
जे.एस.आर.	संयुक्त उप रजिस्ट्रार

एल.एल.	लर्नर लाईसैंस
एल.एम.वी.	हल्के मोटर वाहन
एम.सी.	नगर निगम
एम.एम.वी.	मध्यम मोटर वाहन
एम.ओ.	खनन अधिकारी
एम.वी. एक्ट	मोटर वाहन अधिनियम, 1988
नि.ले.प.	निष्पादन लेखापरीक्षा
लो.ले.स.	लोक लेखा समिति
प्र.म.ले.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
पी.बी.एम.	पंजाब बजट मैनुअल
पी.ई.डी. एक्ट	पंजाब बिजली शुल्क अधिनियम
पी.जी.टी.	यात्री एवं माल कर
पी.एल.	प्रूफ लीटर
पी.एल.आर एक्ट	पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887
पी.एम.वी.टी. एक्ट	पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924
पी.पी.जी.टी. एक्ट	पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952
आर.ए. (एम.वी.)	पंजीकरण प्राधिकारी (मोटर वाहन)
आर.सी.	पंजीकरण प्रमाण - पत्र
आर.एल.ए.	पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी
आर.आर. एक्ट	राजस्व वसूली अधिनियम, 1887
आर.आर.सी.	राजस्व वसूली प्रमाण - पत्र
आर.टी.ए.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी
एस.डी.	स्टाम्प शुल्क
एस.ई.डी.	राज्य उत्पाद शुल्क
एस.ई.जैड.	विशेष आर्थिक जोन
एस.आर.	उप - रजिस्ट्रार
एस.टी.सी.	राज्य परिवहन नियंत्रक
टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.	कर सूचना विनिमय प्रणाली
उ.ह.बि.वि.नि.लि.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
वी.ए.टी.	मूल्य वर्धित कर

© भारत के
नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.aghry.nic.in